Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

11 सितम्बर, 2013

खण्ड 2, अंक 4

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 11 सितम्बर, 2013

	पृष्ठ संख्या
	(4)1
शोक प्रस्ताव	(4)1
सरकारी प्रस्ताव	(4)24
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी मामला उठाना	(4)25
अनुपस्थिति संबंधी सूचना	(4)25
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(4)26
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(4)26
विधान कार्य	
(i) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 2013	
(ii) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 4) बिल, 2013	
(iii) दि हरियाणा मोटर व्हीकल्ज टैक्सेशन बिल, 2013	
(iv) दि हरियाणा कैनाल एंड ड्रेनेज (अमैंडमैंट) बिल, 2013	
(v) दि हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्ज (टैम्परेरी रिलीज) अमैंडमैंट बिल, 2013	
(vi) दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 2013	

266

मूल्य :

(vii) दि पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रैगुलेशन) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 2013

सरकारी प्रस्ताव (4)59

विधान कार्य (पुनरारम्भण) (4)61

(viii) दि हरियाणा कैटल फेयर्स (अमैंडमैंट) बिल, 2013

(ix) दि हरियाणा डिवैलपमैंट एंड रैगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2013

(x) दि हरियाणा प्रोटैक्शन ऑफ इंट्रस्ट ऑफ डिपोजिटर्स इन फाइनैंशियल इस्टैब्लिशमैंट बिल, 2013

(xi) इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, मीरपुर बिल, 2013

(xii) दि हरियाणा टाउन इम्प्रूवमैंट (अमैंडमैंट एंड वैलिडेशन) बिल, 2013

(xiii) दि हरियाणा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2013

(xiv) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2013

(xv) दि हरियाणा मैनेजमैंट ऑफ सिविक अमैनिटीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डैफीशिएंट म्यूनिसिपल एरियाज (स्पेशल प्रौविजन्ज) बिल, 2013

(xvi) दि हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रैगुलेशन ऑफ सोसायटीज (अमैंडमैंट) बिल, 2013

(xvii) दि इंडियन स्टैम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2013

(xviii) दि हरियाणा सैलरीज एंड अलाउंसिज ऑफ मिनिस्टर (अमैंडमैंट) बिल, 2013

(xix) दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असैंबली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एंड अलाउंसिज (अमैंडमैंट) बिल, 2013

(xx) दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असैंबली (सैलरी, अलाउंसिज एंड पेंशन ऑफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2013

श्री अभय सिंह चौटाला, एम०एल०ए० के भर्त्सना के मामले को टालना (4)93

संसदीय कार्य मंत्री / अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद (4)93

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 11 सितम्बर, 2013

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

10.00 बजे

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Chief Minister will make the obituary references.

मुख्यमन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय : यह सदन जिला झज्जर के गांव विहरोड़ के वीर सैनिक सिपाही सुनील कुमार के 9 सितम्बर, 2013 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनके निधन से देश एक वीर सैनिक तथा हरियाणा के एक महान् सपूत की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I associate myself with the Obituary Reference made by the Hon'ble Chief Minister.

I also deeply feel grieved on the sad demise of Sepoy Sunil Kumar who was a brave soldier of district Jhajjar, on 9th September, 2013.

I pray to Almighty to give peace to the departed soul. I will convey the feelings of this House to the bereaved family. Now, I request all of you to kindly stand up on your seat to pay homage to the departed soul for two minutes.

(At this stage, the House stood up in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of deceased.)

सरकारी प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the official resolution.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Speaker Sir, I beg to move—

That an aspiring young India, with 121 crore people, has astounding sports talents across its length and breadth — from small

[Shri Randeep Singh Surjewala]

villages to big metropolises. Carving out a niche, training and promoting these sports talents is an essential requisite of National character building. Primary onus to project, propel and promote India's sports men and women on International arena lies with the highest sports body in India i.e. Indian Olympic Association (IOA) with policy inputs and support from Ministry of Sports and Youth Affairs, Government of India. State of Haryana and its sports persons, particularly our wrestlers, boxers, shooters, hockey and cricket players, javelin throwers have brought laurels to the country.

Tainted politicians-cum-sports administrators are, however, challenging the very foundation of India's shining place in the galaxy of Nations in the sports arena. These self-serving sports administrators have put a question mark on the sporting career of budding players of India by converting the National Sports Federations/Bodies into their personal fiefdoms. Bereft of the National interest, their only purpose is to keep occupying their position in the sports federations

To ensure transparency, accountability and highest standards, Ministry of Sports and Youth Affairs, Government of India had come out with the 'Model Sports Code' prescribing definite guidelines with regard to eligibility of elections to the sports federations in India as also for holding fair and transparent elections. Unfortunately, all the tainted sports administrators-cum-politicians opposed the implementation of this 'Model Sports Code' in the name of independence of 'Olympic Charter'. Plea taken was that Model Guidelines tantamount to interference in independent working of federations and that Indian Olympic Association (IOA) and its affiliate federations are governed by International Olympic Committee's prescribed 'Olympic Charter'. They refuse to follow the law of the land in the guise of following the 'Olympic Charter' ignoring provisions relating to the ethics.

On 25th November, 2012; a group of tainted sports administrators bulldozed the election of Shri Abhay Singh Chautala, MLA and a Member of this House, as President of Indian Olympic Association (IOA). This was done despite the fact that Shri Abhay Singh Chautala stood charge sheeted under Section 13 (1) & (2) of the Prevention of Corruption Act, 1988 by a Special CBI Court at New Delhi and there were prohibitory orders passed by the International Olympic Committee (IOC) for not holding such meeting till appropriate amendments on 'ethics and suitability' had been carried out in the Constitution of Indian Olympic Association (IOA). In an unprecedented case in India's history, this led to suspension of Indian Olympic Association (IOA) by the International Olympic Committee (IOC), thereby bringing disgrace and putting future of lakhs of sports men and women into jeopardy.

Similarly, Shri Abhay Singh Chautala remained President of All India Amateur Boxing Association for last 12 years (2000-2012). On 23rd September, 2012; Shri Abhay Singh Chautala got himself elected as Chairman and his brother-in-law Shri Abhishek Matoria as the new President of All India Amateur Boxing Association. Even this election has been rejected by the International Amateur Boxing Association. The International Body has suspended the Indian Amateur Boxing Federation also.

In their blind lust to retain monopoly over Indian Olympic Association (IOA) and some of its affiliate sports federations without caring for the future of India's sports persons or National prestige, Shri Abhay Singh Chautala and others passed a resolution in a meeting of Indian Olympic Association on 25th August, 2013 asking the International Olympic Committee (IOC) to not insist on the disqualification clause against 'charge framed persons'. On 4th September, 2013; International Olympic Committee (IOC) has again rejected this purported change proposed by Indian Olympic Association (IOA) to allow persons to be elected to Indian Olympic Association (IOA) against whom charges have been framed in a criminal court to ensure probity, transparency and morality in all International Associations.

This House condemns such an obstinate and selfish, conduct of Shri Abhay Singh Chautala, MLA and a Member of this House as also other tainted sports administrators which has caused incalculable damage to the career of sports persons, sports bodies and the Olympic movement itself. This House calls upon the Ministry of Sports & Youth Affairs, Government of India to immediately implement the 'Model Sports Code' drafted by it in the Indian Olympic Association (IOA) as also in sports federations/bodies of the country to ensure India's participation in all International events, to secure the future of our sports persons and to ensure a fair, just, equitable and morally appropriate administration of sports in India. This House also welcomes the decision of International Olympic Committee (IOC), on persuasion of Government of India, to include wrestling in the 2020 and 2024 Olympics.

Sir, this being the Resolution, before I take my place, I only want to raise four pertinent issues for the consideration of this House as also request the House to pass the Resolution by consensus. Sir, whether sports inherently mean an integrity of character and a spirit of fairness and can this character and spirit be protected by the elk of Ch. Abhay Singh Chautala, Shri Lalit K. Bhanot and even Shri Suresh Kalmadi? Whether interest of sportspersons, their training, their facilities, their optimum preparation and their welfare should be the first thing and primary objective of Indian Olympic Association? Whether blinded by lust for power and prestige, can we rely

[Shri Randeep Singh Surjewala]

upon the current administrator of Indian Olympic Association led by Shri Abhay Singh Chautala to do so? Sir, the third question which I am posing to myself as also to this House and also as a young Indian to all 121 crores citizens of this country. Can any Indian in remotest of his dreams, dream of lowering the India's prestige betraying national interest and undermining a place of pride much less as sports body like the Indian Olympic Association which is the very epitome of that pride? Those who do so, do they have a right to stay and circulate in public life at all? Sir, is it fair for the suspended Indian Olympic Association and its President Shri Abhay Singh Chautala to accuse to maliciously propagate and to level allegations against the only person who in a single individual event has brought gold medal in London Olympics, someone like Shri Abhinav Bindra?

Is it fair to accuse sportspersons who dedicated their life to sports like Shri Randhir Singh and the others and those who do so, can we leave the future of our sports federations, millions and millions of young men and women who get up every day and go to a field to inculcate team spirit, to inculcate the strength of character, to inculcate a sense of purpose into their life and life of this nation to those who, are tainted and as Hon'ble Chief Minister always says 'tainted, dented and painted'.

Sir, as I conclude, the pain of millions of Indians is reflected in an article written by Shri Abhinav Bindra in the latest issue of a news magazine. I would just quote him and that summarizes the pain of millions and millions of Indians over such tainted sports administrators. Sir, he says:

> 'But the unkindest cut of all is that these administrators are allowing the Indian Olympic Association to remain suspended for long, forcing athletes to compete under the IOC flag, thus depriving them of the one factor that adds a little bit extra to any performance— national pride. I may not say it often but the greatest moment of my career was when the Indian tricolour was raised in Beijing with the bars of the national anthem playing in the background. To snatch away that feeling from me and my fellow athletes is simply disgusting.
>
> The Indian Olympic movement needs leaders whom we can respect—not because of their political credentials but because of what they do for sport and for athletes. We need people who can inspire us with their actions, and who show a willingness to put structures in place so that we are never in such a difficult situation again. The need of the hour is meaningful reforms, stringent ethical standards, an incorruptible system where results are the only determinant, and professionals running the IOA to make it effective.
>
> This will give our administrators the goodwill of millions and millions of aspiring Indian athletes. Goodwill is not a bad thing. It does not swell up bank accounts but it gives you pride— which cannot be bought!'

Sir, that is not reflective of only of all sports men and women but all the young and old of this country. With these words, I request the House to consider this Resolution.

Mr. Speaker : Motion moved—

That an aspiring young India, with 121 crore people, has astounding sports talents across its length and breadth — from small villages to big metropolises. Carving out a niche, training and promoting these sports talents is an essential requisite of National character building. Primary onus to project, propel and promote India's sports men and women on International arena lies with the highest sports body in India i.e. Indian Olympic Association (IOA) with policy inputs and support from Ministry of Sports and Youth Affairs, Government of India. State of Haryana and its sports persons, particularly our wrestlers, boxers, shooters, hockey and cricket players, javelin; throwers have brought laurels to the country.

Tainted politicians-cum-sports administrators are, however, challenging the very foundation of India's shining place in the galaxy of Nations in the sports arena. These, self-serving sports administrators have put 'a question mark on the sporting career of budding players of India by converting the National Sports Federations/Bodies into' their personal fiefdoms. Bereft of the National interest, their only purpose is to keep, occupying their position in the sports federations.

To ensure transparency, accountability and highest standards, Ministry of Sports and Youth Affairs, Government of India had come out with the 'Model Sports Code' prescribing definite guidelines with regard to eligibility of elections to the sports federations in India as also for holding fair and transparent elections. Unfortunately, all the tainted sports administrators-cum-politicians opposed the implementation of' this 'Model Sports Code' in the name of independence of 'Olympic Charter'. Plea taken was that Model Guidelines tantamount to interference in independent working of federations and that Indian Olympic Association (IOA) and its affiliate federations are governed by International Olympic Committee's prescribed 'Olympic Charter'. They refuse to follow the law of the land in the guise of following the 'Olympic Charter' ignoring provisions relating to the ethics.

On 25th November, 2012; a group of tainted sports administrators bulldozed the election of Shri Abhay Singh Chautala, MLA and a Member of this House, as President of Indian Olympic Association (IOA). This was done despite the fact that Shri Abhay Singh Chautala stood charge sheeted under Section 13 (1) & (2) of the Prevention of Corruption Act, 1988 by a Special CBI Court at New Delhi and there were prohibitory orders passed by the International Olympic Committee

[Mr. Speaker]

(IOC) for not holding such meeting till appropriate amendments on 'ethics and suitability' had been carried out in the Constitution of Indian Olympic Association (IOA). In an unprecedented case in India's history, this led to suspension of Indian Olympic Association (IOA) by the International Olympic Committee (IOC), thereby bringing disgrace and putting future of lakhs of sports men and women into jeopardy.

Similarly, Shri Abhay Singh Chautala remained President of All India Amateur Boxing Association for last 12 years (2000-2012). On 23rd September, 2012; Shri Abhay Singh Chautala got himself elected as Chairman and his brother-in-law Shri Abhishek Matoria as the new President of All India Amateur Boxing Association. Even this election has been rejected by the International Amateur Boxing Association. The International Body has suspended the Indian Amateur Boxing Federation also.

In their blind lust to retain monopoly over Indian Olympic Association (IOA) and some of its affiliate sports federations without caring for the future of India's sports persons or National prestige, Shri Abhay Singh Chautala and others passed a resolution in a meeting of Indian Olympic Association on 25th August, 2013 asking the International Olympic Committee (IOC) to not insist on the disqualification clause against 'charge framed persons'. On 4th September, 2013; International Olympic Committee (IOC) has again rejected this purported change proposed by Indian Olympic Association (IOA) to allow persons to be elected to Indian Olympic Association (IOA) against whom charges have been framed in a criminal court to ensure probity, transparency and morality in all International Associations.

This House condemns such an obstinate and selfish conduct of Shri Abhay Singh Chautala, MLA and a Member of this House as also other tainted sports administrators which has caused incalculable damage to the career of sports persons, sports bodies and the Olympic movement itself. This House calls upon the Ministry of Sports & Youth Affairs, Government of India to immediately implement the 'Model Sports Code' drafted by it in the Indian Olympic Association (IOA) as also in sports federations/bodies of the country to ensure India's participation in all International events, to secure the future of our sports persons and to ensure a fair, just, equitable and morally appropriate administration of sports in India. This House also welcomes the decision of International Olympic Committee (IOC), on persuasion of Government of India, to include wrestling in the 2020 and 2024 Olympics.

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी संसदीय कार्य मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी सरकार की तरफ से जो रैजोल्यूशन लेकर आये हैं उसके लिए मैं उनका

आभार प्रकट करता हूं और उस रैजोल्यूशन का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। केवल मैं ही इस बात से चिंतित नहीं हूं बल्कि हिन्दुस्तान के 120 करोड़ नर और नारी, युवा और बुजुर्ग हर वर्ग इस बात से चिंतित है। सर, हर आदमी जो हिन्दुस्तान में पैदा होता है तो हिन्दुस्तान के प्रति उसकी अपनी एक भावना होती है। हम भी जब कहीं पर जाते हैं, आप भी कहीं जाते हैं या कोई और सैंसिबल पर्सन जहां कहीं भी जाता है, चाहे वह किसी कॉलेज में जाये या किसी स्पोर्ट्स गतिविधि में जाये तो सबसे पहले हमारा देश है और देश का मतलब सबसे पहले हमारा तिरंगा है। इस तिरंगे के लिए न जाने कितने लोगों ने कुर्बानियां दी थीं तब जाकर मुश्किल से तिरंगा लहराने को मिला था। उनको यह नहीं पता था कि इस तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुये लोग तिरंगे को बदनाम करेंगे, उसका अपमान करेंगे। यह केवल मात्र स्पोर्ट्स पर्सन का या देश का अपमान नहीं है यह हमारा तिरंगा जो कि हमारी आजादी की निशानी है, उस तिरंगे का अपमान है। यह बात इन्टरनेशनल ओलम्पिक कमेटी ने कह दी कि हिन्दुस्तान प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। अगर कोई खिलाड़ी व्यक्तिगत तौर पर जाता है तो वह तिरंगा तो नहीं लहरा पायेगा। वह किस भावना से जायेगा? देश के प्रति भावना होती है। फौजी आर्मी में लड़ने के लिए जाते हैं या चाहे और कोई वर्दीधारी जाते हैं या हम काम करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने देश होता है, तिरंगा होता है। लोग तो इस तिरंगे का सदियों से इंतजार कर रहे थे कि तिरंगा लहराने का हमें मौका मिले। एक लम्बे इंतजार के बाद हमें वह तिरंगा लहराने का मौका मिला। ये लोग उस तिरंगे का नाम लेकर, संविधान का, विधि-विधान का नाम लेकर चुनाव लड़ते हैं और लोगों को गुमराह करके लोगों से वोट ले लेते हैं। उसके बाद ये देश के प्रति, संविधान के प्रति और कानून के प्रति समर्पित रहने की शपथ लेते हैं और बाद में इन सब बातों का छोड़ देते हैं। उसके बाद इनका उद्देश्य केवल मात्र सत्ता प्राप्त करना होता है। चाहे वह पैसे की सत्ता हो, राजनीति की सत्ता हो, इनका ध्यान हर तरह की सत्ता पर रहता है। अब तक तो हमने यही सोचा था कि पैसे की सत्ता और राजनीति की सत्ता की भूख इनकी होगी लेकिन ये इस भूख में भी हैं कि देश का चाहे जितना भी अपमान हो जाये लेकिन वे पीछे नहीं हटेंगे। आज हमारा खिलाड़ी जोश में है, आज हरियाणा प्रदेश खेलमय प्रदेश है। इससे सबसे बड़ा कलंक हमारे हरियाणा प्रदेश पर लगेगा क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि अभय सिंह चौटाला कौन है? सभी यह जानते हैं कि वह हरियाणा प्रदेश से संबंध रखते हैं। वही हरियाणा प्रदेश जहां के मुख्य मंत्री की खेल नीति की वजह से आज हरियाणा प्रदेश खेलों को नई राह दिखा रहा है। आज जैसे रणदीप सिंह जी ने बताया कि मेरे लिये सबसे बड़ा अवसर यह था कि जो हमारे खिलाड़ी जिस शान से अन्तर्राष्ट्रीय स्टेज के ऊपर वर्ल्ड में पोजीशन लेकर आते हैं, मैं उनके लिये तिरंगा लहराऊं। मेरे लिये इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। सर, खिलाड़ी तो इतनी मेहनत करते हैं और कुछ लोग उन खिलाड़ियों के सपनों पर पानी फेरते हैं और उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। सर, उन लोगों ने खिलाड़ियों पर जिस किस्म के ओछे इल्जाम लगाए हैं उससे उन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ता लेकिन उनके ऐसे कार्यों से हरियाणा प्रदेश की बदनामी होती है कि हरियाणा प्रदेश के ऐसे नेता हैं। अब उनको क्या पता कि ये ऐसे नेता हैं जो 17-17 साल की सजा भुगत रहे हैं। बाकी तिहाड़ जेल इनका इंतजार कर रही है। धीरे-धीरे इनका स्थाई पता भी गुम होने वाला है। क्योंकि वर्कर कहां जाएंगे? अब इतने दिन

[प्रो० सम्पत सिंह]

तक तो कोई हस्पताल में मिलने चला गया कोई कहीं चला गया। जब वर्कर अपने नेता से मिलने जाता है जैसे हम अपने मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं, पार्टी प्रधान को मिलने जाते हैं, तो मुख्यमंत्री घर में मिलेंगे, या दफ्तर में मिलेंगे, प्रधान जी घर में मिलेंगे, या दफ्तर में मिलेंगे, स्पीकर साहब कहां मिलेंगे घर में मिलेंगे, या दफ्तर में मिलेंगे। अब इनके वर्कर, इनके पदाधिकारी, इनके विधायक तो इनको ढूंढेंगे क्योंकि वे उनके दल के नेता भी हैं। सर, वे उनको ढूंढने कहां जाएंगे, तिहाड़ जेल ही जाएंगे क्योंकि कहीं और जगह तो रही ही नहीं। अब तक तो कुछ दिनों के लिए हस्पताल में आकर मिल लिये। लेकिन कोर्ट ने भी कह दिया कि इस तरह कितने दिन तक रहते रहोगे, कितने दिन तक टालते रहोगे। एक दिन तो वहां जाना ही है। वहां आपके साथी आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको उनके बीच में जाकर रहना पड़ेगा। सर, लोगों को नहीं पता था कि ये ऐसे लोग हैं। आज इन्होंने हरियाणा का नाम बदनाम कर दिया। सर, एक खिलाड़ी अनुशासन और चरित्र का प्रतीक होता है। हर आदमी अपने खिलाड़ी बच्चों को कोच को सौंप देता है और उनको सुरक्षित समझता है, चाहे वह लड़की हो या लड़का। सर, आज तो अगर कोच मेल है और अकेली लड़की स्पोर्ट्स पर्सन है तब भी उनके पेरेन्ट्स उस कोच के साथ अपनी लड़की को ट्रैवलिंग करने की इजाजत दे देते हैं। वह यह इजाजत एक विश्वास के नाते देते हैं। उनके पदाधिकारी भी साथ में जाते हैं। कहीं भी जाएंगे, चाहे कोई कॉमन वैल्थ हो, चाहे कहीं एशियन गेम्ज हों, नैशनल गेम्ज हों, कहीं भी गेम्ज हों वहां ये लोग भी जाते हैं। अब उनको क्या पता कि ऐसे लोग भी आगे बैठे हैं। जब लोगों को इनके बारे में पता चलेगा तो अब तक जो कोचिज़ पर भरोसा है अगर इस तरह के लोग उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो वह भरोसा भी धीरे-धीरे उठ जाएगा। सर, जिस तरह की मैनेजमैंट है, इण्डियन ओलम्पिक ऐसोसियेशन है, बॉक्सिंग का तो काम ही खत्म हो गया और ये डेंटिड पेंटिड जो भी हैं इनमें एक ऑल इण्डिया टेबल टेनिस के ऐसोसिएशन का प्रेजीडैंट इन्हीं डेंटिड पेंटिड में 17 साल की सजा भुगत रहा है। टेबल टेनिस का वजन होता होगा 20 ग्राम और खुद का वजन इतना है कि एक ऊंगली टिक जाए तो टेबल टेनिस की बॉल टूट जाए (विघ्न)। सर, इस तरह इतनी भूख तो नहीं रहनी चाहिये। आप देश के लिये करो, प्रदेश के लिये करो, स्पोर्ट्स के लिए करो लेकिन इतनी भूख मत रखो कि देश का नाश करो और युवाओं का नाश करो। सर, इनके समय में युवा वर्ग क्राइम की तरफ जा रहा था। हर युवा कोई चाकू उठा रहा था, कोई बंदूक उठा रहा था, कोई रिवाल्वर उठा रहा था। इल्लीगल ऐक्टिविटीज में लगा हुआ था। मुश्किल से आज मुख्यमंत्री की नीति युवाओं को मुख्य धारा में लेकर आई है। आज कहीं भी हम जाकर देखते हैं तो कहीं कोई सड़क पर दौड़ रहा है, कोई मैदान में दौड़ रहा है, कोई फुटबाल खेल रहा है, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई डिस्कस फैंक रहा है, कोई बॉक्सिंग कर रहा है, कोई गोला फैंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सरकार तो युवाओं को इतनी फैसिलिटीज दे रही है और स्पोर्ट्स नोइंग पर्सन्स बहुत मदद कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के शाहबाद का कस्बा तो आप सब ने देखा है जो आज अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर छा गया है। यह कस्बा छोटा-सा कस्बा और गरीब सा कस्बा है। वे लड़कियां कौन हैं? कोई रिक्शा पुलर की है, कोई छोटी-मोटी परचून की दुकान चला रहा है, काई चपरासी की सर्विस कर रहा है, कोई ड्राईवर की सर्विस कर

रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सभी बच्चे साधारण परिवारों से आए हैं। वे बच्चे लोगों के समर्थन के बिना आगे नहीं बढ़ सकते थे। अब तो सरकार ने उनको पूरा समर्थन दे दिया है। पूरी मदद दे दी है। लोकल लोगों ने उनको पूरा समर्थन दिया और पूरी मदद भी की। स्पीकर सर, मुझे इस खेल को नजदीक से देखने का मौका मिला है। मेरी पत्नी हरियाणा वूमैन हॉकी ऐसोसियेशन की प्रेजीडैंट रही है। हरियाणा में पहली बार वर्ष 1990 में गुड़गांव में नैशनल हॉकी चैम्पियनशिप करवाई गई जिसका लाईव टैलीकास्ट भी किया गया था। वहां पर एक लड़की जिसका नाम प्रीतम ठाकरान था, बैस्ट प्लेयर के तौर पर उभर कर सामने आई और आगे चलकर यह लड़की भारत की हॉकी टीम की कैप्टन बनी। इस बारे में राव धर्मपाल जी अच्छी तरह जानते ही हैं। अब इस लड़की ने सोनीपत में अपनी हॉकी अकैडमी भी खोली हुई है। इस तरह हॉकी खेल के लिए लड़कियां तैयार की गई थीं। उस समय बलदेव सिंह जी जो हॉकी कोच होते थे, मेरे पास मिलने आये और बोले कि प्रो. साहब हमारी आपसे एक छोटी-सी मांग है कि जो हमारी हॉकी खेलने वाली बच्चियां हैं उनको अगर डेली आधा-आधा किलो दूध मिल जाये तो बहुत अच्छा रहेगा। स्पीकर सर, मैंने वर्ष 1992 में अपने कुछ मित्रों को कह दिया कि आप ऐसा करें कि इन हॉकी गेम खेलने वाली बच्चियों को डायरेक्ट मनी ऑर्डर भेज दें ताकि सिस्टम में ट्रांस्पेरेंसी भी बरकरार रहे और पैसे का मिसयूज भी न हो सके। एक साल के अन्दर शाहबाद में हॉकी के खेल में इतनी क्रांति आ गई कि आगे चलकर हॉकी के खिलाड़ियों को कोई सुविधा प्रदान कराने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही खत्म हो गई और लोकल लोग इन खिलाड़ियों की हर संभव सहायता के लिए आगे आकर खड़े हो गये। अब तो सरकार ने भी हॉकी खेलने वाले इन बच्चों को अडॉप्ट भी कर लिया है। स्पीकर सर, आप ही बतायें इन मेहनती बच्चों को जिन्होंने दिन-रात एक करके खेल के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है उन्हें इन भ्रष्ट लोगों के भरोसे कैसे छोड़ा जा सकता है? वह भ्रष्ट लोग खेल से संबंधित इतने बड़े पद पर आसीन हैं जिसका खामियाजा हमारे खिलाड़ियों को भुगतना पड़ सकता है। इनको अपने स्वविवेक से इस पद को छोड़ देना चाहिए। इंटरनैशनल ओलम्पिक कमेटी का फैसला बिल्कुल ठीक है कि जिस देश में खेलों के बड़े पद पर कोई चार्जशीटड्ड व्यक्ति विराजमान है उस देश के खिलाड़ियों को ओलम्पिक में नहीं खेलने दिया जायेगा। इन भ्रष्ट लोगों को खिलाड़ियों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुये इस तरह का पद छोड़ देना चाहिए। देश में चाहे कितने पाप कर लें लेकिन खिलाड़ियों के फ्यूचर को खराब करने का पाप तो न करें? इस पद पर बने रहकर यह भ्रष्ट लोग देश के प्रति पाप भी कर रहे हैं। मैं आपको अखबार में छपे एक संपादकीय को पढ़कर सुनाता हूं जिसमें लिखा है कि :-

"**Olympian shame: Kick out the corrupt**—The editorial 'Kick corruption out' gives a clarion call to the Indians to grab the God-send chance to cleanse the Indian sports, polluted by the unholy nexus between self-serving politicians, bureaucrats and business tycoons, which has brought the Indians sports to the lowest level. We have ample sporting talent and this fact has been proved a number of times in the past."

स्पीकर सर, इस तरह से हम देखते हैं कि सब जमात पर कलंक सा लग गया है। इसमें

[प्रो० सम्पत सिंह]

पालिटिशियंज के बारे में भी कहा गया है तो इस तरह से हम भी शामिल हो गये हैं। वे बिजनेसमैन जिन्होंने स्पोर्टस को अडॉप्ट कर रखा है या जो बिजनेसमैन स्पोर्टस को स्पॉनसर करते हैं वह भी शामिल हो गये हैं, वे ब्यूरोक्रेट्स जो अच्छा काम करते हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। जो यह सब कुछ हुआ है केवल इन भ्रष्ट लोगों की वजह से ही हुआ है जो अपने निजी स्वार्थो के लिए भारत में खेलों से संबंधित उच्च पद पर पदासीन हैं। इन भ्रष्ट लोगों की वजह से जिस तरह आज कुर्ता पायजामा पहनने में डर लगता हैं तो मुझे शक ही कि इन भ्रष्ट लोगों के आचरण की वजह से ओलम्पिक एशोसिएशन कल दूसरे अच्छे लोगों को भी छोडनी पड़ सकती है। इन लोगों की वजह से राजनीतिक लोगों का, ब्यूरोक्रेट्स का तथा बिजनेस आइकॉज का एक नैक्सेस बन गया है । मेरे कहने का मतलब अब यही है कि भ्रष्ट लोगों के काले कारनामों की वजह से ईमानदार व मेहनती पोलिटिशियंज पर भी सवाल उठने लगे हैं। आज कहीं भी कोई बात हो जाती है तो राजनीतिक लोगों पर सबसे पहले सवाल उठने लगते हैं। इस रिपोर्ट में आगे लिखा है कि --

> "The management of sports should be entrusted to experienced sports personalities, who can do full justice to the sports and bring back the glory. It is really shameful that the world's largest democracy has been kicked out of the Olympics because of a handful of corrupt politicians, bureaucrats and business tycoons".

हालांकि ऐसे 2-4 लोग ही हैं। आगे जाकर के थोड़ी बात क्लीयर हो गई । स्पीकर सर, ऐसे 2-4 लोगों की वजह से हमें किक आउट जैसे शब्द सुनने पड़ रहे हैं । इस वजह से हमारी कितनी कंडमनेशन हो रही है। पता नहीं इससे ये लोग क्या निकालते हैं ? अध्यक्ष महोदय, ऐसोसिएशन चलाना या कोई गेम चलाना बहुत ही मुश्किल काम है, यह इतनी आसानी से नहीं चलता है। बहुत सारी जगहों से हैल्प भी लेनी पड़ती है। ये केवल सैल्फ इंट्रेस्ट के लिए ऐसा करते रहें तो इसका मतलब क्या इनका सैल्फ इंट्रेस्ट देश के हित से बड़ा हो गया। (विघ्न)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, चौधरी संपत सिंह जी जो बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड बात मुझे भी कहनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस देश में ऐसा कोई कानून आएगा कि जो लोग किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय पार्टी के महासचिव हैं और जिनको 17 साल की सजा कोर्ट से हो गई हो, ऐसी पार्टियों को खत्म करने का कोई कानून बनाएंगे ताकि आज जो देश में ऐसे लोगों की वजह से बड़ी भारी बीमारी फैल रही है, उसको खत्म किया जा सके या फिर ऐसे लोगों की सदस्यता जल्द से जल्द खत्म की जाए। ऐसी पार्टियों को बाहर किया जाए जिनके अध्यक्ष को 17 साल की सजा हो चुकी हो। मेरा अनुरोध है कि इस बारे में इस सैशन में यदि संभव न हो तो अगले सैशन में अवश्य प्रस्ताव लेकर आएं। इस बारे में सैंट्रल गवर्नमैंट से भी सलाह ली जानी चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

प्रो. संपत सिंह : फौजी साहब, वे लोग तो संविधान को नहीं मानते लेकिन देश में संविधान है, कानून है, कई अड़चनें हैं। कुछ ही लोग हैं जिनके लिए ये बातें लागू होती हैं लेकिन संविधान की आड़ लेकर ऐसे लोग बच भी जाते हैं। ऐसे अपराधियों की वजह से आज दिक्कत आ रही है। अगर कोई भले आदमी हमारे खिलाफ आरोप लगाते तो जरूर हम मान लेते। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि इनको तो हम कोर्ट कचहरी में ही देखेंगे। जैसाकि मैं कह चुका हूं कि आप फौजी हैं और कम फौजी मैं भी नहीं हूं, आखिरी सांस तक इनको छोड़ूंगा नहीं।

सर, आगे इसमें लिखा है-

'The time has come for the IOA (Indian Olympic Association) to come up to the standards of the International Olympics Committee (IOC) to weed out tainted officials from the IOA. The IOC's guidelines are applicable to all the officials the world over and India cannot be an exception. Since the issue has come in the public domain, every right-thinking citizen of India will stand by the good governance concept of the IOC. The country should not allow IOA officials to downgrade Indian dignity and reputation by their actions.'

मैं तो यही चाहूंगा कि अब तो इनका पीछा किया जाए और किसी तरह से गेम्स को इनके चंगुल से बचाया जाए। चाहे हम परसुएशन से बचाएं। वैसे तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस काम को हाथ में लेते हैं और जो काम राष्ट्र व प्रदेश के हित में होता है उसे पूरा करके ही रहते हैं। इसी तरह से इन्होंने कुश्ती का गौरव कायम रखवाया। जिस दिन कुश्ती को ओलिम्पिक गेम्स में जोड़ा गया था, उस दिन दीवाली मनी थी। आपने अखबारों और मीडिया में फोटो देखी होंगी। वरना तो मातम सा छाया हुआ था। ऐसे लोगों के रहते ऐसा हो रहा था लेकिन अब तो वे सस्पैंड हो रहे हैं । मेरा अनुरोध है कि गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के साथ बात करके कोशिश करके इस बारे में कानून बना के उनके माध्यम से इस देश की शान इन गेम्स को बचाया जाए और मैं हाउस के लीडर मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इसका जिम्मा अपने हाथों में लें। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री गोपाल काण्डा (सिरसा) : स्पीकर सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि कल इस महान सदन में मैंने सिरसा नगर परिषद में गड़बड़ी के बारे में जो बात रखी थी, आपने उस पर तुरन्त कार्रवाई करने का जो आश्वासन दिया है उससे पूरे सिरसा नगर में एक खुशी की लहर दौड़ गई है । ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए आपने तुरन्त कार्रवाई की है। मेरे इस प्रस्ताव को आपने मन्जूर किया है इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा । साथ ही यह भी चाहूंगा कि आज जो सिरसा शहर में विकास के कार्य चल रहे हैं उनकी गति थोड़ी धीमी चल रही है एक तो उस गति को थोड़ा बढ़ाया जाए । दूसरे, जो मैंने सिरसा विधान सभा क्षेत्र के कार्यों की लिस्ट आपको सौंपी हैं उस पर भी तुरन्त कार्यवाही करने की कृपा करें। इसके साथ-साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दो-तीन दिनों से अखबारों में एक समाचार को हम पढ़ रहे हैं कि जो ट्रस्टों में घपले हो रहे हैं उनमें से एक ट्रस्ट चौधरी देवीलाल के नाम से जो गऊशाला है वह खाजाखेड़ा गाँव में है जो सिरसा के मेरे गाँव का ट्रस्ट है । उस ट्रस्ट के बारे में अभय सिंह चौटाला ने मेरा नाम लिया है और यह कहा है कि इस गऊशाला का संचालन गोपाल काण्डा कर रहे हैं । यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है और असत्य बात है । अध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत विद्वान और समझदार इन्सान हैं । भारत देश की संस्कृति में गऊ, धरती और गंगा इन तीनों को मां के समान समझा गया है । इन लोगों ने धरती को हड़पने का काम किया है, गऊओं के पैसे खाने का काम किया है और अगर गंगा हरियाणा प्रदेश के अन्दर बहती तो इन्हीं के खेतों में बहती और किसी को उसका पानी नहीं मिलता । मैं इस बात को सबूत के साथ कह रहा हूं कि मेरे को बदनाम करने के लिए अखबारों में मेरा नाम लिया जा रहा है । आज के अखबार में भी यह खबर है कि उस ट्रस्ट का संचालन गोपाल काण्डा द्वारा किया जा रहा है । यह सब मेरे को बदनाम करने की

[श्री गोपाल काण्डा]
साजिश है। मैं इनके किसी भी ट्रस्ट में और किसी गऊशाला के अन्दर भागीदार नहीं हूं । यह ट्रस्ट तो इन्होंने लोगों की आईवाश करने के लिए खोला था ताकि लोगों को लगे कि ये कितने धर्म का काम करते हैं। हकीकत तो यह है कि उस गऊशाला की वर्ष 2007 में ऐसी दयनीय स्थिति थी कि उस गऊशाला में रोजाना दो गायें मरती थी । सिरसा शहर के लोग मेरे पास इकट्ठे होकर आए और कहने लगे कि काण्डा साहब दो गायें रोजाना मर रही हैं उनके लिए आप कुछ करें । जब मैंने वहां जाकर पता किया तो पता चला कि इन्होंने उस गऊशाला के आगे बोर्ड तो चौधरी देवीलाल के नाम का लगा रखा है और ये हर जगह उन्हीं का नाम लेते हैं और उन्हीं के नाम से आज हरियाणा की जनता को बरगला रहे हैं । परन्तु इसके पीछे वे क्या काम कर रहे हैं यह आप सभी को मालूम है । मैंने इसके लिए सिरसा शहर के लोगों को इकट्ठा किया ताकि उस गऊशाला का काम सुचारू रूप से चल सके । सिर्फ मैंने उसमें यही योगदान दिया था कि जो गायें रोजाना मर रही हैं वे बच सकें। उस समय के उस गऊशाला के सैक्रेटरी श्री सूरत सिंह सैनी ने मुझे बताया था कि काण्डा साहब जो गऊओं का चारा और गुड आता है उसको भी ये लोग ले जाते हैं । एक रुपया भी इन्होंने आज तक उसके लिए नहीं दिया और बहुत मजे की बात तो यह है कि जो गऊओं का गोबर होता है उसको भी अजय सिंह चौटाला ने वहां आकर यह कहा कि भाईयों यह गोबर हमारे फार्म पर भेज देना यह खाद के लिए काम आयेगा । सर, ये लोग तो गऊओं का गोबर तक ले गये और क्या-क्या मैं इनके बारे में आपको बताऊं

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, may I humbly say that this is a serious issue that is being debated. What my learned friend is saying is quite right but this is an issue relating to Indian Olympic Association and its suspension. My request is that there will be demands and my learned friend can speak on those.

श्री गोपाल काण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इन गऊशालाओं में क्या क्या धांधलियां हुई हैं उसके बारे में लोगों को पता चले और सिरसा गऊशाला में क्या क्या धांधली हुई है उनके बारे में पूरी इंक्वायरी की जाए कि इन लोगों ने उसमें क्या-क्या गड़बड़ी की है ? धन्यवाद ।

श्री आनन्द सिंह दांगी (महम) : धन्यवाद स्पीकर सर । जो प्रस्ताव श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की तरफ से इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन के बारे में आया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है । यह देश और प्रदेश के मान-सम्मान से जुड़ा हुआ है। देश के उन जवानों के हाथों में जिन्होंने दिन-रात मेहनत करके अपने शरीर को तपाकर और पसीना बहाकर इस देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है । आज उन नौजवानों को अपने देश का नाम और देश का झण्डा उठाने में भी मुश्किल आई है । किसी भी देश, प्रदेश और किसी भी समाज की डिवैल्पमैंट, उसके नाम और उसकी प्रगति के लिए दो ही रास्ते होते हैं शिक्षा और खेल । हर व्यक्ति चाहता है कि अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छा भविष्य बनाएं, अच्छा अधिकारी, आई.ए.एस., आई.पी.एस. और एच.सी.एस. बने । अध्यक्ष महोदय, आज के जमाने में खेलों के माध्यम से जो प्रतिभाएं उभर कर आई हैं उन्होंने जिस प्रकार से देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है, मैं समझता हूं उसमें हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बड़ा साथ और सहयोग रहा है । पहले कहा जाता था कि पढोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब । यह अच्छी बात है कि जो व्यक्ति

पढ़ता है वह अच्छा भविष्य लेकर सामने आता है, अच्छा अधिकारी बनता है और देश और प्रदेश की सेवा करता है । जहां तक खिलाड़ियों की बात है तो उनको पहले ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता था। गरीब घरों के बच्चे होते थे और अच्छी तरह से मेहनत करने की कोशिश करते थे लेकिन उनको अच्छी खुराक नहीं मिल पाती थी और सरकार की तरफ से प्रोत्साहन नहीं मिलता था इसी वजह से ऐसी प्रतिमा दब कर रह जाती थी । आज जिस प्रकार से चाहे कॉमनवैल्थ गेम्ज हों, एशियन गेम्ज हों या ओलिम्पक गेम्ज हों उसमें विशेष रूप से हमारे हरियाणा प्रदेश के नौजवानों ने, हमारे भाइयों ने और हमारी बहनों ने जिस प्रकार से अपनी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है यह हमारे लिए बड़े फख्र और गर्व की बात है । आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे खेलों की तरफ निकलते हैं उनका हर प्रकार से भविष्य सुरक्षित है । हमारे प्रतिभाशाली नौजवान अपनी प्रतिभा से एशियन गेम्ज में, कॉमनवैल्थ गेम्ज में और ओलिम्पक गेम्ज में मैडल जीतकर मिन्टों में लखपति और करोड़पति हो गए। डी.एस.पी. और क्लास -1 जैसे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री ने उन बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए उनके भविष्य को हर प्रकार से आगे बढ़ाते हुए और आगे के भविष्य को सुरक्षित करते हुए जो कार्य किया है वह इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मिसाल है । कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों के कारनामों की वजह से और कुछ लोगों के भ्रष्टाचार की वजह से, चरित्रहीनता की वजह से उन बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। आज देश और प्रदेश के नाम को कलंकित करने का काम किया जा रहा है । ऐसे व्यक्ति में अगर थोड़ी सी भी गरिमा है तो उनको सोचने की आवश्यकता है । जिनके खिलाफ चार्जशीट है और जो लोग आज जेलों में हैं वे जोर जबरदस्ती करके इंडियन ओलिम्पक संघ का प्रधान बने बैठे हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को समाज में रहने नहीं देना चाहिए और राजनीति में तो बिल्कुल नहीं रहने देना चाहिए । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह बात संविधान में आ जानी चाहिए कि ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का हक नहीं है । मैं तो इस बात के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं कि उन्होंने एक फैसला दिया है कि जो इस प्रकार के लोग हैं और जिनको दो साल की सजा हो गई है उनको इलैक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है । पता नहीं किस तरह से हमारी सरकार ने उस रैजोल्यूशन को कैंसिल करने की कोशिश की है, शायद मैं गलत बोल रहा हूं । चाहे सामाजिक बात हो, राजनैतिक बात हो, समाज में रहने की बात हो, हर मामले में ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए । जब तक यह रोक नहीं लगेगी तब तक न यह समाज आगे बढ़ सकता है और न ही देश और प्रदेश उन्नति कर सकता है और न अपना नाम आगे बढ़ा सकता है। यह सब एक आदमी की वजह से है । अध्यक्ष महोदय, हम कहते हैं कि हमारा तिरंगा झंडा ऊंचा रहे। कहीं भी कोई फंक्शन या प्रोग्राम होता है चाहे गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो या कोई भी अच्छा कार्य किया जाता है तो तिरंगा झंडा फहराया जाता है । जो नौजवान ओलिम्पक में गए और एशियन गेम्ज में मैडल जीतकर आए उन्होंने हमारा सिर फख्र से ऊंचा कर दिया । जब तीन झंडों के बीच में हमारा तिरंगा झंडा सबसे ऊपर जाता है तो हमें बड़ा गर्व होता है ।

अध्यक्ष महोदय, आज इन लोगों की वजह से किसी भी प्रकार की गेम्ज में चाहे एशियन गेम्ज हों, चाहे ओलम्पिक गेम्ज हों उनमें हम अपना तिरंगा झण्डा नहीं उठा सकते हैं, इससे नीचे की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और ये जो खेल एसोसियशन वगैरह हैं या खेल संघ हैं इनको यही कहना चाहता हूं कि इनका क्लीयरकट रेजोल्यूशन होना चाहिए कि जो व्यक्ति दागी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, क्रिमिनल केसिज के अंदर इनवोल्व हैं उन लोगों को इस तरह के संघों का प्रधान बनने पर निश्चित रूप से ब्रेक लगना चाहिए । ऐसे संघों

[श्री आनन्द सिंह दांगी]

के प्रधान बनने पर दागी लोगों पर रोक लगनी चाहिए यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । यह सारे देश की इज्जत का और हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसके साथ-साथ हमारी बहन-बेटियों के मान-सम्मान का भी सवाल है । बेहूदे लोग जिनको कोई शर्म, लाज और नैतिकता नहीं है ऐसे लोग इतने बड़े महत्वपूर्ण पदों पर बैठ जाते हैं, यह बहुत गलत बात है । किसी एसोसियेशन का प्रधान या आई.ओ.ए. का प्रधान बनना कोई लोकप्रियता की बात ही नहीं है यहां भी ये लोग भ्रष्टाचार के हिसाब से प्रधान बन जाते हैं । इस तरह के लोग मैंबरों को अपनी तरफ करने के लिए पैसे देते हैं और ऐसे पदों पर काबिज हो जाते हैं । अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की वजह से यह सब कुछ हुआ है उनको इस देश और प्रदेश के बच्चों के भविष्य के लिए, देश की शान और लाज के लिए, तरक्की तथा स्वाभिमान के लिए अपने आप पद छोड़कर साइड में हो जाना चाहिए । इस तरह के पदों पर बहुत अच्छे करैक्टर के लोगों को सामने आना चाहिए । जैसा कि सम्पत सिंह जी ने कहा कि इन लोगों ने राजनैतिक समाज, ब्यूरोक्रेट्स, खेलों के समाज और देश को कलंकित करके रख दिया है । मैं यही कहना चाहता हूं कि केवल इन 2-4 लोगों की वजह से पूरे समाज को ऐसी बातों को क्यों भोगना पड़ता है ? यह देश ऐसे लोगों का नहीं है जिनकी वजह से देश की बदनामी हो रही है । यह देश स्वतंत्रता सेनानियों का देश है जिन्होंने जेलों में रहकर यातनाएं सहकर और दुख उठाकर देश को आजादी दिलाई । हमारे स्वतंत्रता सेनानी जेलों में रहे और उनके परिवारों ने दुख तकलीफें उठाते हुए अपना गुजारा किया । यह सबको मालूम है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी जेलों में रहे, लाठियां और गोलियां खाई तब जाकर देश को आजादी मिली है, लेकिन आज कुछ लोगों की वजह से यह बदनामी होने लग रही है, यह ठीक बात नहीं है। वे लोग अपने को जनता का प्रतिनिधि और सामाजिक भी कह रहे हैं । ऐसे लोगों को जनता के बीच में जाने का हक नहीं होना चाहिए । जनता को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि उन्हें किस तरह के लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए ? अध्यक्ष महोदय, चाहे हम यहां विधान सभा में बैठे हैं या हमारे साथी पार्लियामैंट में बैठे हैं हम सभी अपने हल्के की जनता के कस्टोडियन हैं । उनके दुख-सुख और विकास हमारे साथ निहित हैं । हमारे जो खेलने और पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य सुनिश्चित करने का फर्ज और दायित्व हमारा बनता है । मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आज नैशनल गेम्ज में भी प्रदेश का जो खिलाड़ी मैडल लेकर आता है उसको पूरा गांव सम्मान के साथ उठाकार गांव में स्वागत करता है लेकिन 8-9 साल पहले ऐसा नहीं होता था। यह सब कुछ हमारी सरकार की जो खेल नीति है उसकी वजह से संभव हुआ है । हमारी खेल नीति खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने वाली है और उनके भविष्य को सुरक्षित करने वाली है । हमारी सरकार ने गांव-गांव में खेल स्टेडियम बनाये हैं । सर, एक कहावत है कि sound mind in a sound body यानि जिस बच्चे का शरीर ठीक होगा उसकी बुद्धि भी ठीक काम करेगी, बुद्धि ठीक काम करेगी तो अच्छा पढ़-लिख जायेगा, अच्छा पढ़-लिख जायेगा तो अच्छा नौजवान बनेगा, अच्छा अफसर बनेगा और अच्छा खिलाड़ी बनेगा । हमारी सरकार ने प्रदेश के नौजवान को हर प्रकार से अपनी सेहत को ठीक करने के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान किया है जिसके तहत अच्छी डाईट दी है, अच्छे प्रोत्साहन दिये हैं, करोड़ों रुपये के ईनाम दिये हैं, डी.एस.पी. और दूसरे अच्छे-अच्छे पद दे करके उनको उत्साहित किया है। इस प्रकार की बातों के लिए जो आज ये रेजोल्यूशन आया है जिसमें आई.ओ.सी. ने दागी नेताओं की वजह से आई.ओ.ए. की मान्यता को ही रद्द कर दिया है । जिससे हमारे देश के बच्चों के लिए यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या पैदा हो गई है जिसकी वजह

से अब उन्हें यह सोचना पड़ेगा कि उन्हें किस देश के झण्डे के नीचे खेलना है ? आबादी के लिहाज़ से भारतवर्ष दुनिया का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि हिन्दुस्तान के बच्चे दूसरे देशों का मुंह ताकेंगे कि हमें कौन सा देश अपने झण्डे के नीचे खेलने की अनुमति देगा । यह शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जिनकी वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता है, देश के नौजवानों के प्रति अगर उनके दिल में थोड़ा सा भी लगाव है तो उनको इस बात पर विचार करके एकदम से इस पद को छोड़ देना चाहिए और हमारे देश के अच्छे भविष्य के लिए सब कुछ अच्छा ही करना चाहिए । कुर्ता पायजामा की बात सम्पत सिंह जी बार-बार कहते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमको कुर्ता पायजामा इस प्रकार से पहनना चाहिए कि लोग अच्छी नज़र से हमारी तरफ देखें । हमें ऐसे कर्म करने चाहिएं जिनकी वजह से हम शान और इज्जत के साथ लोगों के बीच में जाकर खड़े हो सकें । हर प्रकार से मान-सम्मान के साथ चल सकें । कुछ छोटी सोच वाले लोगों की वजह से हमें कुर्ता पायजामा पहनना नहीं छोड़ना चाहिए । छोटी सोच के लोग अगर हम पर कोई झूठा इल्जाम लगा दें तो भी हमें कुर्ता पायजामा पहनना नहीं छोड़ना चाहिए । (विघ्न) स्पीकर सर, मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो प्रस्ताव आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ से आया है मैं इसका पुरज़ोर समर्थन करता हूं और आशा रखता हूं कि जिन लोगों की वजह से इस देश और प्रदेश को ऐसा वक्त देखना पड़ा है वो अपने अंदर झांकेंगे और अगर उनकी आत्मा है वे उसको टटोलकर उसकी आवाज़ के मुताबिक अपना काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

श्री अनिल धंतौड़ी (शाहाबाद मारकण्डा)(अ.जा.) : स्पीकर सर, आपने मुझे आज इस सदन में प्रस्तुत हुए प्रस्ताव पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद । सर, जो आज एक प्रस्ताव माननीय मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी लेकर आये हैं इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं । सर, मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूं इसलिए हिन्दुस्तान के खिलाड़ियों के भविष्य पर जो एक प्रश्नचिन्ह लग गया है उसके लिए हम सबको मिलकर सोचना होगा और कोई न कोई कठोर डिसीज़न लेना होगा जिसके कारण आज पूरा हिन्दुस्तान आहत हुआ है । इससे युवाओं और खिलाड़ियों के दिलों को गहरी चोट पहुंची है । आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 121 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और खासकर हरियाणा प्रदेश जहां हम और आप हैं तो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने समय-समय पर जब भी ज़रूरत पड़ी चाहे वह खेलों की बात हो या किसी भी दूसरे क्षेत्र की बात हो अपना 100 परसैंट देने की कोशिश की । पिछले दिनों हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलम्पिक में और राष्ट्र मण्डल खेलों में अपने आपको रिप्रेजेंट किया है । वे विभिन्न खेलों में अनेक मैडल लेकर आये हैं । आज एक व्यक्ति जिसके बारे में यह सदन भी जानता है और हरियाणा प्रदेश के लोग भी जानते हैं, प्रैस लॉबी में बैठे हमारे प्रैस के भाई भी जानते हैं कि वे व्यक्ति जब सामने वाली सीट पर आकर बैठते हैं तो उनका आचरण कैसा होता है और उनके बोलने का तरीका क्या होता है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि जब वे सदन में किसी को नहीं बख्शते तो इस सदन से बाहर उनका कैसा व्यवहार रहता होगा इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है । इस बात को हरियाणा के लोग बखूबी जानते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, इंडियन ओलम्पिक ऐसोसिएशन के अध्यक्ष के पद पर उनका खुद का चुनाव करवा लेने के कारण आज शर्म से हमारा सिर नीचा है क्योंकि इंटरनेशनल ओलम्पिक कमेटी ने उसको मान्यता नहीं दी है, यह हमारे लिए और हिन्दुस्तान के लिए शर्म की बात है । अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इसके प्रति एक्शन लें, इस बारे में जो भी बन पड़ता है

[श्री अनिल धंतौड़ी]

वह कीजिए । मेरा हाउस में उपस्थित सभी सदस्यों से भी यह अनुरोध है कि वे एकजुट हो कर इसके प्रति आवाज उठायें ताकि हिन्दुस्तान के खिलाड़ियों और हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों के भविष्य पर जो तलवार लटक रही है उसका कोई समाधान निकल सके । अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के मुख्य मंत्री माननीय श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने खिलाड़ियों के लिए एक नीति बनाई और यह नीति यह है कि जो भी खिलाड़ी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलम्पिक में पदक लेकर आयेगा उसको इनाम से नवाजा जायेगा । यह काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने करके भी दिखाया है । प्रो. सम्पत सिंह जी ने कहा कि शाहाबाद का हॉकी में बहुत बड़ा नाम है और मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं शाहाबाद विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ मैं वहाँ से चुन कर आया हूँ । मेरे दिल को इस बात से बहुत बड़ी ठेस पहुंची कि ओलम्पिक में हमारे देश के खिलाड़ी नहीं जा सकेंगे । शाहाबाद से महिला हॉकी की पूर्व कप्तान सुरेन्द्र कौर को माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा डी.एस.पी. नियुक्त किया गया है । इसी तरह से सन्दीप सिंह को भी डी.एस.पी. नियुक्त किया गया है । वर्तमान में भी महिला हॉकी टीम की कप्तान रीतू रानी भी शाहाबाद से ही संबंध रखती हैं । मुझे उन सब पर गर्व है । अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक राज्य स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का बॉक्सिंग का खिलाड़ी रहा हूँ। एक तरफ तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए खेल नीति बनाई जिसके कारण आज हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करके पदक ला रहे हैं। दूसरी तरफ जो इस तरह के लोग हैं जिनका व्यक्तित्व व आचरण बहुत ही खराब है और अगर इस तरह के आचरण वाले लोग इन पदों पर बैठते हैं तो उनकी वजह से यह देश तरक्की नहीं कर सकता । अध्यक्ष महोदय, अंत में मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आने वाले दिनों में इस तरह के लोगों का बहिष्कार करें और यह सदन उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करे ।

श्री आफताब अहमद (नूंह) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस रैजोल्यूशन पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद । अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की जनता ने जहां आजादी प्राप्त की वहीं खेलों के सन्दर्भ में भी मैं कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान का बहुत लम्बा सफर रहा है। खेलों में हमारे बहुत से आदर्श हुये हैं । हॉकी में मेजर ध्यानचंद का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है । उनके समय में रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती थी और न ही टी.वी. पर प्रसारण होता था लेकिन उन्होंने हिन्दुस्तान के खेल प्रेमियों के दिल में अपना स्थान बनाया हुआ है । इसी तरह से सरदार मिल्खा सिंह जिन्होंने कोई पदक तो नहीं जीता केवल भारत का प्रतिनिधित्व किया था, उनका नाम भी मैं नहीं समझता कि हिन्दुस्तान का कोई युवा खेल प्रेमी नहीं जानता होगा । शायद ही कोई खिलाड़ी हो जो उनके नाम से परिचित न हो । उनसे प्रेरणा लेकर आज फिल्में बन रही हैं जो कि कामयाब

11.00 बजे

हो रही हैं। इसी तरह से असलम शेर खां ने एक गोल किया था उसकी वजह से उन्हें ऐसी ख्याति मिली कि हिन्दुस्तान में उनको सांसद तक चुना गया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश के खेल जगत में जिन्होंने वक्त-वक्त पर अपना लोहा मनवाया या प्रेरणा ली वही आज हिन्दुस्तान के नौजवानों को, खिलाड़ियों को और उस संस्था को काबू करके अपने मन माने तरीके से उस चीज को चलाना चाहते हैं चाहे उसमें खिलाड़ियों का नुक्सान हो, चाहे उनको पार्टिसिपेट न करने दिया जाए। वह अपनी जिद और अपने चरित्र के तहत इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन पर कब्जा करना चाहते हैं। वह न कभी खिलाड़ी रहे, न उनको किसी खेल से मतलब है। सर, हिन्दुस्तान एक ऐसा युवा देश है जिसमें आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा हैं। जैसा कि दांगी साहब ने कहा कि पहले लोगों की एक सोच बनी हुई थी कि पढ़ोगे

लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने एक नया नारा कायम किया है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे कामयाब। आज इस देश के युवाओं को इतनी बड़ी दिशा दी गई है कि खेल के प्रति रूचि रखने से कामयाब होते हैं और खेल में जो लोग अपना लोहा मनवाते हैं उनका भविष्य बनता है। आज कुछ दागी लोग यह चाहते हैं कि हम खेलों के लिये नहीं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये अपने को इन पदों पर बैठाए रखें। मैं यहां सरकार का, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का और सबका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यह प्रस्ताव लाकर इस बात को सदन के सामने रखा। सर, हम यही कहना चाहते हैं कि किसी की मनमानी, किसी की जिद्द, किसी की बदनीयती की वजह से हजारों लाखों खिलाड़ियों का भविष्य अन्धकार में न डाला जाए। उनके जो सपने हैं, उनके जो मनसूबे हैं, उनको पूरा करने के लिये इसमें जो सुनिश्चित कानून हो सकता है वह लेकर आएं। जिससे कि उनको अपने खेलों में जो रुचि है, जो उमंग है, जो उत्साह है उसमें कोई कमी न हो और आगे चलकर हिन्दुस्तान का जैसे अब खेलों में नाम आने लगा है भविष्य में भी आता रहेगा। हरियाणा के लिये तो और भी फख्र की बात है कि जब मैडलों की सूची देखी जाती है तो उस सूची में सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा के होते हैं। यह देख कर हमें फख्र महसूस होता है। दूसरी तरफ हरियाणा का एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसी कुर्सी पर बैठकर यह सोचता हो कि मेरे ऊपर दाग होते हुए भी मैं इस पर चिपका रहूं, इस पर बैठा रहूं ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं होगा। स्पीकर सर, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यही कहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों के लिये कोई ऐसा कानून होना चाहिये जिससे वह अपनी जिद की वजह से, अपनी बेईमानी की वजह से ऐसी कुर्सियों और पदों पर टिके न रहें। धन्यवाद।

श्री नरेश कुमार (बादली) : स्पीकर सर, हमारे मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो प्रस्ताव लेकर आए हैं वह लोकहित में है जिसके लिये मैं इनका धन्यवाद करता हूं क्योंकि यह बहुत जरूरी भी था । अध्यक्ष महोदय, आज कुछ ऐसे स्वयंभू लोग ऐसे पदों पर जमे हुए हैं और दूसरों को यातनाएं देते हैं । सर, तीन दिन पहले मैंने अखबार पढ़ा तो अखबार में एक स्वयंभू पदाधिकारी जो खुद ही पद ग्रहण करके अपनी ही पीठ थपथपाता है और पीठ थपथपाकर उस कुर्सी पर ऐसे चिपक गया जैसे फैविकोल से चिपका रखा हो। मैं सदन और हरियाणा प्रदेश की जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं एक-एक खिलाड़ी से मिलूंगा और उनसे सम्पर्क करके सलाह मशविरा करूंगा कि अगर उसने खुद पद नहीं छोड़ा तो उसको उखाड़ कर फेंकूंगा। उसमें नैतिकता तो बची नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज वह एक होनहार खिलाड़ी बिन्द्रा को कहता है कि आप न्याय की बात करते हो तो अपने पिता को पहले घर से निकालो। सर, पिता पुत्र दोनों दागी हैं। ऐसे लोग जो यातनाएं देते हैं, वह दूसरों को समझ दे रहे हैं और खुद इतने बड़े दागी हैं। अब तो और दाग लगने की भी जगह नहीं है। अगर कहीं और दाग लगा तो दाग पर ही दाग लगेगा। कोई जगह बाकी बची ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस तरह के लोगों से आज इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि दूसरों को शिक्षा देने से पहले आप अपने पिता जी की तरफ देखो जिसको 17 साल की कैद हुई है। जेल में जाते ही ओम प्रकाश चौटाला बहाने बनाने लग जाता है और कोर्ट से गुहार लगाने लग जाता है कि मैं बीमार हूं, मैं विकलांग हूं, मैं उठ नहीं सकता या मैं बैठ नहीं सकता लेकिन जैसे ही वह जेल से बाहर इलाज करवाने के लिए अस्पताल में लाया जाता है तो कहता है कि मैं राजनीति करने के लिए तैयार हूं। जब कॉमनवैल्थ गेम्ज चल रहे थे या वर्ल्ड कप हो रहा था या चाहे दिल्ली में टूर्नामैंट हो रहे थे या फिर लड़कियों के बॉक्सिंग गेम हो रहे थे तो इन गेम्ज में हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की खेल नीति की चमक साफ दिखाई दे रही थी। जब भारत के खिलाड़ी

[श्री नरेश कुमार]

विदेशों मे हारकर आते थे तो बहुत बुरा लगता था लेकिन चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की पाक-साफ खेल नीति के फलस्वरूप अच्छे खिलाड़ी चुने गये और उन्होंने विदेशी खिलाड़ियों को हराकर अपना लोहा मनवाया और पूरी दुनिया में अपने देश, प्रदेश और हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम रोशन किया। मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश से भेजी गई टीम को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि तुम जाओ और हरियाणा प्रदेश और अपने देश का नाम रोशन करो। तुम्हारे भविष्य की चिंता मुझे है। तुम अपने खेल पर ध्यान लगाओ। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदुस्तान को प्राप्त टोटल 38 मैडल में से 22 मैडल अकेले हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने ही जीते थे। यह और कुछ नहीं बल्कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की पाक-साफ खेल नीति का ही परिणाम था। मुख्यमंत्री जी ने इन खिलाड़ियों को करोड़ों रुपये देकर उनको डी.एस.पी. जैसे बड़े पदों पर आसीन करके उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाया। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) आज मुख्यमंत्री जी के महान् कार्यों की वजह से हरियाणा प्रदेश, देश और दुनिया का गौरव बन गया है। स्पीकर सर, यह विपक्ष के स्वयंभू लोग खुद अपने आप पर ही बोझ बने हुए हैं। यह लोग सदन के बाहर लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं। अध्यक्ष महोदय, किसी फील्ड या ट्रेड में उसी व्यक्ति को प्रधान बनाया जाता है जो उस फील्ड में विशेष योग्यता रखता हो। इसी तरह से अगर किसी को खेलों को बढ़ावा देने वाली उच्च संस्था भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का प्रधान बनाया जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसने खेलों के लिए कुछ किया होगा या उसने किसी खेल में पारंगता हासिल की होगी। अगर यह विपक्ष के सदस्य सदन में उपस्थित होते तो मैं उनमें से संबंधित पर्सन से व्यक्तिगत नाम लेकर पूछता कि क्या उसने पूरे जीवन में स्टेट लैवल पर, ब्लॉक स्तर पर, गांव के स्तर पर, गितवाड़े में यहां तक की गली में कभी गिंदू (गेंद) लेकर, खुलिया लेकर या फिर किसी जगह तीन लकड़ियां गाढ़कर (विकेट जमाकर) क्रिकेट खेली है? नहीं खेली है। इस आदमी को कभी अपने जीवन में किसी खेल में कोई प्लास्टिक का गिलास भी मिला हो तो मैं आज इस सदन के माध्यम से यह घोषणा करता हूं कि मैं सारी उम्र गुलामी करने के लिए तैयार हूं। (हंसी) इस तरह के स्वयंभू लोग प्रदेश का भट्ठा बिठाने पर तुले हैं और कुर्सियों पर जबरदस्ती चिपके हुए हैं। स्पीकर सर, मेरा आपसे नम्र निवेदन और प्रार्थना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये। हमारे मुख्यमंत्री जी की नीति बड़ी साफ है कि "जो जैसे कर्म करेगा, वैसे ही फल पायेगा"। स्पीकर सर, मेरा भी तो यही विचार है कि "बोये पेड़ बबूल का तो आम कहां से होये" इन लोगों की जगह तो जेल है इसलिए स्पीकर सर, बिना देरी किये इनको जल्द से जल्द इनके निश्चित स्थान "जेल" भेजा जाये और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ महीनों से पूरा देश और देश के सारे खिलाड़ी एक ज्वलंत समस्या से जूझ रहे हैं। जब यह समाचार आया कि कुश्ती को ओलम्पिक खेलों से बाहर कर दिया गया है तो हमारे देश और प्रदेश के खिलाड़ियों को बहुत गहरी निराशा हुई। ओलंपिक में सबसे पुराना खेल कुश्ती रहा है और इसी तरह हमारे हरियाणा प्रदेश की संस्कृति में भी कुश्ती सबसे अहम खेल है, उसको ओलम्पिक से बाहर करने की समस्या से हमारे खिलाड़ी जूझ रहे थे। कुछ दिन पहले देश के प्रधान मंत्री ने, देश के खेल मंत्री ने इस बारे मे प्रयास किया। हमने भी पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को मिले, खेल मंत्री को मिले और खुद आई.ओ.सी. में पत्र लिखा कि भई ये हमारा खेल है और यह दुनिया का सबसे पुराना खेल है इसको ओलम्पिक में शामिल किया जाए और वह शामिल हो गया। यह बड़ी खुशी की बात है। आपने कुछ दिन पहले

देखा होगा कि इस बारे में खिलाड़ी सुशील कुमार का बयान था, जिनकी भी खेल से भावनाएं जुड़ी होती हैं या जो भी खिलाड़ी हैं उन्होंने इस पर खुशी का इजहार किया लेकिन साथ ही साथ एक और बयान आया कि ओलम्पिक में तो कुश्ती शामिल हो गई लेकिन भारत ओलम्पिक में भाग नहीं ले सकता। जब मैंने खिलाड़ियों का यह बयान पढ़ा तो मुझे बहुत हैरानी हुई, तकलीफ हुई कि जो खिलाड़ी दिन रात एक करके अपने देश की प्रतिष्ठा के लिए, प्रदेश की प्रतिष्ठा के लिए मेहनत कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि हम ओलम्पिक के गेम्स में अपने देश का नाम ऊपर ले जाएंगे लेकिन जब वे देखेंगे कि ओलम्पिक गेम्स में हिंदुस्तान भाग नहीं ले सकता तो उन्हें बहुत दुख होगा। अध्यक्ष महोदय, आई.ओ.सी. के ऐथिक्स के अनुसार वे इस बारे में अपना प्रस्ताव पास नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आज सदन में इस बारे में प्रस्ताव लेकर आए हैं । आज यह भी विचारणीय विषय है कि यह प्रस्ताव आज हरियाणा की विधान सभा में क्यों आया है, आज सारे देश की भावना एक ही बात पर टिकी हुई है कि यह जो 121 करोड़ लोगों का देश है आया वह ओलम्पिक्स में हिस्सा ले सकेगा या नहीं ? आज हरियाणा विधान सभा में इस बारे में जो प्रस्ताव आया है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं लेकिन देश के लोगों की और देश के खिलाड़ियों की यह भावना है कि हमारे देश के ओलम्पिक गेम्स में भाग न लेने के पीछे सबसे बड़ी रुकावट जो है, वह बदकिस्मती से हमारे सदन का एक सदस्य है जिसने कि अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को देश की प्रतिष्ठा से ऊपर रखा हुआ है। वह कहता है कि देश एक तरफ है और मैं एक तरफ हूं। जैसे कि भाई नरेश शर्मा चर्चा कर रहे थे कि कॉमनवैल्थ गेम्स में 38 में से 22 गोल्ड मैडल हमारे हरियाणा प्रदेश के खिलाडियों ने जीते, इससे हमारा सिर गौरव से ऊंचा हो गया। यदि हरियाणा कोई देश होता तो वह पूरे वर्ल्ड में इस मामले में चौथे या पांचवें नंबर पर आ जाता । हमारे खिलाड़ियों ने 38 में से 22 गोल्ड मैडल जीते तो आम चर्चा हो गई कि अब हिंदुस्तान औलिम्पक में भी नाम रौशन कराएगा लेकिन बाद में जो गैंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसका कि आई.ओ.ए. पर कब्जा है उसमें आपने देखा कि कॉमनवैल्थ में क्या क्या घपले हुए, इंक्वायरी हुई और आज वे लोग जेल में पड़े हुए हैं। इससे देश के लोगों और विदेश के लोगों के दिलों में यह बात आ गई कि जब कॉमनवैल्थ गेम्स में ये हालत है तो आई.ओ.सी. में ये लोग क्या करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं स्वयं एक खिलाडी रहा हूं और मैं राष्ट्रीय स्तर की तो बात नहीं करता लेकिन अपने स्कूल में मैं बॉक्सिंग का चैम्पियन रहा हूं, यूनीवर्सिटी में लॉन टेनिस का चैम्पियन रहा हूं और देश के स्तर पर भी मैं बुर्जुगों में वृद्धों में जो 60 साल से ऊपर के वैट्रन होते हैं, उनको मैंने टर्की में तीन साल पहले रिप्रजैंट किया था, उसमें उनका मैं हिंदुस्तान की तरफ से नुमाइंदा बनकर गया था क्योंकि खिलाड़ियों की भावनाओं को मैं समझता हूं। उनके पेरैंट्स की भावनाओं को मैं समझता हूं । लेकिन यहां पर ऐसी स्थिति क्यों हुई ? मेरा कोई किसी से द्वेष नहीं है । खासतौर पर जो अभी चर्चा की इस विधान सभा के सदस्य है जिन्होंने इण्डियन औलैम्पिक एसोसिएशन में कब्जा करने की साजिश की है उसके बारे में उनसे मेरा सवाल है । दूसरा उदाहरण यह है कि जो यहा पर चौधरी देवीलाल ट्रस्ट की बात चल रही है, उसमें किस तरह से उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया वह आपके सामने हैं । किस तरह से उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके करोड़ों-करोड़ों रुपयों की जमीन को हड़प लिया? वर्ष 1999 से पहले इनके परिवार का एक भी सदस्य किसी भी स्पौर्ट्स एसोसिएशन में हो तो आप बता दें । जब से वर्ष 1999 में इनकी सरकार आई है उसके बाद किसी ने बॉक्सिंग एसोसिएशन पर कब्जा कर लिया, किसी ने टेबल टेनिस एसोसिएशन पर कब्जा कर लिया और एक भाई ने इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन पर कब्जा कर लिया । यह सत्ता का दुरुपयोग नहीं था तो

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

और क्या था ? वहां पर इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन में आज गैंग बनी हुई है और पूरा देश इस बात को देख रहा है कि वे कैसे लोग हैं । ये हमारे विपक्ष के लोग डैंटिंग पेंटिंग हैं और इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन के लोग तो डैंटिड, पेन्टिड और टेन्टिड हैं । अगर यह एसोसिएशन ऐसी है तो हमारे खिलाड़ियों का क्या होगा ? खास तौर से जैसे दांगी साहब ने कहा कि sound mind is a sound body. हरियाणा प्रदेश देश का पहला प्रदेश है जिसने यह नीति अपनाई है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश ने खेल नीति बनाई उसके तीन पहलू हमने बनाये । पहला तो हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया । इन्फ्रास्ट्रक्चर हमने उन गांवों में दिया जहां पर प्रतिभाएं छिपी थी । हमने 250 के करीब गाँवों में स्टेडियम बनाये ताकि उन प्रतिभाओं को उभरने का मौका मिले और बच्चों का ध्यान कन्सट्रक्टिव हो और उनकी inclusive personality का डिवैल्पमैंट हो। हमने बच्चों की प्रतिभा की पहचान के लिए प्रदेश में स्पैट टैस्ट की शुरुआत की । अध्यक्ष महोदय, जिस दिन स्पैट टैस्ट शुरु किया था उस दिन 70 हजार बच्चों की ऑन लाइन एप्लीकेशंज आईं और ग्राउंड पर लगभग 40 हजार बच्चे आए । जो बच्चे स्पैट क्लीयर करते हैं, उसमें हमने पांच हजार बच्चों के लिए स्कॉलरशिप रखी है । आठ से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को हम 1500 रुपये प्रति माह देते हैं लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है कि उन खिलाड़ियों को महीने में 22 दिन ग्राउंड में आना ही पड़ेगा । इसी प्रकार से 14 से 19 वर्ष तक के बच्चों को हम 2000 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप देते हैं और उनकी भी यही कंडीशन होती है कि उन बच्चों को महीने में 22 दिन ग्राउंड में आना पड़ेगा । यह स्कॉलरशिप हम हर साल पांच हजार बच्चों को देते हैं । पहली बार 40 हजार बच्चों ने स्पैट का टैस्ट दिया था लेकिन आज मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दूसरा जो टैस्ट हुआ उसमें तकरीबन 20 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया जबकि हरियाणा एक छोटा सा प्रान्त है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक छोटा बच्चा खेलने आता है तो उसके साथ में उसके मां-बाप भी साथ में ग्राउंड में आते हैं और बच्चों का खेल देखते हैं । इसके लिए एक कन्सट्रक्टिव सोसायटी काम करती है । हमारे पड़ौसी प्रदेश में क्या हो रहा है वहां पर ड्रग्ज नई जनरेशन को खराब कर रही हैं । अगर उस चीज से बच्चों को बचाना है तो आपको स्पोर्ट्स नीति लानी चाहिए इसलिए हम यह नीति हरियाणा में लेकर आये । उसके बाद हमने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर हो गया, प्रतिभाएं पहचानी गई । अब खिलाड़ी भी हो गये । खिलाड़ी खेल कर क्या करेंगे, उनका भविष्य निश्चित हो। इसके लिए एक नीति हमने बनाई कि पदक लाओ और पद पाओ। इसका लाभ आप सभी आपके सामने देख रहे हैं । इस बात का लाभ जगह-जगह मिल रहा है । अध्यक्ष महोदय, किसी भी संस्था के मुखिया का पद बहुत जिम्मेदारी का पद होता है और उसमें देश की प्रतिष्ठा का सवाल होता है । अब जैसा रणदीप सिंह जी ने बताया कि बाक्सिंग के प्रधान विधान सभा के सदस्य हैं । जब लंदन में ओलम्पिक गेम्ज़ हो रहे थे, मैं बॉक्सिंग देख रहा था, मैं भी बाक्सर रहा हूं । हमारा एक बाक्सर बाक्सिंग कर रहा था, उसके साथ रैफरी ने बेइमानी की और उसको जबरदस्ती हराया । लेकिन जब कोई चैलेंज करते हैं तो उसूल यह है कि जो एसोसिएशन होती है उसको कुछ पैसे जमा करवाने पड़ते हैं । मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब वह खिलाड़ी देख रहा था कि मेरी एसोसिएशन यहां आएगी, उसका प्रधान आएगा, हम चैलेंज करेंगें और पैसे जमा करवाएंगे लेकिन कोई नहीं पहुंचा और वह खिलाड़ी हारकर घर आ गया । हो सकता है वह जीत जाता और हरियाणा के लिए गोल्ड मैडल लेकर आता । इस प्रकार के गैरजिम्मेवार लोग ऐसोसिएशन पर कब्जा करके बैठे हैं । प्रो. सम्पत सिंह ने बड़ी आसानी से कह दिया कि मैंने कुर्ता

पायजामा पहनना छोड़ दिया । ऐसे हालात देखें तो क्या ये ट्रैक सूट भी पहनना छोड़ देंगें । सम्पत सिंह जी, इनकी चली तो ये तो पैंट बुशर्ट भी छुड़वा देंगें, इसलिए इनकी बात मत मानो और इनकी बात देखकर मत चलो बल्कि अपना कर्म करो । किसी से दबने की जरूरत नहीं है । सम्पत सिंह जी, आप ऐसे दल में हो जो सही प्रजातंत्र में यकीन रखता है । अध्यक्ष महोदय, हमने प्रदेश में 250 स्टेडियम्ज बनवा दिए । आज हरियाणा के किसी गांव में हम जाएं, मैं भी जाता हूं और मुझे देखकर बहुत खुशी होती है कि बच्चे खेल रहे हैं । पहले हम खेल नीति लेकर आए । सुबह-सुबह साढे 5 बजे किसी गांव के स्टेडियम में चले जाओ तो वहां पर हम देखते हैं कि बच्चे दौड़ लगा रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं। आज कंस्ट्रक्टिव डायरैक्शन में बच्चों की एनर्जी जा रही है । कंस्ट्रक्टिव डायरैक्शन में एनर्जी रहेगी तो साउंड बॉडी रहेगी। साउंड बॉडी और माइंड रहेगा तो हमारी जनरेशन का भविष्य उज्ज्वल रहेगा । अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव लाया है हाउस इसका पुरजोर समर्थन करता है । सदन में यह जो प्रस्ताव आया है उसके विशेष कारण हैं। जो व्यक्ति प्रस्ताव लाने का कारण बना हुआ है वह इससे बाइज्जत बरी । कहते हैं कि बाइज्जत बरी परंतु यदि हम उसको छोड़ देंगें तो देश की प्रतिष्ठा के हित में अपनी प्रतिष्ठा को पीछे ले जाएंगें और यह हाउस खेलों से उसको बाइज्जत बरी कर देगा । अध्यक्ष महोदय इन्हीं शब्दों के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद ।

प्रो. सम्पत सिंह : मुख्यमंत्री जी, उनको केवल खेलों से बरी कर दोगे या सारे मामलों से बरी कर दोगे क्योंकि सारे मामलों से कर दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : सिर्फ खेलों से बरी करेंगें।

प्रो. सम्पत सिंह : खेलों से कर दोगे तो ठीक है । अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं । अभी हमारे माननीय सदस्य दांगी जी ने और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कुर्ते पायजामे की बात कह दी । मुख्यमंत्री जी, मेरे कहने का मतलब यह था कि मैं इनसे नहीं डरता, इनके डर से मैंने कोई कुर्ता पायजामा पहनना नहीं छोड़ा ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : सम्पत सिंह जी, आपने यह कहा था इस किस्म के लोगों के राजनीति में आने की वजह से राजनीति बदनाम हो गई इसलिए आपने कुर्ता पायजामा पहनना छोड़ दिया। अब इस किस्म के खिलाड़ी खेलों में आ गए तो क्या आप ट्रैक सूट पहनना छोड़ दोगे ? ऐसा काम मत करना ।

प्रो. सम्पत सिंह : नहीं सर, ट्रैक सूट नहीं छोड़ेगें । अध्यक्ष महोदय, ये खिलाड़ी नहीं हैं इसलिए हम ट्रैक सूट पहनना नहीं छोड़ेंगे । ये खेलों में आ गए हैं तो इनको खेलों से निकालेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह शपथ लेकर कुर्ता-पायजामा छोड़ा था कि मैं इस गंदगी को मिटाऊंगा और मैंने आपके सामने कहा था और मुख्यमंत्री जी ने भी सुना था कि मैं इनके पाप और अपराध का पीछा आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगा । मेरे कहने का मतलब मैं इनके पाप और अपराध खत्म करके फिर कुर्ता पायजामा पहनूंगा । मेरे कहने का मतलब यह था ।

श्री नरेश कुमार बादली : सम्पत सिंह जी, इस बारे में मैं आखिरी सांस तक आपका साथ दूंगा ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोस्त श्री आफताब जी और नरेश जी ने तो इस बारे में यही बात कही है कि ऐसे दागी व्यक्तियों की हठधर्मिता से ही आज पूरे

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
देश का स्पोर्ट्स क्वैश्चन में है । मेरे नौजवान मित्र श्री धंतौड़ी साहब ने तो यहां तक कहा है कि अगर हम यहां पर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उस सूरत में पूरे देश के खिलाड़ियों को मजबूरन डैमोक्रेटिक प्रोटैस्ट ऐसे दागदार व्यक्तियों के खिलाफ करना पड़ेगा । इन्होंने यह भी कहा है कि इनको यह बताया गया है कि ऐसी शुरूआत हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी करेंगे।

Mr. Speaker : Question is—

That an aspiring young India, with 121 crore people, has astounding sports talents across its length and breadth — from small villages to big metropolises. Carving out a niche, training and promoting these sports talents is an essential requisite of National character building. Primary onus to project, propel and promote India's sports men and women on International arena lies with the highest sports body in India i.e. Indian Olympic Association (IOA) with policy inputs and support from Ministry of Sports and Youth Affairs, Government of India. State of Haryana and its sports persons, particularly our wrestlers, boxers, shooters, hockey and cricket players, javelin throwers have brought laurels to the country.

Tainted politicians-cum-sports administrators are, however, challenging the very foundation of India's shining place in the galaxy of Nations in the sports arena. These self-serving sports administrators have put a question mark on the sporting career of budding players of India by converting the National Sports Federations/Bodies into their personal fiefdoms. Bereft of the National interest, their only purpose is to keep occupying their position in the sports federations

To ensure transparency, accountability and highest standards, Ministry of Sports and Youth Affairs, Government of India had come out with the 'Model Sports Code' prescribing definite guidelines with regard to eligibility of elections to the sports federations in India as also for holding fair and transparent elections. Unfortunately, all the tainted sports administrators-cum-politicians opposed the implementation of this 'Model Sports Code' in the name of independence of 'Olympic Charter'. Plea taken was that Model Guidelines tantamount to interference in independent working of federations and that Indian Olympic Association (IOA) and its affiliate federations are governed by International Olympic Committee's prescribed 'Olympic Charter'. They refuse to follow the law of the land in the guise of following the 'Olympic Charter' ignoring provisions relating to the ethics.

On 25th November, 2012; a group of tainted sports administrators bulldozed the election of Shri Abhay Singh Chautala, MLA and a Member of this House, as President of Indian Olympic Association (IOA). This was done despite the fact that Shri Abhay Singh Chautala stood charge sheeted under Section 13 (1) & (2) of the Prevention of

Corruption Act, 1988 by a Special CBI Court at New Delhi and there were prohibitory orders passed by the International Olympic Committee (IOC) for not holding such meeting till appropriate amendments on 'ethics and suitability' had been carried out in the Constitution of Indian Olympic Association (IOA). In an unprecedented case in India's history, this led to suspension of Indian Olympic Association (IOA) by the International Olympic Committee (IOC), thereby bringing disgrace and putting future of lakhs of sports men and women into jeopardy.

Similarly, Shri Abhay Singh Chautala remained President of All India Amateur Boxing Association for last 12 years (2000-2012). On 23rd September, 2012; Shri Abhay Singh Chautala got himself elected as Chairman and his brother-in-law Shri Abhishek Matoria as the new President of All India Amateur Boxing Association. Even this election has been rejected by the International Amateur Boxing Association. The International Body has suspended the Indian Amateur Boxing Federation also.

In their blind lust to retain monopoly over Indian Olympic Association (IOA) and some of its affiliate sports federations without caring for the future of India's sports persons or National prestige, Shri Abhay Singh Chautala and others passed a resolution in a meeting of Indian Olympic Association on 25th August, 2013 asking the International Olympic Committee (IOC) to not insist on the disqualification clause against 'charge framed persons'. On 4th September, 20 13; International Olympic Committee (IOC) has again rejected this purported change proposed by Indian Olympic Association (IOA) to allow persons to be elected to Indian Olympic Association (IOA) against whom charges have been framed in a criminal court to ensure probity, transparency and morality in all International Associations.

This House condemns such an obstinate and selfish, conduct of Shri Abhay Singh Chautala, MLA and a Member of this House as also other tainted sports administrators which has caused incalculable damage to the career of sports persons, sports bodies and the Olympic movement itself. This House calls upon the Ministry of Sports & Youth Affairs, Government of India to immediately implement the 'Model Sports Code' drafted by it in the Indian Olympic Association (IOA) as also in sports federations/bodies of the country to ensure India's participation in all International events, to secure the future of our sports persons and to ensure a fair, just, equitable and morally appropriate administration of sports in India. This House also welcomes the decision of International Olympic Committee (IOC), on persuasion of Government of India, to include wrestling in the 2020 and 2024 Olympics.

The motion was carried.

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी मामला उठाना

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, there is a very important point which has been raised yesterday by our senior member of this House Shri Venod Sharma and that point was not actually clarified. उसके बारे में ज्यादा क्लैरीफिकेशन नहीं है ।

Mr. Speaker : What was that point?

Shri Bharat Bhushan Batra : Speaker Sir, it was that we have declared the economically backward reservation, but for that certificate is to be issued अर्थात् वह सर्टीफिकेट किसको इश्यू होगा और उसकी क्या गाईडलाईन्ज़ होंगी यह नहीं बताया गया है । इकोनॉमीकली तो बहुत पुरानी गाईडलाईन्ज़ हैं । इसलिए आज के संदर्भ में इसकी गाईडलाईन्ज़ को परिभाषित करना बहुत जरूरी है कि इसके अन्दर कौन-कौन इंकल्यूड होंगे और कौन इंकल्यूड नहीं होंगे ?

Mr. Speaker : Do you mean the specific caste?

Shri Bharat Bhushan Batra : Speaker Sir, there is a caste which is Scheduled Caste then Backward Class and there is Special Backward Class and this is again Economically Weaker Sections. These all are the classes actually. जिनको पहले ही रिजर्वेशन प्राप्त हो चुकी है they can not have the double reservation. That is why apart from those classes बाकी क्लासिज़ में इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन के सर्टीफिकेट का प्रॉविज़न और गाइडलाईन्ज़ सरकार बनाये और उसमें यह स्पैसीफाई करे कि उस इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन के अंदर वो कास्ट्स इंक्लूड नहीं होंगी जो आलरेडी रिज़र्व कैटेगरी के अंदर हैं ।

Shri Venod Sharma: Speaker Sir, my friend has raised a pertinent question. I had suggested yesterday also and I reiterate it. In the absence of specifying the castes, it will be difficult to deal with the matter. If any person by name says, 'I Anil Kumar applies for the certificate without mentioning the cast; then how it would be ascertained that he belongs to the General Caste, or to any other caste and how it would also be ascertained that he is already enjoying the benefits and privileges under Special Backward Class or under Scheduled Caste or Backward Class? That will not be certain. In the alternate if somebody writes 'I Anil Kumar, Caste Brahmin' or he writes 'I Anil Kumar, Caste Khatri' or he writes 'I Anil Kumar, Caste Aggarwal' or he writes 'I Anil Kumar, Caste Rajput' or he writes all other castes which are not included in the list of those who are going to get the benefit like Backward Class or Special Backward Category, then it would easily be ascertained to which category he belongs. I want to say that if we can specifically write these castes like Brahmin, Punjabi, Khatri, Vaish, Rajput and also any other caste which is not covered under the provisions of castes which have already been given the benefit of reservation in the institutions as well as reservation in jobs, and it can also be written that we clearly cover all the other castes, then it will be beneficial to them. It will be the very easy procedure and what

the Government under the leadership of Shri Bhupinder Singh Hooda wants to achieve, it will be easily achieved and people will get the rightful benefits as it has been envisaged by the Government of Haryana.

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कल भी मैंने कहा था कि इस बारे में सरकार की इंटैंशन बिल्कुल क्लीयर है और इस प्रस्ताव में प्रावधान भी किया गया है । जिस प्रोविजन के बारे में बत्तरा जी ने कहा है that is an exclusive. Those who have been given the reservation of either Scheduled Caste, Backward Class or Special Backward Class, they cannot be considered for Economically Backward Classes. This reservation is only for General Category. General Category does not include Special Backward Classes, Backward Classes and Scheduled Castes. Alright, this is mentioned for General Category. Special Backward Class is not in the General Category. He cannot apply for reservation. But I agree with Shri Venod Sharma Ji, that there may be some confusion. I think, as he has suggested, to make it clear we can put explanation. Explanation against General Category i.e. Brahmin, Rajput, Khatri, Baniya. These are the major four castes which matter in Haryana. And similarly other castes which we may not be knowing their names, we can put them in explanation otherwise there is no confusion.

Mr. Speaker: Alright, I think with this explanation the purpose will be served.

(i) अनुपस्थिति संबंधी सूचना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received an intimation from Capt. Ajay Singh Yadav, Power Minister in which he has expressed his inability to attend the sitting of this House today, the 11th September, 2013 due to his scheduled visit to Jaipur.

(ii)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received an intimation from Shri Prahlad Singh Gillankhera, Chief Parliamentary Secretary, P.W.D. (B&R) in which he has expressed his inability to attend the sitting of the House today, the 11th September, 2013 due to his earlier planned abroad visit.

(iii)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, , I am to inform the House that I have received an intimation from Shri Jaleb Khan, Chief Parliamentary Secretary, Revenue in which he has expressed his inability to attend the sitting of the House today, the 11th September, 2013 due to his ill health.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 15.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker: Question is—

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 16.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

Mr. Speaker: Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

The motion was carried.

विधान कार्य—

(i) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 2013

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No.3) Bill, 2013 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No.3) Bill, 2013.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

प्रो. सम्पत सिंह (नलवा) : स्पीकर सर, मैं पी.डब्लू.डी. मिनिस्टर श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को दो-तीन छोटी-छोटी बातें बताना चाहता हूं कि मेरे हल्के में रेलवे लाईन नलवा कॉंस्टीच्युएंसी और हिसार कॉंस्टीच्युएंसी को डिवाईड कर रही है। रेलवे लाईन के एक तरफ जवाहर नगर, पटेल नगर, डिफेंस कॉलोनी, सैक्टर-15, यूनीवर्सिटी, मिनी सैक्रेटेरियट, ज्यूडीशियल कॉम्पलैक्स है और रेलवे लाईन के दूसरी तरफ हरिदास कॉलोनी, सैक्टर-13, सैक्टर-16, सैक्टर-17 हैं । सर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में उनका वार्ड भी एक है। लेकिन रेलवे लाईन के दोनों तरफ कंक्रीट की रोड बनी हुई है। रेलवे लाईन बीच में है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रोड बनाई हुई है। सर, मंत्री जी से मेरी मांग है कि वहां रेलवे अण्डर ब्रिज फोर बाई फोर बनाया जाए, जिसके निर्माण के लिए पी.डब्लू.डी. का ऐस्टीमेट लगभग डेढ करोड़ रुपये बनता है। इसमें जो डिमांड है वह लगभग 500 करोड़ रुपये की है जो वह मंजूर करवा रहे हैं। वह लगभग 500 करोड़ रुपये की डिमांड ब्रिजिज की है। उसमें जो रेलवे ओवर ब्रिजिज हैं वह 10 से 15 करोड़ रुपये के हैं। सर, मेरे शहर के लिये एक छोटी सी मांग है। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, पी.डब्लू.डी. मंत्री इस समय नहीं बैठे हैं तो मैं मुख्यमंत्री जी से ही निवेदन करूंगा कि यह दोनों डिमांड पूरी न होने की वजह से हमारे इलाके के लोगों को बहुत ज्यादा समस्या आ रही है बल्कि क्रिमिनेशन ग्राउंड भी दूसरी तरफ है। सावित्री जी भी इस बारे में कुछ कह देंगी। लोग रेलवे लाईन को क्रॉस तो करते हैं लेकिन शहर के अन्दर से जाने की वजह से हम आर.ओ.बी. नहीं मांग रहे हैं। सर, हम तो आर.यू.बी. की डिमांड कर रहे हैं जिस पर छोटी सी अमाउंट खर्च होनी है। इसका जो स्टैंडर्ड साईज होता है वह फॉर बाई फॉर का होता है। फॉर मीटर बाई फॉर मीटर यानी फॉर मीटर ऊंचा होता है और फॉर मीटर की चौड़ाई होती है। वह तकरीबन डेढ करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो जाएगा। जैसे मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार मेरे हल्के के दो गाँवों में भी आर.यू.बी. बनवाया था। देवां और छिड़ोद गाँव का बनवाया था अब वह थोड़े दिनों में शुरू हो जाएगा। मैं इनसे निवेदन करता हूं कि दोनों शहर के पोर्शन को जोड़ने के लिये वे इस पर गौर करें। सर, मैं गवर्नमैंट की लोकल अर्बन मिनिस्ट्री को, उनके डिपार्टमैंट को, सबको बधाई देता हूं कि आपके गुड परफॉरमैंस के लिये ही यह परफॉरमैंस ग्रांट गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया से आई है जो 12 स्टेट्स में आई है। पहले गुड परफॉरमैंस न रहने की वजह से जीरो ग्रांट भी नहीं आई थी। लेकिन हमारे प्रदेश के लिए 50 करोड़ की ग्रांट आई है। इसके लिये मैं डिपार्टमैंट को, मुख्यमंत्री जी को, सबको बधाई देता हूं क्योंकि यह ग्रांट ट्रेजरी में आकर जमा होगी। इसलिये वित्त मंत्री जी इसकी मंजूरी लेने के लिये विधान सभा में आए हैं। वित्त मंत्री जी आपके खजाने में जो यह वृद्धि हुई है इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। दूसरी बात लोकल बॉडीज में भी आप कुछ अमैनिटीज को जोड़िए जैसे पार्किंग वगैरह कहीं नहीं है । लोकल बॉडी डिपार्टमैंट के साथ

[प्रो० सम्पत सिंह]

मीटिंग करके एक ऐसा अच्छा सिस्टम बनाया जाना चाहिए ताकि पार्किंग की व्यवस्था ठीक ढंग से की जा सके। आज हम देखते हैं कि जितने भी मैरिज पैलेस या बैंकवेट हाल चल रहे हैं इनकी न कोई बिल्डिंग प्लान है, न ही सरकार से इनको मंजूरी मिली हुई है और न ही कोई इनसे कोई फीस चार्ज ही की जा रही है। यह एक बहुत बड़ी आमदनी का साधन बने हुए हैं। ज्यादातर मैरिज पैलेस या बैंकेवेट हाल्ज को तो हाईवेज के उपर ही बना दिया गया है लेकिन इनमें पार्किंग की कोई ठीक व्यवस्था नहीं की गई है। सड़कों पर ही वाहन खड़े रहते हैं और ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मेरी रिक्वैस्ट है कि कमेटी के या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट के अधिकारियों के साथ मिलकर इस समस्या को हल करने की दिशा में प्रयास करें। इसी तरीके से अब मैं टूरिज्म डिपार्टमैंट के बारे में कहना चाहता हूं। यद्यपि स्वयं मुख्यमंत्री जी द्वारा और सैंट्रल गवर्नमैंट द्वारा तिलियार लेक पर अच्छे ढंग से काम करवाया गया है लेकिन बावजूद इसके भी देखने में आता है कि यहां पर झाड़ियां वगैरह बहुतायत में खड़ी हुई हैं। अगर इन झाड़ियों की सफाई करवा दी जाये तो मैं समझता हूं कि दिल्ली तक के लोग भी शनिवार और इतवार को फुर्सत के क्षणों में रोहतक जरूर आया करेंगे और इस तरह से यह एक बहुत अच्छे टूरिस्ट कॉम्पलैक्स के रूप में उभरकर सामने आ सकता है। अब मैं होम डिपार्टमैंट के बारे में बात करना चाहता हूं। जिस दिन मैंने होम डिपार्टमैंट के बारे में बात की थी उस दिन वित्त मंत्री जी तो बैठे थे लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं बैठे हुए थे। स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि पुलिस और जेल का भी कुछ ख्याल रखा जाये तो बहुत अच्छा रहेगा। यह दोनों महकमे स्ट्रैस और स्ट्रेन में रहकर काम करते हैं। आज हरियाणा प्रदेश हैल्थ, ऐजुकेशन तथा इंफ्रॉस्ट्रक्चर आदि सभी फील्ड्ज में नम्बर एक के स्वोंच्च पायदान पर पहुंच गया है। पुलिस ने भी बहुत अच्छी तरह से क्राईम को कर्ब किया है और किसी भी केस को अनट्रेस नहीं होने दिया है। अब समय की यह मांग है कि इनकी तन्खवाहों तथा इनकी फैसिलिटिज की तरफ अधिक से अधिक ध्यान दिया जाये। पहले पुलिस महकमे में मैट्रिक स्तर की क्वालिफिकेशंज वाले अभ्यर्थी ही ऐप्लाई किया करते थे लेकिन आज एम.ए., एल.एल.बी. एम.बी.ए. पोलिटैक्निक पास क्वालिफिकेशंज वाले बच्चे भी पुलिस में सेवारत हैं। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे इस तरफ गौर करें।

Mr. Speaker: Sampat ji, could you make it brief please?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मैं थोड़ी सी बात आपके समक्ष रखकर बैठ जाऊंगा। पहले मैं पब्लिक हैल्थ एंड वाटर सप्लाई के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने 13 मार्च 2011 को मेरे हल्के में एक जन रैली की और वहां पर मैंने जो भी डिमांड्स मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी थीं उन सबको पूरा कर दिया गया था। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सदन के माध्यम से आभार प्रकट करता हूं। इसके अतिरिक्त पिछली बार विधान सभा में जो प्रोजैक्ट्स मंजूर किये गये थे चाहे वे प्रोजैक्ट्स पब्लिक हैल्थ से संबंधित थे या इरिगेशन से संबंधित थे, उन सभी को पूरा कर दिया है। मैं आज किसी प्रोजैक्ट को पूरा करने की मांग नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि वर्तमान में मेरे क्षेत्र में दो प्रोजैक्ट्स ऑन गोईंग चल रहे हैं। वाटर वर्क्स से संबंधित एक प्रोजैक्ट आजादनगर क्षेत्र में आपके द्वारा ही शुरू करवाया गया था, जिस पर निःसंदेह तेजी से काम चल रहा है लेकिन जो दूसरा प्रोजैक्ट है, वह पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट की तरफ से वाटर सप्लाई की

लाईन बिछाने से संबंधित है। पिछले दो साल से इस प्रोजैक्ट पर तेजी से काम चल रहा था। यद्यपि काम तेजी से चल रहा था लेकिन बावजूद इसके भी अड़चनें कम पेश नहीं आ रही थीं। इन अड़चनों में गली का छोटा होना, गली का बहुत बड़ा होना या फिर पुरानी लाईनों को ठीक करना मुख्य अड़चनें थीं। अब इस प्रोजैक्ट को कंप्लीट न कर पाने में जो रुकावट आ रही है, उसका मेन कारण इस साल के बजट में इस प्रोजैक्ट के लिए पैसे का प्रावधान नहीं होना बताया गया है। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना सा निवेदन है कि इस काम को कम्पलीट करने के लिए आप पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट को डायरेक्ट करें तथा इसके साथ ही साथ अनुरोध है कि जो ऑन गोइंग प्रोजैक्ट हैं उन्हें भी इस साल के अंत तक पूरा करा दिया जाये। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवादी होऊंगा। इससे आगे बढ़कर मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम से चलाई गई एक स्कीम का भी जिक्र करना चाहूंगा। इस स्कीम के तहत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े व गरीब वर्ग के लोगों को वाटर कनैक्शंज उपलब्ध करवाये गये थे। आज 9 लाख वाटर कनैक्शंज में से 8 लाख वाटर कनैक्शंज तो सरकार की स्कीम के अंडर ही लगे हुए हैं लेकिन असलियत में जो वाटर कनैक्शंज के बेनिफिशियरीज है उनकी संख्या 22 लाख से भी ऊपर पहुंच चुकी है। इसका मतलब यही है कि बाकी कनैक्शंज तो अनआथोराईज्ड तरीके से ही चल रहे हैं। अगर अथोराईज्ड तरीके से इन डिफॉल्टर्ज को वाटर कनैक्शंज दे दिये जाये तो मैं समझता हूं कि इससे 60 करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है। इसी तरीके से ओवरकैप का जो आंकड़ा है वह तो और भी ज्यादा हौरिबल है। अकेली सरकार और अफसरों पर ही जिम्मेदारी सौंप कर इतिश्री समझ लेना ठीक बात नहीं है बल्कि इस दिशा में हम सबको भी प्रयास करने की बहुत आवश्यकता है। हमें चाहिए कि हम छुट्टी करने की बजाय लोगों के बीच जाकर उन्हें पानी की बचत व महत्व के बारे में बतायें। 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर किसी भी जन्म दिन को आधार बनाकर लोगों के बीच जाना चाहिए और पानी की बचत के महत्व को बताना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस तरह से भी रेवेन्यू प्राप्त किया जा सकता है। यह कुछ बातें थी जो मैं कहना चाहता था, मुझे उम्मीद है कि सरकार इन पर अवश्य ही गौर करेगी।

श्रीमती सावित्री जिंदल (हिसार) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मेरे भाई संपत सिंह जी ने आर.ओ.बी. और आर.यू.बी. का जिक्र किया, मैं भी यही निवेदन करना चाहती हूं कि उस आर.ओ.बी. का बनना बहुत जरूरी है इसलिए इस पुल को स्वीकृति दी जाए। इसके साथ ही हमारे हिसार के डाबड़ा चौक पर जो आर.ओ.बी. बना हुआ है उसको भी डबल बनाया जाए, उसका कुछ काम बाकी है उसे भी जल्द से जल्द पूरा करवा देंगे तो अच्छा रहेगा। इस पर सुबह व शाम को बड़ी भारी भीड़ हो जाती है उसकी वजह से लोगों को आने जाने में बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए इसको जल्द से जल्द बनवाएं ताकि लोगों को आने जाने में जो परेशानी होती है, उस परेशानी से छुटकारा मिल सके।

श्री अनिल धंतोड़ी (शाहबाद मारकंडा) (अ.जा.): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि शाहबाद मारकंडा में वे 9 मई, 2011 को गए थे और शाहबाद को सब डिवीजन बनाने की घोषणा कर आए थे और वह बन भी गया है जिसकी वजह से शाहबाद की जनता को बहुत सारी सुविधायें मिलने लगी हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से इसके साथ ही यह भी गुजारिश है कि वहां मिनी सैक्रेटेरियट भी दिया जाए ताकि वहां की जनता को और सुविधा हो। मैं मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करूंगा कि मुख्यमंत्री जी के ही अथक

[श्री अनिल धंतोड़ी]
प्रयासों से मेरे हल्के में ढोल नलवी रोड पर आर.ओ.बी. बनने का काम जारी है, कार्य प्रगति पर है लेकिन उसके साथ ही उसके पैरेलल एक मदनपुर मोहनपुर रोड पर लाइन के दूसरी तरफ 60 गांव पड़ते हैं, वहां आर.ओ.बी. न होने की वजह से जनता को भारी असुविधा हो रही है इसलिए वहां के लिए भी आर.ओ.बी. की मंजूरी अवश्य दी जाए । इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद ।

राव धर्मपाल (बादशाहपुर) : स्पीकर सर, लेजिस्लेटिव बिजनेस में, बिल नं. 13 में जो म्यूनिसिपल कार्पोरेशन से संबंधित है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

Mr. Speaker : Rao Sahib, that Bill has not come up now. That Bill will come up.

राव धर्मपाल : ठीक है सर, जब वह बिल आएगा, तब मैं उस पर अपनी बात कह दूंगा।

श्री आफताब अहमद (नूंह) : अध्यक्ष महोदय, लोक स्वास्थ्य और जलापूर्ति की डिमांड नंबर 38 पर मैं आपकी इजाजत से बोलना चाहता हूं । इस बारे में मैं मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पीने के पानी की महत्वाकांक्षी परियोजना राजीव गांधी पेयजल परियोजना 300 करोड़ रुपये की लागत से सरकार ने बनाई है उस परियोजना के माध्यम से लाखों व्यक्तियों को पीने का पानी मिल रहा है लेकिन अब उसमें विस्तार और सुधार की जरूरत है । प्रौजैक्ट सैंक्शन हो गए हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिए फंड्स की कमी आ रही है । मेरा अनुरोध है कि इतनी राशि उस प्रौजैक्ट पर खर्च हो चुकी है और थोड़ी सी राशि खर्च करने से जलापूर्ति को बेहतर बनाया जा सकता है ।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस बिल के बारे में अपनी बात कहनी है।

Mr.Speaker : Batra ji, you have taken sufficient time. Now the Chief Minister will speak.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, कुछ साथियों ने सदन में आर.ओ.बी. और आर.यू.बी. के बारे में बात कही है। मैं सदन के साथियों की ज्ञान वृद्धि के लिए बताना चाहता हूं कि 1966 में जब हरियाणा बना था उसके बाद फरवरी-2005 में जब हमारी सरकार आई तो उस समय तक पूरे प्रदेश में केवल 16 आर.ओ.बी. बने थे । हमारी सरकार आने के बाद 32 आर.ओ.बी. बन चुके हैं और 37 आर.ओ.बी. पर काम चल रहा है। जो काम 45 साल में नहीं हुआ था वह हमने अपनी इस छोटी सी अवधि में करके दिखाया है।

Mr. Speaker : Question is—

> That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं. 4) बिल, 2013

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Finance Minister will introduce The Haryana Appripriation (No.4) Bill, 2013 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha) : Sir, I beg to introduce The Haryana Appripriation (No.4) Bill, 2013.

Sir, I also beg to move—

That The Haryana Appripriation (No.4) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That The Haryana Appripriation (No.4) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That The Haryana Appripriation (No.4) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iii) दि हरियाणा मोटर व्हीकल्ज टैक्सेशन बिल, 2013

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will introduce The Haryana Motor Vehicles Taxation Bill, 2013 and will also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Motor Vehicles Taxation Bill, 2013.

[Shri Randeep Singh Surjewala]

Sir, I also beg to move—

> That the Haryana Motor Vehicles Taxation Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

> That the Haryana Motor Vehicles Taxation Bill be taken into consideration at once.

प्रो. सम्पत सिंह (नलवा) : स्पीकर सर, सबसे पहले तो मैं इस बिल की प्रशंसा करता हूं क्योंकि पहले वन टाईम पेमेंट का कोई भी सिस्टम नहीं था बल्कि क्वार्टरली पेमेंट होती थी जिससे हर आदमी को दिक्कत होती थी। सरकार जो यह बिल लेकर आ रही है इसमें वन टाइम का प्रोविजन भी कर रही है। आज इस बारे में क्लीयर हो जाएगा क्योंकि कुछ न्यूजपेपर्ज में पब्लिश हुआ है कि अब से यह टैक्स होगा। मैं समझता हूं कि यह असत्य है। मैं इसलिए क्लीयर कर रहा हूं क्योंकि यह जो परसैंटेज आज इन्होंने अखबारों में लिखी है वह है मैक्सीमम । एक असैम्बली डिपार्टमैंट को केवल राइट दे रही है और टैक्स चेंज नहीं किया जा रहा है बल्कि ऐज इट इज है । केवल पावर दी जा रही है कि इस लिमिट तक जा सकते हैं । वह लिमिट कभी किसी सिचुएशन में क्या आ जाए इसलिए यह लिमिट की बात है । यह अच्छी बात है । अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो इसकी क्लॉज 6 में है—Liability to payment of tax on transfer of motor vehicle यह थोड़ी ठीक नहीं लगी, मुझे उम्मीद है कि इस मामले को डिपार्टमैंट देख लेगा। इसकी क्लॉज 6 में है—

12.00 बजे

> "If the tax leviable in respect of any motor vehicle remains unpaid by any person liable for the payment thereof and such person, before paying the tax, has transferred the ownership of such motor vehicle or has seased to be in possession or control of such motor vehicle, the person to whom the ownership of the motor vehicle has been transferred or the person who he is in possession or control of such motor vehicle, shall be liable to pay the said tax:"

अध्यक्ष महोदय, ए. ने बी. को व्हीकल बेच दिया और जब यह व्हीकल ट्रांसफर होता है तो उस समय पैण्डिंग एरियर्ज डिपार्टमैंट को उनसे ले लेने चाहिएं क्योंकि वे सारी चीज का नो ड्यूज का सर्टिफिकेट लेते हैं । नो ड्यूज लिए बिना ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं । फिर भी अगर टैक्स बकाया रह जाता है या छुपा रह जाता है तो जो उस व्हीकल का नया ओनर होता है, जिसके पौजेशन में वह गाड़ी है उसके ऊपर विभाग वाले ये लायबिलिटी डाल रहे हैं जो कि उचित नहीं है । मुझे नहीं पता कि किस वजह से इस क्लॉज को इसमें जोड़ा गया है।

Mr. Speaker: Then how to recover the balance tax? From whom you will recover it, person who is no longer the owner?

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि क्या डिपार्टमैंट की कोई जिम्मेवारी नहीं है क्योंकि डिपार्टमैंट नो ड्यूज का सर्टिफिकेट दे रहा है। यह रिकवरी डिपार्टमैंट के अधिकारी से

कर ली जाए क्योंकि he is responsible for that क्योंकि इसमें तो ओनर के ऊपर जिम्मेवारी डाल दी गई है । जिसके ड्यूज थे उसको पहले से क्यों नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे दिया गया और यदि दे दिया तो ओनर क्यों उन एरियर्ज को दे । मैं तो यह चाहता हूं कि डिपार्टमैंट इस बारे में पूरी तरह चैक करे।

Mr. Speaker: Hon'ble Minister, can we check that? How can we check that?

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, I will reply when Sampat Singh ji finishes.

प्रो. सम्पत सिंह : मंत्री जी एक मामला आपके डिपार्टमैंट का था, जो आपकी एबसैंस में आया था। यह मामला आर.यू.बीज. का था। आपके पास तो सारा बजट है इसलिए आपको तो सब कुछ पता है । मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम बहुत से आर.यू.बीज. बना रहे हैं जो बहुत अच्छी बात है। इसमें सच्चाई है कि बहुत से आर.यू.बीज. बन रहे हैं। 500 करोड़ रुपये सारा ब्रिजिज के लिए है । यह तो बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो स्वाभाविक है कि इन्वैस्टमैंट भी आएगी और यही वजह है कि हरियाणा की पर कैपिटा इन्वैस्टमैंट टोप पर है इसमें कोई दो राय नहीं है । इन्फ्रास्ट्रक्चर के, पावर के, रोड्स के, इरीगेशन के और शिक्षा जैसी फैसिलिटीज के बिना इन्वैस्टमैंट नहीं आती है । मैं तो यह कह रहा था कि मेरी तो 500 करोड़ रूपये में से केवल मात्र डेढ़ करोड़ की बात है । मुख्यमंत्री जी तो उस समय इसलिए नहीं बोले थे कि इस बारे में मंत्री जी बताएंगें क्योंकि मंत्री जी, प्रपोजल आपके पास थी । वैसे तो मुख्यमंत्री जी हर चीज जानते हैं। Chief Minister Sahib knows each and everything, he is also well known लेकिन ये वो मुख्यमंत्री नहीं हैं जो अपने साथियों की राय के बिना कोई काम करें। ये वो मुख्यमंत्री हैं जो सबकी राय लेते हैं। He is a democrat Chief Minister इसलिए मंत्री जी, मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को आपकी राय तो चाहिए थी इसलिए अब आप मुख्यमंत्री जी को बता देना कि कोई लम्बा चौड़ा खर्चा नहीं है, आप उनको कह दोगे कि यह काम कर दो तो वे कर देंगें। पिछली बार भी हमारा काम कर दिया था।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सम्पत सिंह जी, आपको तो मना ही नहीं है।

प्रो. सम्पत सिंह : मंत्री जी, मना नहीं है बस आप ये शब्द कह देना तो बात खत्म हो जाएगी। अगली बात मैं क्लॉज नम्बर 18 पर कहना चाहता हूं कि वैसे तो यह ठीक है पर Clause 18 says—

> "No suits, prosecution, or other legal proceeding shall be instituted against any person for anything which is in good faith, done or intended to be done under this Act or under the rules made there under."

लेकिन इसमें डिसाइड कैसे किया जाएगा कि that was done in good sense.

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक) : सम्पत सिंह जी, यह लाईन हर एक्ट में लिखी होती है। It is written in every Act of the Government that—

> "...legal proceeding shall be instituted against any person for anything which is in good faith..."

[श्री भारत भूषण बत्तरा]

It is not a new thing. Actually it is a good faith and it is for their protection. Otherwise if you do not act according to law you can file a suit, you can go anywhere. अगर कानून के अगेंस्ट काम करता है तो जो मर्जी कर लो और कानून के बीच में काम करता है तो उसके लिए प्रोटैक्शन है ।

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी वकील है हमने इनका सुझाव मान लिया है। (विघ्न)

श्री भारत भूषण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, यह जो शिड्यूल आया है और इसके अंदर जो मैक्सिमम रेट फिक्स किया है इसका औचित्य कृपा मंत्री जी बतायें कि इतने हायर साईड में फिक्सेशन करने की क्या जरूरत है ? Because it's not a good signal so far as आप एक मोटर साईकल की कॉस्ट के ऊपर मैक्सिमम 20 प्रतिशत टैक्स लगा रहे हैं। Why it should be described as maximum limit? फिर उसके बाद इनवैलिड कैरेज की बात है । इनवैलिड कैरेज किसके लिए बनाई जाती है ? इनवैलिड कैरेज स्पेशली जो बंदा फिजीकली इम्पीयर्ड/हैंडीकैप्ट हो उसके लिए स्पेशल मोटर बनाई जाती है that is an invalid carriage, उसके लिए भी आप 20 प्रतिशत का प्रावधान कर रहे हैं । इसी तरह से बाकी परचेजिज जैसे चैसी पर आपने 30 प्रतिशत मैक्सिमम कर दिया है that should not be done. यह अलग बात है कि सरकार निर्धारित करेगी या नहीं करेगी लेकिन इनको इतनी हायर साइड में ले जाने की और फिक्स करने की क्या आवश्यकता है, यह बात इस समय हमारी समझ से बाहर है । उसके बाद प्राईवेट सर्विस व्हीकल्ज को देखिये । it is written that vehicle any adopted to carry more than 6 passengers. यदि मैं बिजनैस करता हूं और बिजनैस के लिए एक व्हीकल को इस्तेमाल करता हूं 'hire and reward' के लिए इस्तेमाल करता हूं उसके लिए 7.30 लाख रुपये फिक्स कर दिया। 7.30 लाख रुपये का तो शायद व्हीकल भी नहीं होगा । इसके अतिरिक्त 75 हजार रूपये उसके सालाना फिक्स कर दिए । उसके बाद यह टर्म कहां से आ गई - Rs.10,00,000 on one time basis or Rs.1,00,000 per year on Goods Carriages including Agricultural Tractor - Trailer combination not used for agricultural purpose. यदि एक आदमी के पास एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है और trailer combination है उस पर आपने मैक्सिमम दस लाख रुपये का सलैब फिक्स कर दिया।

Mr. Speaker: Because Tractors are being used for commercial purposes.

श्री भारत भूषण बत्तरा : लेकिन क्या उस पर 10 लाख का सलैब फिक्स कर दिया जाये ?

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, with your permission, I want to clarify. My learned friend has read the slab only but let me clarify it more. No tax has been imposed and is sought to be imposed. ऐसा कोई टैक्स सरकार की तरफ से नहीं लगाया गया है। 1924 के ऐक्ट में कोई सीलिंग नहीं थी तो आप एक करोड़ रूपये टैक्स या व्हीकल से ज्यादा टैक्स कुछ भी लगा सकते थे । मैं माननीय साथी का ध्यान बिल के दो प्रोविजंस की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि माननीय सदस्य सैक्शन-3, सब क्लाज-1 पढ़ लें जो पहली क्लाज है-

"Subject to other provisions of this Act, there shall be levied and collected a tax on all motor vehicles used or kept for use in Haryana, at such rates and penalties, as may be specified by the State Government, by notification from time to time:"

इसलिए मैं मेरे काबिल साथी को और सदन को आश्वास्त करना चाहूंगा कि हम कोई सलैब बदल नहीं रहे हैं । 1924 के एक्ट में और उस समय की स्थिति होगी । उस समय कोई सीलिंग नहीं थी इसलिए व्हीकल से ज्यादा टैक्स यदि कोई हाईपोथेटेकली अमेजिन करे तो लगा सकता था। ये सलैब्स हैं, टैक्स इमपोजीशन नहीं हैं । Ultimately it is the discretion of the Government and we have decided not to implement these slabs because the rate of tax have to be notified by way of a notification by the State Government. माननीय साथी ने कहा कि ट्रैक्टर पर टैक्स लगा दिया, यह एक इम्पोर्टेंट बात है । हरियाणा में तो किसान और ट्रैक्टर दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं । इन्होंने सैक्शन 16 (1) पढ़ा नहीं। मैं इस तरफ इनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उसमें लिखा है कि -

"Nothing in this Act shall apply to an agricultural tractor, agricultural trailer, agricultural harvester, agricultural power- tiller and other agricultural machinery."

So, all agricultural machineries are exempted from Tax under this Act.

सर, अभी तक यह प्रॉविज़न नहीं था । सभी माननीय सदस्यों को तो सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि सरकार ने किसानों के हक में इतना बड़ा कदम उठाया है कि एग्रीकल्चर ट्रैक्टर पर से टैक्स हटाया क्योंकि इससे पहले हरियाणा के गठन के बाद ट्रैक्टर पर भी टैक्स लगा करता था। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने वर्ष 2005 में जब सरकार बनी और आपको भी याद होगा उस समय पहली बार एग्रीकल्चर से टैक्स हटाया गया था और अब ऐग्रीकल्चर ट्रैक्टर, ट्रेलर, हारवैस्टर, पॉवर टिलर and any other agricultural machinery ये सारे टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिये हैं। इन पर कोई टैक्स हरियाणा में अब नहीं है ।

Shri Bharat Bhushan Batra : Speaker Sir, thanks to the Minister for this, but he is side-tracking the things. (Interruption) I am saying about the Tractor which is not being used for agricultural purposes. That is good that Government initiatives is so good कि हरेक के ट्रैक्टर पर कोई टैक्स नहीं है जो कि एक किसान के फेवर में है लेकिन 'not being used for agricultural purpose' that is the point which I actually raised.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, स्पेसिफिकली सरकार द्वारा इसमें यह तो लिख दिया गया है लेकिन अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि इससे ज्यादा इसमें और क्या सरकार को लिखना चाहिए? जब हमने एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, हारवैस्टर और ट्रेलर से टैक्स हटा दिया है ।

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda) : Agriculture tractor is supposed to be used for agriculture only. It is not meant for other things. कई बार लोग ट्रैक्टर-ट्राली को माईनिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं this is for that. That does not mean agriculture tractor. Agriculture tractor is used to be agricultural purpose only and not for transportation.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, बतरा साहब बहुत अच्छे वकील हैं। Prof. Sampat Singh and Shri Bharat Bhushan Batra Ji in our party are most knowledgeable members. I want to again re-emphasize.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मैं इस बारे में यह बात कहकर इस मामले को क्लीयर करना चाहता हूं कि जो जिस चीज़ के लिए है वह उसी चीज़ के लिए रहेगा जैसे हमारे साथी एम.एल.ए. इलैक्टिड हैं लेकिन ये लोक सभा के सैंट्रल हॉल में नहीं जा सकते। अब अगर ये वहां जाकर कहें कि मैं तो इलैक्टिड हूं मैं लोकसभा के सैंट्रल हॉल में क्यों नहीं जा सकता। यह अपनी-अपनी जगह सब ठीक होता है । Agriculture Tractor is used for agricultural purpose only. (Interruption)

Mr. Speaker : Mr. Batra, do you deny that all the mining operations are being conducted in Tractor and Trolley and in Panipat entire commercial activities are taking place by tractor?

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, मैं भी यही कह रहा हूं कि उसके ऊपर टैक्स लगाया जाये । That is a purpose other than agricultural purpose.

Mr. Speaker: Batra Ji, that is the purposal for which this clause has been added.

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो 10 लाख रूपये टैक्स रखा गया है यह उसके लिए ज्यादा है । आम जमींदार बिना ऐग्रीकल्चर के ट्रैक्टरों से दूसरा काम करता है । इसलिए मेरा कहने का यह मकसद है और कोई दूसरा मकसद नहीं है।

राव धर्म पाल : स्पीकर सर, एक किसान को अपने ट्रैक्टर पर खाद भी लाना पड़ता है और अपने लिए सीमेंट भी लाना पड़ता है। Can he use for that purpose or not?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, वह कॉमर्शियल परपज़ नहीं होता बल्कि कॉमर्शियल परपज़ तब होता है जब आप किसी से किराया लेते हो।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, मुझे लगता है एक ऐसे विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं जिसका हमने इस कानून के अंदर प्रावधान नहीं किया और सरकार की तरफ से यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस एप्रीहैंशन को क्लेरीफाई करूं । मैं दोबारा से बहुत आदर के साथ आदरणीय राव धर्मपाल जी को, आदरणीय श्री बी.बी. बतरा जी को, आदरणीय चौधरी आनंद सिंह दांगी जी को और आपकी अनुमति से पूरे सदन को मुख्यमंत्री जी और सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि पंजाब का 1924 का जो ऐक्ट हम अबॉलिश कर रहे हैं उसमें अभी तक ट्रैक्टर और किसान से संबंधित इक्विपमैंट पर इस प्रकार के एग्जम्पशन का प्रावधान नहीं था वह नोटिफिकेशन जारी करके किया गया था और केवल ट्रैक्टर से टैक्स का एग्जम्पशन किया गया था। सर, हम उससे आगे बढ़ गये हैं, अब हमने ट्रैक्टर से भी टैक्स एग्जैम्प्ट कर दिया, एग्रीकल्चर ट्रेलर से भी एग्जम्प्ट कर दिया जो राव धर्मपाल जी कह रहे थे, एग्रीकल्चर हारवेस्टिंग मशीन से भी एग्जम्प्ट कर दिया और पॉवर टिल्लर से भी एग्जम्प्ट कर दिया । किसी प्रकार की खेती से जुड़ी मशीन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसके लिए कानून में प्रावधान कर दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही सादर निवेदन कर दिया कि जो पंजाब मोटर व्हीकल्ज एक्ट 1924 था उसमें कोई सीलिंग नहीं थी कि

कितना टैक्स कोई सरकार लगा सकती है? व्हीकल की कीमत से 10 गुणा ज्यादा टैक्स भी लगा सकते थे लेकिन अब हमने इसकी आउटर सीलिंग फिक्स की है । सर, ये मिनिमम थ्रैशहोल्ड नहीं है। It is the maximum threshold. You understand that Sir. We are not changing it. मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि हम कोई टैक्स स्लैब बदल नहीं रहे हैं । अब हमने जो टैक्स की सीलिंग निर्धारित की है वह सर्वमान्य है और शायद वह पूरे उत्तर भारत में सबसे कम है । इसलिए मैं सादर अनुरोध करूँगा कि इसमें कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन या विवाद नहीं है । यह किसान के पक्ष वाला कदम है, किसान के विरोध वाला कदम नहीं है ।

Mr. Speaker: Mr. Dangi, do you want to add something in this?

श्री आनन्द सिंह दांगी (महम) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ धन्यवाद करना चाहता हूँ । एग्रीकल्चर इक्विपमैंट के बारे में जो बात कही गई है उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का और सरकार का धन्यवाद करता हूँ । अगर कोई 70-80 हजार या 1 लाख रुपये का एग्रीकल्चर इक्विपमैंट खरीदता है तो उस पर वैट लगने से उस इक्विपमैंट की कीमत बहुत बढ़ जाती है । अगर यह एग्जम्प्शन की है तो यह किसान के लिए फायदे वाली बात है और मैं एक किसान हूँ इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, ऐग्रीकल्चर इक्विपमैंट की रजिस्ट्रेशन पर हरियाणा में कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है और मेरी नॉलेज के हिसाब से हरियाणा के अन्दर ऐग्रीकल्चर इक्विपमैंट्स पर कोई वैट नहीं है।

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Motor Vehicles Taxation, Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 25

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 to 25 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is—

That the Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iv) दि हरियाणा कैनाल एंड ड्रेनेज (अमैंडमैंट) बिल, 2013

Mr. Speaker: Now, the Hon'ble Irrigation Minister will introduce the Haryana Canal and Drainage (Amendment) Bill, 2013 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha): Sir, I beg to introduce the Haryana Canal and Drainage (Amendment) Bill, 2013.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Canal and Drainage (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Canal and Drainage (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री आनन्द सिंह दांगी (महम) : सर, मैं इसमें जो ड्रेनिंग प्वाईंट है इसके बारे में बहुत दु:खी मन से बात करना चाहता हूं। हमारा जो फ्लड का ड्रेनेज सिस्टम है उसका समय पर कोई भी काम

नहीं किया जाता। आज के दिन हजारों एकड़ जमीन जलमग्न है जहां पर खेती भी ठीक ढंग से नहीं होती। कई जगह पर तो हम अपनी फसल की बिजाई भी नहीं कर पाए। डिपार्टमैंट का जो ड्रेनेज सिस्टम है वह अलग ही किस्म का है। (इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) जिस समय वर्षा का पानी भर जाता है उसके बाद सारा का सारा मामला इतना खराब हो जाता है कि किसान मरने के कगार पर आ जाता है। तब इनके टैंडर होते हैं। जबकि इनके टैंडरिंग का टाईम है जुलाई का पहला सप्ताह। जुलाई का पहला सप्ताह हमारे इलाके में वर्षा आने का समय होता है। मैं रोहतक की बात कर रहा हूं अबकी बार रोहतक में ड्रेनेज क्लीनिंग के जो टैंडर किये गये वह सात जुलाई को ओपन किये गये जबकि 25 जून 2013 को बहुत ज्यादा वर्षा हो चुकी थी। उसके बाद जिस समस्या का सामना हमें करना पड़ा, इसका अन्दाजा कोई नहीं लगा सकता। सारी ड्रेनें ओवर फ्लो हो गई। आज भी अगर आप जाकर देखें तो आपको उसमें पटेरा (घास) सामने नजर आएगा। मैंने पिछले सैशन में भी आदरणीय मंत्री जी से निवेदन किया था और इन्होंने आश्वासन दिया था कि ऐसी ड्रेन्ज को आपके साथ जाकर खुद देखूंगा उनको चैक करूंगा। सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि न तो हमारी ड्रेन का लेवल ठीक है, न समय पर इनकी सफाई होती है, न ही किसी प्रकार का प्रोपर इन्तजाम होता है। जब पानी भर जाता है तब इनके टैंडर होते हैं। एक महीने तक लोग अपनी ट्रैक्टर ट्राली लेकर घूमते रहते हैं कि हमें मोटर दे दो, हमें इन्जन दे दो, लेकिन उनकी बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सिस्टम में जो अमैंडमैंट किया गया है। खास तौर पर ड्रेनेज सिस्टम में जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है। सर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो ड्रेन्ज हैं उनका सफाई का टाईम अप्रैल और मई के महीने में किया जाए क्योंकि उस समय वाटर लेवल भी नीचे होता है, लगभग सभी ड्रेन्ज सूखी होती हैं। उस समय अच्छे ढंग से उस ड्रेन लेवल का भी पता चल जाएगा। जो काम हमारे डिपार्टमैंट या ठेकेदारों द्वारा किया गया है वह भी अच्छी तरह से देखा जाएगा और इस दिक्कत से भी बचा जाएगा। लेकिन हमारा यह सारा काम जून और जुलाई के महीने में होता है जोकि हमारे लिये ठीक नहीं है। उसके बाद पम्प सैट लगने की बात आती है। सर, जून-जुलाई के महीने में वर्षा का पानी भर जाता है और जब मोटर पम्प लगाने की बात आती है तो कहते हैं 15 सितम्बर के बाद लगाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि 15 सितम्बर तक तो सब कुछ खत्म हो जाता है, कहीं भी कोई चीज बचने वाली नहीं होती और कई जगह तो ऐसा होता है कि हमें हर साल अपने पम्प सैट्स लगाने पड़ते हैं। वहां दो-दो, तीन-तीन गाँवों का सैंटर बना हुआ है। उस सैंटर में दो-तीन गाँव का पानी इक्ट्ठा हो जाता है और उस पानी को बिना लिफ्ट किये ड्रेन में नहीं डाल सकते। ऐसे जो प्वॉयंट्स हैं उन प्वॉयंट्स पर परमानैंट पम्प हाउसिज स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि जब भी बारिश हो और फालतू पानी इक्ट्ठा हो जाये तो इस तरह के जो परमानैंट पम्प्स है उनके द्वारा उसी समय फालतू पानी को लिफ्ट करके ड्रेन्ज में डालने का काम शुरू कर दिया जाये। टैम्परेरी ढंग से पम्प सैट्स लगाने की बजाय यदि हम एक बार में ही परमानैंट पम्प हाउसिज स्थापित कर दे तो मुझे लगता है कि इन परमानैंट पम्प हाउसिज पर जो खर्च होगा वह टैम्परेरी पम्प सैट्स लगाने की बजाय बहुत कम होगा। जब टैम्परेरी रूप से पम्प सैट्स स्थापित किये जाते हैं तो इनकी लिफ्टिंग, लोडिंग तथा कैरिज आदि में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। यदि परमानैंट पम्प हाउसिज स्थापित करेंगे तो उसमें एक कोठड़ा(छोटा कमरा) बनाकर मोटर सैट कर दी जायेंगी और जब कभी भी लगेगा कि बारिश ज्यादा है और पानी इक्ट्ठा हो गया है तो अपनी सुविधानुसार पंप सैट्स ऑन करके फालतू पानी को ड्रेन्ज में डाल दिया जायेगा। इस तरह हमारी समस्या का हल भी हो जायेगा और सरकार पर ज्यादा

[श्री आनन्द सिंह दांगी]

वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। हमारे क्षेत्र में कुछेक एरियाज ऐसे हैं जहां पर 12 महीने पानी खड़ा रहता है। जब रोहतक से झज्जर की तरफ जाते हैं तो सड़क के दोनों तरफ पानी खड़ा मिलेगा कही भी कोई सूखी जगह दिखाई नहीं देगी। बहुअकबरपुर से जब हिसार की तरफ जाते हैं तो वहां भी सड़क की दोनों साईड्स पर पानी ही पानी नजर आता है। इसी तरह अगर दिल्ली व सोनीपत की तरफ जाते हैं तो वहां भी सड़क के दोनों तरफ पानी ही पानी नजर आयेगा। मैं देख रहा हूं कि श्री सतपाल सांगवान जी भी अपनी सीट पर बैठे बैठे मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में भी इसी तरह के हालात हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए चाहे कोई नई लिंक ड्रेन ही क्यों न जोड़नी पड़े या कोई अमैंडमेंट ही क्यों न करना पड़े, कर देनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर सर, यदि किसान की एक फसल मर जाती है तो वह 10 साल पीछे चला जाता है और जिस किसान की दोनों फसल ही मर जाती है तो समझ लो फसल नहीं, किसान मर गया। उसके पास बच्चों के अच्छे व स्वस्थ ढंग से पालन-पोषण के लिए, उनके भोजन के लिए व स्कूली किताबें लाने के लिए कोई साधन नहीं बचता है और वह अपने को असहाय और असमर्थ महसूस करने लग जाता है। व्यापारी तो रोजाना ही पैसे कमा लेता है, सर्विसमैन महीने के अंत में चाहे वह काम करे या न करे तन्ख्वाह ले लेता है लेकिन बेचारा किसान कहां जाये? किसान को इस तरह की प्रॉब्लम किसी एक साल में ही नहीं बल्कि उस बेचारे को तो हर साल किसी न किसी समस्या से दो चार होना ही पड़ता है। जो लो-लाईन एरियाज हैं उनमें हर साल पानी भरता है, लोग मारे-मारे फिरते हैं लेकिन उनकी समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मंत्री जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि यदि लैंड स्लाईडिंग से हमारी ड्रेंज बंद होती है तो समय पर उनकी पिचिंग करवाई जाये, अगर लैवल ठीक नहीं है तो उनके लैवल ठीक किये जायें। जहां तक ड्रेन्ज की सफाई की बात है तो मार्च और अप्रैल में उनकी सफाई अवश्य की जाये और जहां तक पम्प सैट्स लगाने की बात है तो परमानैंट पम्प सैट्स लगाकर किसान भाईयों को नुक्सान से बचाया जाये। मंत्री जी हम आपका बड़े भाई की तरह मान-सम्मान करते हैं। मैं आपसे इन समस्याओं को दूर करने का आश्वासन चाहता हूं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान अपनी इन समस्याओं से निजात पाने के लिए आपकी तरफ देख रहे हैं। मेरा निवेदन है कि कोई सॉलिड प्रोग्राम बनाकर इस प्रकार की समस्याओं को हल किया जाये ताकि आने वाले वक्त में ठीक ढंग से सारा काम चल सके।

प्रो. सम्पत सिंह (नलवा) : उपाध्यक्ष महोदय, चट्ठा साहब हरियाणा कैनाल एंड ड्रेनेज ऐक्ट, 1976 में सैक्शन 2 और 58 में अमैंडमैंट लेकर आये हैं उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। गवर्नमैंट का ध्यान ठीक दिशा में गया है। जब ट्रेड ऐफ्यूएंट खुले आम पीने के पानी में मिक्स होता है तो उसकी वजह से इरिगेशन में तो नुकसान होता ही है साथ ही जब यह वाटर ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है तो इसके परिणाम और ज्यादा घातक सिद्ध होते हैं। यदि आप यमुनानगर और जगाधरी के एरियाज देखें तो पायेंगें कि वैस्टर्न यमुना कैनाल में भी इस तरह का ट्रेड ऐफ्यूएंट का गंदा पानी जाता है। उसके बारे में यह जो ई.पी. ऐक्ट 1983 है उसमें बी.ओ.डी. की जो परमिसिबल लिमिट है उससे दो तीन गुना ज्यादा बी.ओ.डी. चल रही है। हमारी पी.ए.सी. मौके पर निरीक्षण करने गई थी वहां मैंने देखा और पौल्यूशन डिपार्टमैंट के अधिकारियों को कहा कि पानी को चैक करो जो पानी नदी में गिर गया है पहले जो फ्लो आ रहा है उसके बाद स्ट्रीम पर देखो, उसके बाद डाउन स्ट्रीम पर देखो और जहां पर यह लिमिट 30 होनी चाहिए वह 70, 80 और 100 तक चल रही है इससे

अंदाजा लग रहा है कि एस.टी.पी. भी प्रौपर्ली काम नहीं कर रहे हैं। फाइन किस पर लगाएंगे? फाइन तो सिर्फ गवर्नमैंट डिपार्टमैंट्स पर ही लगेगा। प्राइवेट आदमी ऐसा कोई काम नहीं कर रहा, अगर होगा भी तो बहुत कम होगा कि इंडस्ट्री वाला कोई गंदा पानी छोड़ रहा है तो सरकारी ड्रेन में डालकर फिर ड्रेन को नदी में डाल देते हैं। सर, सरकार ने और कार्पोरेशंस ने ड्रेन बनाई है। यमुनानगर में भी एक ड्रेन है उसमें एक जगह तो सीधा ही सीवरेज का पानी जा रहा है, दूसरी जगह ट्रीटेड पानी + सीवरेज का पानी जा रहा है, तीसरी जगह पर ट्रीटेड पानी जा रहा है। तीनों जगह पर हम बी ओ डी लैवल चैक करके आए थे। चड्ढा साहब, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आपने तो यह महकमा आज से 40 साल पहले भी देखा हुआ है। मंत्री जी की मंशा ठीक है कि टेल तक साफ पानी पहुंचे, इसलिए जो ये इस बिल में चेंजेज लेकर आए हैं वह सराहनीय हैं। इसमें बाद में चार्जेज की बात आई है। चार्जेज जो हैं वह काफी नॉमिनल हैं चार्जिज के लिए मैं कहता हूं कि चाहे चार्जिज और बढ़ा लीजिए और सजा भी बढ़ाइए। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा दोष म्यूनिसिपल काउंसिल्स और कार्पोरेशंस का है उनका सीधे पानी जा रहा है और जो एस.टी.पी. लगा रखे हैं वह हुडा और पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट ने लगा रखे हैं. ज्यादातर गल्ती इनकी है इसको आप चैक कराइए और देखिए कि नहरों के पानी की आज क्या स्थिति है ? मैन तो सरकारी साधनों से ही उनमें गंदा पानी जा रहा है। मेरी आपसे अपील यही है कि उन सबको चैक कराएं ताकि लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंच सके और वह पानी पीकर लोग बीमार न हों। आपकी इंटैंशन इसमें अच्छी है लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि इस मामले में गवर्नमैंट आर्गेनाइजेशंज की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद !

श्री आफताब अहमद (नूंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इस बिल में एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। हमारे यहां आगरा कैनाल से गुड़गांव कैनाल में पानी जाता है फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव और मेवात जिले के लिए जाता है। उस पानी की क्वालिटी कैसी है। मैं समझता हूं कि वह पानी पीने की तो बात दूर की है वह तो सिंचाई के और पशुओं के पीने योग्य भी नहीं है। यह सब ऐफ्लूएंट ट्रीटमैंट प्लांट्स के ठीक से काम न करने की वजह से हो रहा है। यह ठीक है कि इसमें आप कंविक्शन का प्रावधान कर रहे हैं ताकि इसको तरीके से इम्प्लीमैंट करके इस समस्या को रोक सकें, यह हमारी मंशा होनी चाहिए। यह बिल स्वागत योग्य है इसे पहले ही हो जाना चाहिए था। मेरा मानना है कि इसे कड़ाई से, सख्ती से इम्प्लीमैंट करने की जरूरत है।

श्री राजपाल भूखड़ी (सढौरा) (अ.जा.) : उपाध्यक्ष महोदय, ड्रेनेज के बारे में जो सदन में बिल आया है और उस बारे में श्री आनंद सिंह दांगी जी ने जो बात कही है उनकी बात के साथ मैं अपनी बात को जोड़ता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यमुनानगर का जो क्षेत्र है उसमें जगाधरी इलाके का आप नेतृत्व करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सढौरा के क्षेत्र में कई हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि हर वर्ष ड्रेनेज की वजह से बर्बाद हो जाती है और उसकी वजह से किसानों की हालत कैसी होती है यह आपको सबको पता है । मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि वहां पर हर साल किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है । इसके लिए किसान मारे मारे घूमते हैं लेकिन हम उनके बारे में कुछ नहीं कर पाते। जहां तक सरकारी पैसे की बात है तो वहां पर सरकार पैसा मई और जून के महीने में भेजती है और विभाग मई और जून के महीने में वहां पर काम करना शुरू करता है लेकिन उस समय बरसात आ जाती है और जो मिट्टी का बांध सरकार की तरफ से लगाया जाता है वह बरसात के पानी

[श्री राजपाल भूखड़ी]

में बह जाता है । इस प्रकार सरकार द्वारा लगाया हुआ सारा पैसा पानी में बह जाता है । मेरा सरकार से निवेदन यह है कि जगाधरी, यमुनानगर और सढौरा क्षेत्र के लिए इस ड्रेनेज की समस्या का समय पर समाधान किया जाए ताकि जो बरसात के पानी से किसानों की फसल खराब होती है उनसे किसान बच सकें । मेरा कहना यह है कि मेरे इलाके में अभी तक भी फसलों में पानी खड़ा है उसकी निकासी नहीं हुई है । खेतों में पानी भरा खड़ा है जिसके कारण कई तरह की बिमारियां फैल जाती हैं । डेंगू जैसी बीमारी फैलने का डर है। सरकार यह बिल लेकर आई है इसलिए मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। मेरा कहना यह है कि जो पैसा सरकार मई, जून में देती है उस पैसे को मार्च या अप्रैल में दे ताकि जो भी नदियां हैं उनका काम समय पर हो सके और किसानों की फसल बर्बाद होने से बच सके ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी, ज्यादातर सदस्यों की मांग है कि यह काम थोड़ा पहले हो जाना चाहिए।

श्री राजपाल भूखड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, हर साल 60-70 करोड़ रुपये खर्च करके उन नदियों पर बांध बनाये जाते हैं लेकिन वह सारा का सारा पैसा बरसात के पानी में बह जाता है । इस बात पर सरकार को पूरा ध्यान देना पड़ेगा। मैंने माननीय मंत्री जी से पहले चर्चा भी की है और मैंने इस बारे में लिखित में भी दिया है कि इस समस्या का समाधान कीजिए क्योंकि हम कई सालों से पीड़ित हैं । धन्यवाद ।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दांगी साहब की इस बात से सहमत हूं। मेरा हल्का भी फ्लड अफैक्टिड है। जब बरसात आती है तो पानी भर जाता है और इस बारे में जब अधिकारियों को कहा जाता है तो अधिकारी कहते हैं कि वहां पर पानी भरा हुआ है इसलिए जे.सी.बी. की मशीन वहां पर नहीं जा सकती और सफाई नहीं हो सकती । सर मेरा सुझाव है कि यह काम मार्च महीने तक कम्पलीट हो जाना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी, भविष्य में अगर काम थोड़ा जल्दी हो जाए तो अच्छा है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो यह सैक्शन 58 में अमेंडमैंट लाना चाहते हैं कि - In Section 58 of the principal Act,—

(i) After clause (j), the following clause shall be inserted, namely:—

"(k) discharge any sewage or trade affluent into a canal"

मैं कहना चाहता हूं कि उसमें कैनाल शब्द के साथ आपको ड्रेनेज शब्द भी जोड़ देना चाहिए क्योंकि पानीपत एरिया में ड्रेनेज में ही ट्रेड का ऐफ्लूएंट डाला जाता है। नहर की तरह ये ऐफ्लूएंट ड्रेन में आता है जो गोहाना के एरिया तक मार करता है। इसलिए आसपास के सभी गॉवों का जो अण्डरग्राउंड वाटर है वह जहरीला हो गया है। वह ड्रेन परमानैंटली इस ट्रेड ऐफ्लूएंट से भरी रहती हैं और इनमें इतनी बदबू आती है कि लोग उसके पास से जा नहीं सकते । इसलिए इसमें कैनाल की तरह ड्रेन भी शब्द जोड़ा जाना चाहिए ताकि इन गावों का अण्डरग्राउंड वाटर खराब न हो । यह वहां के इलाके की बहुत भारी समस्या है।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर सर, सरकार इस बिल में जो एमेंडमैंट लाई थी वह सारे बिल को कवर नहीं करती । सरकार तो केवल दो छोटी-छोटी अमेंडमैंट लेकर आयी है ।

लेकिन माननीय सदस्यों ने तो सारे ऐक्ट का ही पोस्टमार्टम कर दिया । सारे भाइयों ने करनी तो बात यह थी कि दो बातें जो सरकार लेकर आई है उनमें एक तो अनलाईन्ड कैनाल का लफ्ज काट दिया है । इसमें नहर के साथ-साथ टयूबवैल्ज लगते हैं वे नहर का पानी खींच लेते हैं । अगर टयूबवैल की लाइन नहर के साथ लगे तो ईंटें भी उखड़ती हैं। इसलिए इस लफ्ज को काटा है और दूसरी बात सम्पत सिंह ने बताया कि जो गंदा पानी नहरों में गिराते हैं उनके ऊपर जरूर ज्यादा से ज्यादा पाबंदी होनी चाहिए और सख्ती होनी चाहिए । यह मैं मानता हूं कि उन पर कार्यवाही होनी चाहिए क्योंकि मेरा घर भी ऐसी जगह बना हुआ था जहां एक प्लांट था । कोई ऑफिसर आता था तो उसको टेलीफोन कर देता था कि इतने बजे हम रेड करेंगे तो उस वक्त वह मशीन चला लेता था और धुंआ साफ हो जाता था । जब वह ऑफिसर चला जाता था तो उसकी पोजीशन वही हो जाती थी । सुबह हमारे रिश्तेदार या मिलने वाले आते तो कहते कि चड्ढा साहब आपने यहां मकान क्यों बना दिया परंतु परमात्मा की कृपा से उसको घाटा पड़ गया और वह चला गया। अब वहां कालोनी बन गई है। शहरों के नजदीक गत्ते की मिल्ज लगी हुई हैं । ये मिल्ज सारा गंदा पानी नहरों में ले जाती हैं। म्यूनिसिपल कमेटीज का उतना पानी इनमें नहीं जाता जितना इन इंडस्ट्रीज का पानी जाता है । जब तक हम सख्ती से काम नहीं लेते तब तक यह पानी नहीं रुकेगा । मुझे इस बात का दु:ख है कि जो पानी हमने पीना है और हमारे बच्चों ने आगे जाकर पीना है उसमें गंदा पानी डालेंगे तो देश का क्या बनेगा और हमारा क्या बनेगा? इस बात में बड़ा वजन है । हम इस मामले में देख रहे हैं और मैं हाउस में यह वायदा करता हूं कि हम सख्ती से काम करेंगे। दांगी साहब ने फ्लड वाली बात कही कि मेरे हल्के में पानी आ जाता है । अनफोरचुनैटली वहां दो तीन जिलों में अंडरग्राउंड पानी नमक वाला है । अगर अंडरग्राउंड पानी मीठा हो तो टयूबवैल्ज खींचकर 300-400 फुट पानी नीचे से ऊपर ले जाएं और अपनी फसलों को पानी दे सकते हैं । वहां ट्यूबवैल्ज कामयाब नहीं हैं इसलिए जो बारिश का पानी आता है वह कहीं न कही डिप्रैशन में इकट्ठा हो जाता है । यह ठीक है कि इनको यह दिक्कत है और कई सालों से है । यह दिक्कत इनके बाप दादा के टाइम से है । हमने कुछ नाले बनाए हैं जिसमें पानी जाता है । परमात्मा सुख रखे, मेरा इनसे वादा है, इनके यहां जितना पानी आएगा उसको जितनी जल्दी हो सकेगा, निकालने का मैं वादा करता हूं । मैं यह नहीं कहता कि पानी आएगा नहीं, पानी तो आएगा लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगा हम उसको निकाल देंगे।

श्री आनन्द सिंह दांगी : पानी न आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पानी आता है इसलिए प्रोब्लम है ।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा : पानी आने की बात है that is a point to be seen by the Engineers and all others लेकिन जहां डिप्रैशन होगा वहां पानी तो आएगा, लेकिन बात यह है कि उसको जल्दी निकालने का साधन होना चाहिए। जहां तक मेरे साथियों ने सफाई की बात की तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बजट 30 -31 मार्च को पास होता है । बजट हिलते हिलते अप्रैल का महीना लग जाता है और मई में काम शुरू होता है । अगर बारिश जून में आ जाए तो काम बीच में रह जाता है लेकिन फिर भी जितनी जल्दी हो सकेगा हम इन नहरों की सफाई करवाने की कोशिश करेंगें । उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस अमेंडमैंट को पास कर दिया जाए।

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That the Haryana Canal and Drainage (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(v) दि हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टैम्परेरी रिलीज) अमैंडमैंट बिल, 2013

Mr. Deputy Speaker : Now, the Minister will introduce the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill, 2013 and will also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill, 2013.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved—

That the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री सम्पत सिंह (नलवा): उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी यह बिल सरकार विधान सभा में लेकर आई थी, यह 2013 का बिल है और बहुत अच्छा बिल है इसमें कोई दो राय नहीं है। बार-बार कैदी पैरोल जम्प कर जाते हैं और उसके बाद फिर दोबारा और तिबारा भी पैरोल पर चले जाते हैं । उसमें हार्ड और प्रिजनर्ज को डिफाईन किया था यदि कोई बार-बार पैरोल या बेल जम्प कर जाता है तो उनको पैरोल न दी जाये । इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह बहुत बढ़िया कानून है। लेकिन इसमें एक खामी यह है कि यह रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से लागू हो गया । रणदीप जी, मैं यह कह रहा हूं कि यह रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से लागू हो गया । यदि एक आदमी ने आलरैडी आज से दो साल पहले पैरोल जम्प कर ली । उसके बाद चार बार उसने पैरोल ले ली और समय पर वापस भी आ गया लेकिन अब यह कानून लागू होने पर वह पैरोल पर नहीं जा सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि पैरोल जिस आदमी ने कई बार पहले ले ली और उसके बाद वह पैरोल की बेल जम्प कर गया । उसके बाद चार पैरोल और ले ली और उनमें टाइम पर आ गया तथा कोई ऑफेंस नहीं किया । उसको भी अब इसमें इनवौल्व कर लिया गया है । अब यदि वह पैरोल मांगता है तो नहीं मिलेगी । इसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि यह रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से लागू न हो बल्कि प्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से लागू हो क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था कि यह कानून क्या था ? इसमें दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके अंदर कुछ टाइम रख दें क्योंकि हम कैदियों की पुलिसिंग नहीं कर रहे हैं । जहां कैदियों को जेल में रखा जाता है उसका नाम सुधार घर है । Police or Prisoners all together different है । उनका माहौल अलग-अलग है । हम क्रिमिनल को जो

[प्रो० सम्पत सिंह]
टेकअप करते हैं वह अलग तरीके से करते हैं जिनसे इनवैस्टीगेशन करने की जरूरत पड़ती है और जो एक आदमी सजा पाने के बाद कैदी हो गया है उसको हम मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करते हैं ताकि उसका गुड कंडक्ट हो जाये तथा जेल से आने के बाद अपने बच्चों को संभाल ले और दोबारा से क्राइम की तरफ न जाये । मेन मकसद जेल का यही होता है । सर, अकेले हमारा मकसद यह नहीं होना चाहिए कि हमें अपराधियों को चारदीवारी में बंद करना है । हम उनसे बाकायदा फार्मिंग भी करवाते हैं । इस समय उन्हें अलग-अलग ट्रेड्स की ट्रेनिंग भी दी जा रही है । हरियाणा गवर्नमैंट ने यह बहुत अच्छा काम किया है कि कई जेलों में कैदियों को अलग-अलग ट्रेडज़ की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वहां पर उनके लिए स्पोर्ट्स एक्टीविटीज़ भी शुरू की गई हैं । उनसे खेती का काम भी इसलिए करवाया जाता है ताकि उनका मन लगा रहे । वे डैविल माईंड न रहें और सारा दिन अपराध की बात को ही न सोचें । जेल के अंदर वर्कशॉप भी लगाई जाती हैं जहां पर उनको कोई न कोई काम सिखाया जाता है ताकि ये जेल से बाहर आने के बाद रिहैबिलीटेट हो सकें । इस प्रकार की काफी चीज़ें वहां पर होती हैं । इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस विभाग के काम को पुलिस का काम न मानकर जेल विभाग का काम मानें । यह पुलिस अधिकारियों के द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप जेल अधिकारियों से पूछेंगे तो वे इस पर रिफॉर्मेटिव और प्रिवैंटिव ऐक्शन चाहेंगे। जेल अधिकारी तो यह चाहेंगे कि जेल से बाहर आकर उनका अंदर से रिफॉर्म हो जाये । जेल के अंदर तो वे जेल प्रशासन की कस्टडी में होते हैं । इसलिए मैं एक बात तो यह चाहता हूं कि यह एक्ट एक तो रिट्रोरिस्पैटिव इफैक्ट से लागू न हो और इसमें कुछ टाइम फिक्स कर दिया जाये जैसे 3 साल, 4 साल या 5 साल तक किसी को पैरोल नहीं मिलेगी लेकिन इसको सारी उम्र के लिए लागू कर देना ठीक नहीं होगा । **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि उसको आप बाहर की हवा बिल्कुल भी नहीं खाने देना चाहते हैं । कुछ क्रिमिनल की वजह से यह सबके लिए नहीं होना चाहिए। जो खतरनाक अपराधी हैं और पैरोल से भाग जाते हैं ऐसे किन्हीं एक-दो अपराधियों के कारण सजा सभी को न मिले, यह मैं चाहता हूँ। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि पहले जेल के अंदर फार्म हुआ करते थे । रणदीप जी अगर आप पुराना रिकार्ड देखेंगे तो पायेंगे कि जेल विभाग की काफी ज़मीनें इधर उधर ट्रांसफर हो गई हैं। ये जो जेल विभाग की ज़मीनें ट्रांसफर हो गई हैं अगर कैदियों से फार्मिंग का काम करवाना होगा तो उनको वह काम करवाने के लिए कहां पर लेकर जायेंगे। किसी से आपको सब्जी लगवानी है और किसी से बागवानी करवानी है या फिर खेती के दूसरे काम करवाने हैं, उन सबके लिए आप उनको कहां पर लेकर जायेंगे । यह खेती करवाने का सिस्टम आज का नहीं है बल्कि पुराने समय से चला आ रहा है । यह इसलिए करवाई जाती थी ताकि उनसे उनकी रुचि और उनके कंडक्ट के अनुसार काम करवाया जा सके जिसकी जेल सुपरिन्टैन्डैन्ट द्वारा बाकायदा ड्यूटी लगाई जाती है । काम में लगा रहने के कारण अगर किसी का कंडक्ट बदल जाता है तो उसको बाहर भी निकालते हैं ताकि वह काम करके खुली हवा में सांस लेकर यह महसूस कर सके कि मैं भी और लोगों के बराबर हूँ और मेरे में भी मानवता की बात आ गई है । इस प्रकार से उसका मानवीय व्यवहार भी बदला जा सकता है । इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इसको रिफॉर्मेटिव बनाया जाये।

श्री राजपाल भूखड़ी (सढौरा) (अ.जा.) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय श्री सम्पत सिंह जी से यह पूछना चाहता हूं कि जैसा कि ये जेलों के बारे में बता रहे हैं कि हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जेलें सुधार गृह की तरह काम करें और उनमें कैदियों का सुधार हो

क्योंकि वहां पर सुधरने का अवसर होता है ये यह भी बतायें कि जो इनके पुराने साथी श्री चौटाला और उनके पुत्र श्री अजय चौटाला जो आजकल जेल 10 वर्ष और 17 वर्ष की सज़ा काट रहे हैं, क्या वे भी सुधरकर बाहर आयेंगे? जब वे बाहर आयेंगे क्या उनमें भी मानवता आ जायेगी?

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, इनकी बात का जवाब सबसे पहले तो मैं यह देना चाहूंगा कि वे हरियाणा की जेल में नहीं हैं बल्कि वे तिहाड़ जेल में हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : राजपाल जी, सम्पत सिंह जी उनको सुधारने के चक्कर में नहीं बल्कि ये तो उनको खत्म करने के चक्कर में हैं ।

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जैसा कि आप कह रहे हैं मेरा मकसद सिर्फ सुधार ही नहीं है बल्कि मेरा मकसद तो यह है कि जो राजनीति में अपराध और पाप का बोलबाला हो गया है वह खत्म हो जाये। जो लोग आज के दिन राजनीति में पाप और अपराध का सिम्बल बने हुए हैं उनके आचरण से पाप और अपराध दोनों ही खत्म हो जायें । मेरा मतलब इनको खत्म करने से नहीं है बल्कि पाप और अपराध का राजनीति से खात्मा करने से है। मैं यह चाहता हूं कि हमें पाप से नफरत करनी चाहिए न कि पाप करने वाले से । मेरा कहने का यही मतलब है कि हम तो पाप और अपराध से नफरत करते हैं न कि पाप और अपराध करने वाले से । सर, जहां तक उनके बाहर आने का सम्बंध है तो जब वे बाहर आयेंगे तो उनकी हालत ऐसी हो जायेगी कि उनका बाहर आना या न आना एक बराबर हो जायेगा । इसलिए उस समय सुधार होने या न होने की बात तो रह ही नहीं जायेगी क्योंकि जब आदमी एक बार डिफैक्टिड हो जाता है तो उसके बाद उसमें क्या रह जाता है?

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, Ch. Sampat Singh has raised two issues. One issue is regarding sub-clause 2(aa) (v) and on the second page, at the end where the words used are 'who failed to surrender'. He says, since it is retrospective in nature, it should be made prospective. Sir, I propose that instead of the word 'failed', the word 'fails' may be substituted. That will make it prospective in nature. To that extent, that amendment I am moving that it should be accepted.

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक्ट प्रोस्पैक्टिव लागू हो क्योंकि आपका एक्ट तो पहले ही लागू हो चुका है । एक्ट जिस दिन पास हुआ था वह उसी दिन से लागू हो । जबसे आपने यह एक्ट बनाया है उसी दिन से लागू होना चाहिए ।

Shri Randeep Singh Surjewala: We brought this Act in 2013. Sir, that is not acceptable and would not be possible, as I explained the reason to my learned senior colleague. He has far more experience than I have. Sir, reformative aspects of prison system are an essential pre-requisite of any present system. There are no possible two opinions on the issue that Prof. Sampat Singh Ji has raised that the principal aspect of the present system is also to reform. But across the world including in our criminal justice system, there are sets of people which are identified as criminals. When those criminals come out in the society, then they are very threat to the vary fabric of the society. In Haryana and in rest of the country there have been umpteen number of cases where either convicted criminals or hard core criminals as also those who are facing serious charges of the types that I have mentioned,

Haryana Vidhan Sabha Secretariat Chandigarh LIBRARY

[Shri Randeep Singh Surjewala]

they have come out and committed crimes and sometimes, even absconded. So, the Government took a conscious call and has now added a definition of hard core criminals and has defined offences which are really against person. Sir, post the 'Nirbhaya' case in which conviction has been announced yesterday by an Hon'ble Court, we have seen that there are certain types of offences where if you leave the criminals then they are a threat to all the peace loving citizens. So, we have carved out a category of hard core criminals and that is why it would have to be applicable from the date of introduction of the Act. To the extent of hard core criminal definition getting added and its rigorous applying, I suppose if we just add the word 'fails' instead of 'failed' then that much succor would be provided and my learned friend can also read the provisions and verify that. Qua granting them exemption or parole after five or six years of sentence, it is a matter of Government policy, and Government has taken a conscious call not to do so in case of those who have committed crimes against persons. There are two types of crimes. There could be a crime against property. But these are all heinous crimes against persons and they are a threat to the vary social fabric of the society. So, it is not possible for me to accept that suggestion of the Hon'ble Member although I laud the purpose for which it has been made.

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो वे सोच रहे हैं मैं वह नहीं कह रहा हूँ । मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देना चाहता हूँ । आपने जो कैटेगराईज किया है वह बिल्कुल ठीक किया है कि ऐसे जो क्रिमिनल हैं उनके लिए तो वही जगह ठीक है, यह बात आपकी बिल्कुल ठीक है । अगर इनको बाहर निकाला जायेगा तो ये बाहर आ कर फिर क्राइम करेंगे । मैं यह कह रहा हूँ कि आपस में दुश्मनी होती है, मान लो एक आदमी ने दूसरे का मर्डर कर दिया । उसके बाद वह आदमी आपका यह एक्ट बनने से पहले, मान लो 2 साल पहले 3 साल पहले एक बार वह बेल जम्प कर गया । 10 दिन की बजाय वह 15 दिन बाद चला और वह भी without committing any crime. सिर्फ एक डिले की वजह से आपने 10 दिन लिखा है। आपने जो फेल शब्द लिखा है, आप वकील हैं आप शायद मेरे से ज्यादा जानते होंगे और मेरे वाली बात का हल भी निकल जाए। मुझे उम्मीद है कि शायद हल निकल जाएगा।

13.00 बजे

श्री अध्यक्ष : हल तो निकल ही गया failed or fails से हल निकल ही गया है, you need not worry on that. Fails means prospective way.

प्रो. सम्पत सिंह : सर, गवर्नमैंट ने एक बार पहले उसको चार बार पैरोल दे दी और अब जब ये लागू हुआ, अनफॉरच्यूनेटली मैं जहां तक आपकी फेल की बात को अंडर स्टैंड कर रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि आप वकील भी हैं और एक जिम्मेवार मंत्री भी हैं। सरकार जवाब दे रही है तो वह ठीक ही होगा। मेरा मतलब ही यही था कि अगर कोई पैरोल पर जाकर जम्प कर देता है, उसके बाद वह आदमी कई बार पैरोल पर जाकर वापस आ लिया तो आज हम उसकी पैरोल बंद न करें ।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, bail should take care of it. Although, if you are a murder convict then in anyway you won't get parole because that is specifically a crime against person included as a part

of hard-core criminals.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from the Parliamentary Affairs Minister in Clause 2 of the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill, 2013. He may please move his motion.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

In clause 2, in Sub-section (v) for the word 'failed', the word 'fails' be substituted.

Mr. Speaker : Motion moved—

In clause 2, in Sub-section (v) for the word 'failed', the word 'fails' be substituted.

Mr. Speaker: Question is—

In clause 2, in Sub-section (v) for the word 'failed', the word 'fails' be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2, as amended, stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

Parliamentary Affairs Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

(vi) दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 2013

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2013 and will also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2013.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(vii) दि पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रैगुलेशन) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 2013

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 2013 and will also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 2013.

[Shri Randeep Singh Surjewala]

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from the Parliamentary Affairs Minister in Clause 2 of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 2013. He may please move his motion.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

In clause 2, for section 5A.(1), the following shall be substituted:

"A Panchayat may, gift, sell, exchange or lease the land in shamilat deh vested in it under this Act to such persons including members of Scheduled Castes and Backward Classes, on such terms and conditions, as may be prescribed:"

Mr. Speaker: Motion moved—

In clause 2, for section 5A.(1), the following shall be substituted:

"A Panchayat may, gift, sell, exchange or lease the land in shamilat deh vested in it under this Act to such persons including members of Scheduled Castes and Backward Classes, on such terms and conditions, as may be prescribed:"

Mr. Speaker: Question is—

In clause 2, for section 5A.(1), the following shall be substituted:

"A Panchayat may, gift, sell, exchange or lease the land in shamilat deh vested in it under this Act to such persons including members of Scheduled Castes and Backward Classes, on such terms and conditions, as may be prescribed:"

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2, as amended, stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा): स्पीकर सर, जिस वक्त सरदार प्रताप सिंह कैरों पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री हिन्दुस्तान के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हुआ करते थे उस समय देश इतनी बुरी हालत से गुजर रहा था कि झोली फैलाकर विदेशों से अनाज मांगा जाता था और लोग बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर-बसर कर पा रहे थे। उत्तर प्रदेश के अन्दर इतने घने जंगल हुआ करते थे कि यदि कोई आदमी हाथ मारकर भी चला जाये तो लाख कोशिशों के बावजूद भी उस व्यक्ति का अता-पता नहीं चलता था। मैंने भी यह जंगल देखें हैं और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने भी इस प्रकार के घने जंगल अपनी आंखों से देखे हुए हैं। कई बार तो ऐसा होता था कि इन घने जंगलों में जब आदमी फंस जाता था तो किसी ऊंचे दरख्त पर चढ़कर देखता था कि किस साइड में अपना ठिकाना है। इन घने जंगलों में दरख्तों के नीचे बिल बने होते थे जिनमें 8-10 सांप तो अमूमन रहते ही रहते थे। डर की वजह से गांव वाले तो इन जंगलों में जाते ही नहीं थे। जो लोग पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से हमारे देश में आये थे जिनमें पंजाबी हिंदू,

[सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा]

पंजाबी क्रिश्चियन, पंजाबी हरिजन और सरदार भी थे, इनको अपील की गई कि आपको लीज पर जमीन दी जाती है। आप यहां पर आयें और जंगलों को काटकर बस्ती आबाद करें। यह लोग जंगल आबाद करने के लिए यहां पर आ गये। उस वक्त जंगल आबाद करने के दो ही साधन हुआ करते थे एक कस्सी और दूसरी कुल्हाड़ी। अब वर्तमान में तो बड़ी-बड़ी मशीनें आ गई हैं। कस्सी और कुल्हाड़ी के बल पर कई-कई सालों में जंगलों को आबाद किया गया। जब इन जंगलों में बस्तियों को बसाया जा रहा था तो यहां पर सांप काटने, मलेरिया व टाईफाईड की वजह से बहुत सी मौतें हुई थीं। उस समय कोई अस्पताल नहीं था, कोई रास्ता नहीं होता था और न ही आने जाने के कोई साधन थे। इस जमीन के जो पट्टेदार थे उनमें से कुछ इंडिविजुअल फारमर्ज थे। कुछ पट्टेदारों ने 20 साल के बाद अपने पट्टे छोड़ दिये। अब इनके पास केवल यही जमीन बाकी बची है जिसके मुतल्लक यह बिल आया है। जब सामने पड़ी खाली बैंचों पर बैठने वालों का राज हुआ करता था उस वक्त स्पीकर साहब, आपको याद ही होगा कि इन विपक्ष के लोगों ने आपके हल्के के साथ लगते कई गांवों में जैसे गुमथला, गुलडेरा, गढी लांगरी, बोदनी और मोरपुर गांव में लगभग सारे सूबे की पुलिस को भेज दिया था। इन्होंने पुलिस के साथ-साथ सौ-सौ ट्रैक्टर तथा ट्रैक्टरों के साथ गेहूं काटने वाली मशीनें भी भेज दी थी। वहां गोलियां चली, यहां तक किया कि गांव की सारी फसल काट ली, गीली कनक भी काट ली और सूखी भी काट ली। सारे मकान गिरा दिए, मकान ही नहीं गिराए ट्यूबवैल भी तोड़ दिए। उनके पीने के पानी के नलके भी तोड़ दिए ताकि वे लोग वहां रह भी न सकें। पास के गांव के लोग उनको रोज वहां पानी पहुंचाते थे। ये वहां कामयाब तो नहीं हुए लेकिन टैरर इतना कर दिया कि जैसे ये कहते थे कि मुख्यमंत्री किस बात का जिसके बारे में सोचकर रात को सोते सोते फड़ककर आदमी डर के मारे पलंग से नीचे न गिर जाए। ये टैरर इसने वहां फैलाने की कोशिश की। बाद में उस गांव के लोगों ने अपील की, खुशकिस्मती से उस समय कांग्रेस का राज था इस वजह से लोग बच गए। एक दफा और अटैक हुआ इनके ऊपर। एक अम्बरसरी और करासाध फार्म है, करासाध में गोली लगने से दो आदमी मरे, 4 ट्रैक्टर उसमें जल गए, सात आदमी गोलियों से जख्मी हुए, कई जेल भी चले गए। ये हाल उनके वक्त हुआ। जो फारमर्स को अपना सबसे बड़ा वफादार साथी समझते हैं और जिन्होंने फारमर्स के वोट भी इसीलिए लिए कि हम तो आपके हैं। आप मेरे हैं इसमें कांग्रेस का क्या है? आज अगर यहां बैठे होते तो उनको पता चलता कि कितने जुल्म सितम इन्होंने उन गांवों के किसानों पर किए थे। इस बात पर मुझे वारिस शाह की बात याद आ गई है। ये शायद इसलिए जेल में गए हैं। वारिस शाह कहता है-

वारिस शाह उजाड़ दे वस्दयां नूं,

आप खैर दे नाल फिर वसिये क्यूं।

वे स्वयं खैर के साथ नहीं बस सके। फिर वही बात उनकी हुई। उनका राज अब गया और अब वे जेलों में पड़े हुए हैं। हमारी खुशकिस्मती थी कि हुड्डा साहब आ गए। हुड्डा साहब ने आते ही कह दिया कि मैं किसी को उजाडूंगा नहीं। मैं बसाने वाला हूं। मुझे पता है कि कितनी मुश्किल से लोगों ने फिर अपनी जमीन आबाद की है। मैं इनको बसाऊंगा। लेकिन कानून की कई दिक्कतें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट आ गई, हाईकोर्ट की जजमैंट आ गई। लेकिन इस बीच में जब भी मुझे हुड्डा साहब मिलते थे तो पूछते जरूर थे कि उसका क्या बना। मैं कहता था कि थोड़ी सी कसर रह गई है तो ये कहते थे कि मीटिंग बुलाओ। यदि चंडीगढ में मुख्यमंत्री जी एक दिन के लिए

भी आए तो भी इस बारे में मीटिंग जरूर हुई। चाहे 20 मीटिंग और होती थीं, तब भी इस बारे में मीटिंग जरूर करके जाते थे और कहते थे कि मई इस बारे में जल्दी करो । मैं उस इलाके का रिप्रजैंटेटिव हूं साथ कैथल का इलाका है उसका रिप्रजैंटेटिव नहीं है । जो उनसे वोट मांगता है वह भी आज बाहर है । (विघ्न) गुहला का कोई नहीं है। एक्ट तो बड़ा क्लीयर है जो इन्होंने बना दिया। मैं तो पब्लिक की तरफ से उनका प्रतिनिधि होने के नाते यह महसूस करता हूं कि यदि हुड्डा साहब न होते तो यह एक्ट न बनता। ये न बसते, ये उजड़ गए थे। इन उजड़े हुओं को हुड्डा साहब ने बसाया, इसके लिए उनकी बहुत मेहरबानी। ये फ्रीडम फाइटर के घर से हैं। मैं मानता हूं कि ये देश भक्त भगत सिंह के साथी हैं। इनके पिता ने भी कई साल राज किया और फ्रीडम फाइटर होने के नाते जेल में भी गए, इनके दादा जी भी जेल में गए। हुड्डा साहब ऐसे आदमी थे कि जब मुसीबत पड़ी और कांग्रेस दो फाड़ हुई तो ये सबसे पहले कांग्रेस के साथ थे। इनके अंदर वह खून है कि जब इन्होंने यह सोच लिया कि इन लोगों का और कोई सहारा नहीं है, इन लोगों को आबाद करना है और आबाद करने के लिए कानून लेकर आए हैं। यह सिर्फ हुड्डा साहब की देन है । इसमें किसी "ए" या "बी" की कोई देन नहीं है यह सिर्फ हुड्डा साहब की देन है। मैं बिरादरी की तरफ से या जो लोग यहां आए हैं उन सबकी तरफ से हुड्डा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि मैं रिप्रजैंटेटिव हूं, वैसे हैं तो सुरजेवाला साहब भी रिप्रजैंटेटिव। मैं मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने इतना बड़ा स्टैप लेकर इतने उजड़े आदमियों को फिर से बसाया। जो आदमी उजड़े हुओं को बसाता है रब उसको देता है। मुझे कई बार लगता है कि यही कारण था कि इन्होंने इतना बड़ा काम करना था इसलिए ये बच गए थे। जिस नहर में से कोई निकल नहीं सकता था उसमें ये डूबते-डूबते बच गये । परमात्मा ने इनको बचा लिया । परमात्मा ने इनको शायद इसी काम के लिए ही बचाया था इन्ही लोगों को बसाने के लिए ही बचाया था। ये जो बिल लाये हैं परमात्मा करे कि इस बिल की इम्पलीमैंटेशन जल्दी से जल्दी हो जाए। मैं सारे हरियाणा की तरफ से और खास कर उन आदमियों की तरफ से जिन आदमियों को बसाने के लिए इन्होने दिन रात जोर लगाया, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आज सदन में पेश किया गया है इसके पीछे बहुत बड़ी बैकग्राउंड है । देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई और देश के दो टुकड़े हुए । बहुत सारे लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहां हमारे देश में आये । वहां पर वे काश्तकार थे, भूस्वामी थे और खेती करते थे । अपना अच्छा गुजारा करते थे । लेकिन बदकिस्मती से देश की आजादी के समय देश का पार्टीशन हुआ । आजादी की लड़ाई में सारे भाई लड़े और पार्टीशन के समय देश दो टुकड़ों में बंट गया । बहुत सारे लोग वहां से विस्थापित होकर हमारे देश में आए । पंजाब प्रदेश बना और उसमें आपके जो कुरुक्षेत्र, कैथल जिले करनाल जिले के हिस्से बने थे । उस समय कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों के एरिया में बहुत भारी जंगल थे । जैसा कि चड्ढा साहब ने कहा उन लोगों को वहां के इलाके को आबाद करने के लिए, जो गैर काश्तकारी का इलाका था उसको काश्तकारी में लाने के लिए उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों कुछ लोगों को पंजाब से लेकर आए, उनमें कुछ विस्थापित लोग भी थे । जैसा चड्ढा साहब ने बताया, इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके जंगली जानवरों का, सांपों का, बीमारियों का मुकाबला करके, जंगल काटने का काम किया और अपनी कड़ी मेहनत करके जमीन को जरखेज बनाया और वहां पर ऐसा ग्राउंड तैयार किया कि जिस प्रदेश में अपने पेट भरने का अनाज नहीं होता था आज हरियाणा और

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

पंजाब पूरे देश का पेट पाल रहे हैं । इन लोगों की मेहनत ने उस जमीन को खेती के लायक बनाया। वे वहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी बैठे हुए हैं । जैसा कि चट्ठा साहब ने कहा कि ऐसा समय भी आया कि कुछ लोग विस्थापित हो गये फिर कोर्ट में भी गये लेकिन वहां पर भी हार गये लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत से यहां बैठे रहे । उनका कोई गुजारा नहीं था उन्होंने अपना कोई धन्धा नहीं बनाया। सरदार प्रताप सिंह कैरों के समय में जो जमीन दादा को अलॉट की गई थी अब पोता भी उसी जमीन पर बैठा है। इस प्रकार से दो-दो, तीन-तीन पीढ़ियां उनकी गुजर गईं । उन लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा। जैसा कि चट्ठा साहब ने बताया कि उन लोगों को पहले भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा । फिर विपक्ष की सरकार आई लेकिन उसके बाद भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा । उन पर ज्यादती जुल्म होते रहे। उसके बाद वर्ष 2005 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी । पहले भी इन लोगों के हित में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई थी । उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद चट्ठा साहब हमारे साथ मंत्री बने, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी भी हमारे साथ मंत्री बने । खासकर कुरुक्षेत्र और कैथल जिले जो उस समय करनाल जिले के हिस्से थे उनको वर्ष 1953 के नियमानुसार 20-20 साल के लिए पट्टे मिले थे । तब चट्ठा साहब ने और मेरे साथियों ने मेरे से यह बात कही कि इन लोगों के मामले में कुछ सोचना पड़ेगा। इन लोगों के हित की बात सोचो । हमने इसके लिए प्रयास किया और इस बारे में कुछ साथी कोर्ट में भी गये । परन्तु वहां पर भी कामयाब नहीं हो सके । इसका कोई कारण रहा होगा । लेकिन अब ये विस्थापित कैसे हों, कई-कई पीढ़ियां हो गई, जैसे चट्ठा साहब बता रहे थे कि रणदीप जी तो गुलडेरा से गए हैं फिर सिसला, सिरमोर गए इसलिए इन्होंने उस इलाके का सब कुछ देखा है कि उस इलाके का कैसे विकास हुआ है? हमने भी देखा है । आज जो उत्तराखण्ड का हिस्सा बन गया, वहां पर भी बहुत से साथी पंजाब से गए थे, हम भी पंजाब हरियाणा से गए थे और आज छत्तीसगढ़ में भी गए हुए हैं, वे वहां खेती करने जाते हैं । कई कई पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं । हमने काफी प्रयास किया । एक दिन चट्ठा साहब ने पेहवा में जलसा किया और वहां हमने सरकार की नीतियां बताई कि हम किसी को उजाड़ना नहीं चाहते हम तो बसाना चाहते हैं और इसके लिए हमने रास्ते निकाले और फैसला कर दिया कि पट्टेदारों को मालिकाना हक देंगे लेकिन किस तरह से दें क्योंकि कानून बीच में अड़ता था लेकिन आज सारा कुछ सोच समझकर हम ये बिल लेकर आए हैं । 1986 तक जो पट्टे पट्टेदारों के कब्जे में थे और आज उनके लीगल हेयर जो कब्जे में है इस बिल के अनुसार उनको हमने 99 साल तक लीज पर देने का फैसला किया है ताकि उनको उस जमीन के एक किस्म से मालिकाना हक मिल जाएं । सरदार बेअंत सिंह की पुण्यतिथि थी और वहां पर भी मैंने कहा था कि सरदार प्रताप सिंह कैरों ने इनको पट्टे दिए थे । प्रताप सिंह कैरों एक ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने आज के पंजाब और हरियाणा का जो उस समय पिछड़े हुए थे, के विकास की नींव का पत्थर रखा था। वे विजनरी थे और किसान के बेटे थे । मैंने कहा था कि मैं भी किसान का बेटा हूं । प्रताप सिंह कैरों ने पट्टे दिए हैं और हम उनको जमींदाराना हक देगें और उनको उजाड़ेंगें नहीं लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज देश में कुछ ऐसा भी हो रहा है जो ठीक नहीं है । आज गुजरात में हमारे पंजाब और हरियाणा से गए हुए लोगों ने जमीनें खरीदी हैं क्योकि वहां पट्टे नहीं थे । बहादुर सैनिकों को वहां लाल बहादुर शास्त्री ने जमीन अलॉट करवाई, वहां पर जमीन को आबाद किया लेकिन आज वहां की सरकार उनको उजाड़ने का प्रयास कर रही है । इस प्रकार पट्टेदारों को तो मालिकाना हक हम दे रहे हैं, इसके साथ साथ मेरा साथियों से निवेदन है कि आज यह असैम्बली

यह भी प्रस्ताव पास करे कि गुजरात में जो पंजाब और हरियाणा से गए हुए लोग हैं, उनको भी वहीं बसाया जाए और उनको पूरा हक दिया जाए और उजाड़ा न जाए । इन्हीं शब्दों के साथ मेरा कहना है कि किसान का बेटा होने के नाते मैं समझ सकता हूं कि जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन पर खेती करती रही और सब कुछ उस पर निर्भर रहा, आज कैसे उठकर जा सकता है और वह कहां जाएगा। यह सब सोचकर चड्ढा साहब ने और हमारे भाई रणदीप सिंह जी ने ऐसा कहा है । पहल चड्ढा साहब ने की और इन दोनों को हमारे साथियों का सहयोग मिला है। आज पूरी पार्टी ने फैसला लिया है कि हम किसी को उजाड़ेगें नहीं इस वास्ते उनको 99 साल तक हम लीज देंगें । इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं कैथल, कुरूक्षेत्र और करनाल आदि जिलों के किसानों की तरफ से आदरणीय चड्ढा साहब के अजीज के और किसान का बेटा होने के नाते विशेष तौर से माननीय भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और हमारी तरफ से सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी और चड्ढा साहब जी बता चुके हैं ।

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

सरकारी प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now Hon'ble Chief Minister will move the resolution appealing to the Chief Minister of Gujarat to rehabilitate all Punjabi and Sikh farmers being evicted from Kuchh Areas.

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda): Speaker Sir. I beg to move—

> That in the year 1965, the then Prime Minister of India, Shri Lal Bahadur Shastri allocated lands in border areas to soldiers and ex-soldiers of Indian Army as also to prominent Sikh farmers. A large number of them belonged to States of Haryana, Punjab and Rajasthan, who were allocated lands in Gujarat, particularly in Kuchh areas. Over times, residents of their native villages as also their friends and relatives purchased adjoining lands. Currently, there are about 10,000 farmer families of States of Haryana, Punjab and Rajasthan settled in these areas of Gujarat for last 40 years. Many Gurudwaras have been established. People of Haryana have also established Dharamshalas. All of them have cohabited with people of Gujarat amicably for decades and have contributed to the progress and prosperity of State of Gujarat.
>
> In a completely arbitrary fashion and with ulterior motives, they are being sought ousted from their respective lands in

[Shri Bhupinder Singh Hooda]

pursuance of an alleged order of Revenue Department of Government of Gujarat. This House expresses its great concern over ousting of these farmers of States of Haryana, Punjab and Rajasthan in a premeditated fashion. It tantamounts to ethnic cleansing based on the place of residences which is impermissible in our Constitutional scheme of things.

This House unanimously condemns any such attempt and appeals that the rule of law and Constitution must be upheld as also that these farmers of the States of Haryana, Punjab and Rajasthan must be permitted to carry on their vocation and livelihood with honour and dignity.

I request this House that this Resolution may be unanimously passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That in the year 1965, the then Prime Minister of India, Shri Lal Bahadur Shastri allocated lands in border areas to soldiers and ex-soldiers of Indian Army as also to prominent Sikh farmers. A large number of them belonged to States of Haryana, Punjab and Rajasthan, who were allocated lands in Gujarat, particularly in Kuchh areas. Over times, residents of their native villages as also their friends and relatives purchased adjoining lands. Currently, there are about 10,000 farmer families of States of Haryana, Punjab and Rajasthan settled in these areas of Gujarat for the last 40 years. Many Gurudwaras have been established. People of Haryana have also established Dharamshalas. All of them have cohabited with people of Gujarat amicably for decades and have contributed to the progress and prosperity of State of Gujarat.

In a completely arbitrary fashion and with ulterior motives, they are being sought ousted from their respective lands in pursuance of an alleged order of Revenue Department of Government of Gujarat. This House expresses its great concern over ousting of these farmers of States of Haryana, Punjab and Rajasthan in a premeditated fashion. It tantamounts to ethnic cleansing based on the place of residences which is impermissible in our Constitutional scheme of things.

This House unanimously condemns any such attempt and appeals that the rule of Law and Constitution must be upheld as also that these farmers of the States of Haryana, Punjab and Rajasthan must be permitted to carry on their vocation and livelihood with honour and dignity.

Mr. Speaker: Question is—

That in the year 1965, the then Prime Minister of India, Shri Lal Bahadur Shastri allocated lands in border areas to soldiers and ex-soldiers of Indian Army as also to prominent Sikh farmers. A large number of them belonged to States of Haryana, Punjab and Rajasthan, who were allocated lands in Gujarat, particularly in Kuchh areas. Over times, residents of their native villages as also their friends and relatives purchased adjoining lands. Currently, there are about 10,000 farmer families of States of Haryana, Punjab and Rajasthan settled in these areas of Gujarat for last 40 years. Many Gurudwaras have been established. People of Haryana have also established Dharamshalas. All of them have cohabited with people of Gujarat amicably for decades and have contributed to the progress and prosperity of State of Gujarat.

In a completely arbitrary fashion and with ulterior motives, they are being sought ousted from their respective lands in pursuance of an alleged order of Revenue Department of Government of Gujarat. This House expresses its great concern over ousting of these farmers of States of Haryana, Punjab and Rajasthan in a premeditated fashion. It tantamounts to ethnic cleansing based on the place of residences which is impermissible in our Constitutional scheme of things.

This House unanimously condemns any such attempt and appeals that the rule of law and Constitution must be upheld as also that these farmers of the States of Haryana, Punjab and Rajasthan must be permitted to carry on their vocation and livelihood with honour and dignity.

(The motion was carried and the Resolution was passed unanimously)

विधान कार्य (पुनरारम्भण)

(viii) दि हरियाणा कैटल फेयर्स (अमैंडमैंट) बिल, 2013

Mr. Speaker: Now, the Parlimentary Affairs Minister will introduce The Haryana Cattle Fairs (Amendment) Bill, 2013 and will move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce The Haryana Cattle Fairs (Amendment) Bill, 2013.

I also beg to move—

That The Haryana Cattle Fairs (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That The Haryana Cattle Fairs (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That The Haryana Cattle Fairs (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.'

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parlimentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

(The motion was carried.)

(ix) दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एंड रैगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2013

Mr. Speaker: Now, the Parlimentary Affairs Minister will introduce The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Bill, 2013 and move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Bill, 2013.

Sir, I also beg to move—

> That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

> That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

> That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

> That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is—

> That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is—

> That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(x) दि हरियाणा प्रोटैक्शन ऑफ इंट्रैस्ट ऑफ डिपौजिटर्स इन फाइनैंशियल इस्टैब्लिशमैंट बिल, 2013

Mr. Speaker: Now, the Hon'ble Finance Minister will introduce The Haryana Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Bill, 2013 and move the motion for its consideration.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha): Sir, I beg to introduce The Haryana Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Bill, 2013.

Sir, I also beg to move—

That The Haryana Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That The Haryana Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That The Haryana Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 20

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 to 20 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Hon'ble Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(xi) इंदिरा गांधी यूनीवर्सिटी, मीरपुर बिल, 2013

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Education Minister will introduce Indira Gandhi University, Meerpur Bill, 2013 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to introduce Indira Gandhi University, Meerpur Bill, 2013.

Sir, I also beg to move—

> That Indira Gandhi University, Meerpur Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

> That Indira Gandhi University, Meerpur Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

> That Indira Gandhi University, Meerpur Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-clause 2 of clause 1

Mr. Speaker: Question is—

> That Sub clause 2 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 36

Mr. Speaker: Question is—

> That Clauses 2 to 36 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is—

> That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause 1 of clause 1

Mr. Speaker: Question is—

> That Sub-clause 1 of clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

श्रीमती अनिता यादव (अटेली) : स्पीकर सर, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, मीरपुर के बारे में जो आज सदन में बिल आया है वह हमारे लिए बड़ी खुशी और गौरव की बात है। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने हमारे एफर्ट्स से हमारे जिले में जो मीरपुर यूनिवर्सिटी दी है इसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं ।

राव दान सिंह (महेन्द्रगढ़) : स्पीकर सर, मीरपुर यूनिवर्सिटी का बिल सदन में पेश होना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। दक्षिणी हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा रहा। मुझे याद है कि आज से साढ़े आठ साल पहले तक हमारे तीन जिले हैं रेवाड़ी, नारनौल और महेन्द्रगढ़ जिसे हम दक्षिणी हरियाणा कहते हैं वहां तीन बी.एड कालेज नहीं होते थे। यह बहुत शोचनीय बात थी कि तीन जिलों में तीन बी.एड कालेज नहीं होते थे। हम चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के आभारी हैं जिन्होंने हमारे इन तीनों जिलों में इतने बी.एड कालेज दिये हैं जिनकी कोई गिनती नहीं। इसके साथ ही उन्होंने हमारे इन तीन जिलों को तीन संस्थान दिये हैं इनमें से एक ऐसा संस्थान है जो हिन्दुस्तान केवल एक ही है और पूरी दुनिया में तीसरा धारूहेड़ा के पास बिनौला गांव में दिया है उसके लिए हम तहेदिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं पूरे हरियाणा में एक सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी मिली और वह भी मेरे विधान सभा क्षेत्र महेन्द्रगढ़ को मिली, उसके लिए हम माननीय मुख्य मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं व आभार व्यक्त करते हैं। इसी तरह से एक रिजनल सैन्टर जो सालों से चला आ रहा था और जिसको रिजनल सैन्टर के नाम से ही जाना जाता था, माननीय मुख्य मंत्री जी की अनुकम्पा से व लोगों की भावनाओं को देखते हुए मीरपुर में विश्वविद्यालय दिया उसके लिए भी हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। सैनिक बहुल क्षेत्र की भावनाओं को समझते हुए पाली गोठड़ा में सैनिक स्कूल खोला गया है। इससे पहले दो-दो रक्षा मंत्रियों द्वारा भिन्न-भिन्न समय पर की गई घोषणाओं के बावजूद पिछले 25 साल से यह स्कूल नहीं

[राव दान सिंह]

बन पा रहा था । एक रक्षा मंत्री कहते थे कि पाली गोठड़ा में बनाया जायेगा जबकि दूसरे ने कहा कि यह मातनहेल में बनेगा । इसी तरह से कितने ही मुख्य मंत्री आये और चले गये, नेता बदलते रहे कुर्सियाँ बदलती रही लेकिन किसी मुख्य मंत्री ने भी सैनिकों की भावनाओं की कद्र करते हुए सैनिक स्कूल खोलने की कोशिश नहीं की क्योंकि कोई भी यह नहीं चाहता था कि दूसरी जगह यह बने । यह तो माननीय मुख्य मंत्री जी की दरियादिली है कि उन्होंने अपने क्षेत्र मातनहेल से हटाकर उस सैन्य बहुल क्षेत्र की भावनाओं के अनुरूप पाली गोठड़ा में बनाया । इसी तरह से उन्होंने मैट्रो के विस्तार के लिए भी काम किये हैं, कितने एक्सप्रेस हाईवे बनाये हैं । इन्फ्रास्ट्रक्चर को डिवैल्प करके लोगों के जीवनस्तर को ऊंचा उठाया है । मैं यह गर्व से कह सकता हूँ कि पिछले साढ़े 8 साल में जितने काम पूरे हरियाणा में और विशेषकर हमारे दक्षिण हरियाणा में हुये हैं उतने काम पिछले 40 सालों में नहीं हुये । इसलिए मैं जितना कहूं उतना कम है । इन शब्दों के साथ ही मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हुए उन द्वारा किये गये कार्यों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ । धन्यवाद।

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री होने के नाते व माननीय सदन की तरफ से आज इस खुशी के मौके पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि दक्षिण हरियाणा में विश्वविद्यालय की लम्बे समय से उठ रही माँग और लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए 25 अप्रैल, 2013 को की गई घोषणा को आज अमलीजामा पहनाया है । वैसे तो हरियाणा बहुत छोटा सा राज्य है इसमें उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम की कोई बात नहीं है । 4 स्टेट यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ पर पहले ही थी, सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी, डिफैन्स यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज भी हैं और कुछ रिजनल सैन्टर्स भी हैं । हमारे सभी साथियों ने धन्यवाद किया है । खास तौर से मैं धन्यवाद तो माननीय सदस्य श्री भारत भूषण बतरा जी का करना चाहूँगी कि उन्होंने धन्यवाद किया अन्यथा यह बिल ऐसे ही पास हो गया था किसी ने धन्यवाद भी नहीं किया था। स्पीकर सर, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतने हल्ले-गुल्ले के बाद यह यूनिवर्सिटी आई थी और अगर ऐसे ही चुपचाप यह एक्ट बन जाता तो अच्छा नहीं होता । अध्यक्ष महोदय, खुशी की बात तो यह है कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी जो कि न केवल हमारे देश की बल्कि दुनिया की एक आयरन लेडी थी जिनकी कलम से 1 नवम्बर, 1966 को हरियाणा का गठन हुआ और उन्हीं के नाम से मीरपुर में जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीच्यूट चल रहा था माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है उसके लिए हम माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं । अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा न केवल स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर बल्कि इन्टरनेशनल लेवल पर शिक्षा का हब बनने जा रहा है और जो बड़े-बड़े इन्स्टीच्यूट यहाँ पर आ रहे हैं वह हमारे लिए खुशी की बात है । साथ ही साथ खुशी की बात यह है कि इन्दिरा गाँधी यूनिवर्सिटी मीरपुर, रेवाड़ी इसी अकैडमिक सत्र 2013-14 से काम करना शुरू कर देगी । खास तौर से हमारे इस क्षेत्र (रेवाड़ी, झज्जर व महेन्द्रगढ़) के छात्रों के लिए यह बहुत खुशी की बात है जहाँ पर इंगलिश, हिस्ट्री, कॉमर्स, गणित, इकोनॉमिक्स इत्यादि सभी विषय पढ़ाये जायेंगे । इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी । अध्यक्ष महोदय, बिल के पास होने से पहले हमारे और भी बहुत सारे सदस्य हैं जो धन्यवाद करना चाहते हैं इसलिए सभी को समय जरूर दिया जाये ।

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गाँधी यूनिवर्सिटी मीरपुर, रेवाड़ी के लिए आज सरकार जो बिल लेकर आई है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता

हूँ । यह हमारे इलाके की बहुत पुरानी माँग थी जिसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरा किया है । इसी तरह से राव दान सिंह जी ने व बहन अनीता जी ने डिफैन्स यूनिवर्सिटी व सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो धन्यवाद किया है मैं भी अपने आपको उससे जोड़ता हूँ । इस तरह से मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री जी का पूरा ध्यान दक्षिण हरियाणा पर लगा हुआ है। हमने पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी से एक आयुर्वेदिक कॉलेज की मांग की थी वह भी उन्होंने हमें दिया। हर विकास के अन्दर मुख्यमंत्री जी का पूरा सहयोग है। इसलिए मैं इन साथियों के साथ अपनी भावना को जोड़ते हुए पुन: माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : सर, इसके अलावा मैं हमारे साथी कैप्टन अजय सिंह यादव जी जो आज सदन में नहीं हैं उनकी तरफ से भी जरूर कहना चाहूंगी क्योंकि जब इस बारे में आर्डिनैंस जारी किया गया था और जब बिल लाने की बात आयी थी तो उन्होंने उसका धन्यवाद किया था। इसलिये हम चाहते हैं कि इस बारे में उनका धन्यवाद भी इसमें एड किया जाए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(xii) दि हरियाणा टाउन इम्प्रूवमैंट (अमैंडमैंट एंड वैलिडेशन) बिल, 2013

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce The Haryana Town Improvement (Amendment and Validation) Bill, 2013 and move the motion for its consideration at once.

Industries Minister(Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce The Haryana Town Improvement (Amendment and Validation) Bill, 2013.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Town Improvement (Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Town Improvement (Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

The Haryana Town Improvement (Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliament Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister(Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(xiii) दि हरियाणा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2013

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce The Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2013 and move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce The Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2013.

Sir, I also beg to move—

> That The Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

> That The Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Shri Bharat Bhushan Batra : Hon'ble Speaker Sir, this is a very important topic and it touches almost every urban area of Haryana. There are two Bills, one is regarding Haryana Municipal Council and the other is Haryana Municipal Corporation Act. It is good that सरकार ने 263-ए एक्ट के अन्दर जो बिल्डिगें सील होती थी उनको खोलने का एक प्रोविजन बना दिया कि टोटल डिमोलिशन की बजाय उसको मौका दिया जाएगा कि वह नक्शे के मुताबिक उसको ठीक कर लें तो हम उसका डिमोलिशन नहीं करेंगें। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)** सारे प्रान्त के अन्दर यह बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि मेजोरिटी ऑफ दि बिल्डिंग्स रूल की वॉईलेशन में क्यों बनती हैं? कैसे बनती हैं? इसकी डिटेल में मैं इस समय नहीं जाना चाहता कि मालिक खुद बनाता है या कोई अधिकारी उसको बनने देता है। बाद में जो विडम्बना हम राजनीतिक लोगों के पास आती है वह यह है कि मकान बन जाता है, बिल्डिंगस बन जाती हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स बन जाता है, म्यूनिसिपल कमेटी उसको नोटिस देती है, डिमोलिशन के लिए जाती है तो हमारे ऊपर दबाव आता है कि इस बिल्डिंग का डिमोलिशन न किया जाए। जब इस तरह की बिल्डिंग्ज, जिनमें बिल्डिंग बाई-लाज को अडॉप्ट नहीं किया होता है, गिराने की नौबत आ जाती है तो एक स्वाभाविक सा सवाल उठ खड़ा होता है कि जब इस तरह की बिल्डिंग्ज में बाई-लाज को अडॉप्ट नहीं किया गया था तो इनको पहले बनाने ही क्यों दिया गया था? **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)** उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की बिल्डिंग्ज के कंस्ट्रकशन पर उसी समय रिस्ट्रिक्शंज क्यों नहीं लगाई गई थी। 30 साल पहले यानि वर्ष 1982 में बिल्डिंग बाई-लाज बनाये गये थे और वर्ष 1994 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऐक्ट अस्तित्व में आया था लेकिन हम देखते हैं कि इस ऐक्ट के अन्दर भी उन्हीं बिल्डिंग बाई-लाज को एडॉप्ट किया गया है। हरियाणा प्रदेश के अन्दर आठ बड़े शहर हैं जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अन्दर कवर होते हैं। यहां पर हर बिल्डिंग की एफ.ए.आर. वही निश्चित की गई है जो वर्ष 1982 में हुआ करती थी। 30 साल से ऊपर का समय बीत चुका है। जमीन की कीमतें आसमान को छू रही हैं लेकिन आज तक भी वर्ष 1982 में निश्चित की गई एफ.ए.आर. को इंक्रीज नहीं किया गया है। वर्ष 1982 में एक आम आदमी 500 गज या 200-250 गज का मकान खरीद सकता था लेकिन आज आप देखिये कि वही आम आदमी बड़ी मुश्किल से 50 या 100 गज का ही प्लॉट खरीदकर संतुष्ट हो जाता है। ज्वाईंट फैमिलीज की तो बात दूर रही न्यूक्लीयर फैमिलीज के लिए भी 100 या

[Shri Bharat Bhushan Batra]

200 वर्ग गज के प्लॉट में उतनी एकोमोडेशन नहीं बन पाती है जितनी एकोमोडेशन की जरूरत वास्तव में होती है। आदमी पहले दो मंजिल का मकान बनाता है और जब इतने से भी उसकी आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो फिर वह तीसरी मंजिल बना देता है लेकिन बिल्डिंग बाई-लाज का जो फ्लोर एरिया रेशो है वह उसको परमिट नहीं करता है जिसके कारण बिल्डिंग तो बन जाती है लेकिन बाई-लाज को दरकिनार कर दिये जाने के कारण इस तरह की बिल्डिंग्ज किसी भी सूरत में रेगुलराईज नहीं हो पाती हैं और साफ कह दिया जाता है कि यह बिल्डिंग्ज रेगुलराईजेशन स्कीम से बाहर हैं अत: इनको रेगुलराईज नहीं किया जा सकता है। इस तरह से आज आप पायेंगे कि किसी भी बिल्डिंग में एफ.ए.आर. या कवर्ड एरिया बिल्डिंग बाई-लाज, 1982 की उल्लंघना की मात्रा 100 प्रतिशत है। इस तरह से तो किसी भी निर्माणाधीन/निर्मित इमारत को नियमित नहीं किया जा सकता है। अधिकतर लोग कानूनी अड़चनों से बचने के लिए दूसरे रास्ते अपनाने की कोशिश भी करते हैं। सर, अब मैं एक प्वॉयंट पर और बोलना चाहता हूं। आप देखिये आजकल हुडा में वर्टीकल हाईट्स रिस्ट्रिक्शंज निश्चित की जा चुकी हैं तथा स्टिल्ट पार्किंग (छोटे प्लॉट के अन्दर नीचे वाले पोर्शन में पार्किंग का प्रावधान) का प्रोविजन भी दिया जा चुका है। निगम में जो अधिकतम एफ.ए.आर. की लिमिट है वह रेजीडेंशियल एरिया में 200 परसैंट हैं और कोर्मिशयल एरिया में 175 परसैंट है। आजकल जमीनों की कीमतें बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं। मेरी मंत्री महोदय से गुजारिश है कि जिस तरह से हुडा ने अपने अधिकार क्षेत्र में एफ.ए.आर. और वर्टीकल हाईट्स निश्चित कर रखी हैं, उसी तरह के सभी नॉर्म्ज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंज और म्यूनिसिपल काउंसिल्ज में भी एप्लीकेबल होने चाहिएं और लोगों की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए एफ.ए.आर और कवर्ड एरिया के क्षेत्र को भी बढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद मैं ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज पर आता हूं। ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज म्यूनिसिपल लिमिट्स में ही बनती हैं। I am not talking about the extended Municipal Limits. हम देखते हैं कि आजकल ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज की बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्ज बनाई जाती हैं। यद्यपि ये सोसायटीज म्यूनिसिपल लिमिट्स के अन्दर ही आती हैं लेकिन अफसोस इस बात का है कि इनकी हाईट्स के संबंध में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल काउंसिल के अन्दर न कोई कानून है और न ही कोई बाईलाज हैं। इस तरह से बिल्डिंग्ज तो बन जाती है लेकिन बाई-लाज एडॉप्ट न किये जाने की वजह से ये बिल्डिंग्ज रेगुलराईज नहीं हो पाती हैं जिसकी वजह से सरकार को रैवेन्यू भी प्राप्त नहीं होता है। इस संबंध में मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि सरकार एक ऐसी वन टाईम पॉलिसी बनाये कि स्टेट के अन्दर जितनी भी अनअथोराईज्ड बिल्डिंग्ज हैं, या जिन बिल्डिंग्ज में वॉइलेशन किया गया है उनमें रियायतें देकर, नॉर्म्ज फिक्स करके एक निश्चित पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि जब एक निश्चित पॉलिसी बनाकर इन अनअथोराईज्ड बिल्डिंग्ज को रेगुलराईज्ड किया जायेगा तो फिर सरकार को भी भरपूर मात्रा में रैवेन्यू प्राप्त होने लगेगा। इस संबंध में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आपका ऐक्ट भी इस बात को परमिट करता है। Section 267-A of the Municipal Corporation Act- "Regulation of certain buildings" notwithstanding anything contained in section 267, the Government may in public interest regularize the building in any area whether constructed with or without sanction of the Corporation for which no building scheme or town planning scheme has been sanctioned. इस ऐक्ट का सैक्शन 267 जो आलरेडी है, आप उस ऐक्ट में अमैंडमैंट कर लीजिए। राजनीति की बात तो मैं नहीं कर रहा लेकिन मेरी रिक्वैस्ट है कि इलैक्शन नजदीक है इसलिए इस बारे में पॉलिसी बनाकर के सबको रिलीफ दें और

ऐसा भी प्रावधान किया जाए कि आगे से अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन न हो। जिसकी सुपरविजन है जैसे जहां पर म्युनिसिपल काउंसिल या कार्पोरेशन है, वहां इस बारे में बिल्डिंग इंस्पैक्टर और ई.ओ. की भी रिस्पौंसिबिलिटी फिक्स करें और उनसे पूछा जाए कि ये अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन क्यों हो रही है? एक बार यह स्कीम विद-इन दि रूल दे दें, इससे एक तो यह होगा कि सरकार को रेवेन्यू आ जाएगा और सारे के सारे नक्शे पास हो कर लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मैं यह नहीं कहता कि उस नॉर्म को आप 100 गज का सौ गज कवर्ड एरिया कर दो, मैं चाहता हूं कि उसका एफ.ए.आर.60 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 या 85 प्रतिशत कवर करने की परमीशन दे दो। यह पूरे स्टेट की और सारे जनमानस की प्रौब्लम है। इसके साथ आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

राव धर्मपाल (बादशाहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को बत्तरा साहब की बात से जोड़ते हुए इस अमैंडमैंट पर बोलना चाहूंगा। हरियाणा प्रदेश में 8 म्यूनिसिपल कमेटीज से कार्पोरेशन बनाए गए। गुड़गांव को भी 2 जून, 2008 को म्यूनिसिपल कमेटी से म्यूनिसिपल कार्पोरेशन का रूप दिया गया और उसमें मेरे हल्के के करीब 40 गांव उस कार्पोरेशन में आ गए जिसमें से 32 गांव मेरे हल्के के हैं, 4 गांव धर्मबीर सिंह के हल्के के हैं और 4 गांव सुखबीर सिंह कटारिया के हल्के के हैं। जो 40 गांव कार्पोरेशन में आए उनके करीब 200 करोड़ रुपये पंचायत में थे वे कार्पोरेशन में आए। इसके साथ ही सारे अधिकार पंचायतों के कार्पोरेशन के पास आ गए, जब ये पैसा कार्पोरेशन के पास नहीं गया था तब गांव में विकास के काम बराबर चल रहे थे। जो गली, नालियां या लाइट की बात थी वह पूरी तरह से हो रहे थे लेकिन कार्पोरेशन बनने के बाद एक नयी चीज लागू कर दी गई कि लाल डोरे के अंदर जो हाउसिज हैं वहां पर तो विकास का कार्य होगा लेकिन लाल डोरे से जो बाहर हैं उनमें विकास के कार्यों का पैसा नहीं लगेगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक तो वे लोग पहले ही वंचित हो गए । जो सुविधायें उन्हें गांव में मिल रही थीं उनसे वंचित हो गए। कार्पोरेशन बनने के बाद लाल डोरे की एक पहचान देखकर कि लाल डोरे के अंदर विकास कार्य होंगे, लाल डोरे के बाहर के एरियाज को अनअप्रूव्ड करार देकर के वहां पर काम नहीं हो रहे। उपाध्यक्ष महोदय, लाल डोरा सन् 1952 में बना था । 60 साल की अवधि में कितने परिवार बढ़ गए? गांवों की आबादी बढ़ गई। यहां तक कि एक आदमी के चार बेटे थे जिनमें से दो तो लाल डोरा के अंदर रह रहे हैं और दो लाल डोरे से बाहर रह रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि ये ठीक है कि हाईकोर्ट के ये आदेश हैं कि अनअथोराइज्ड कालोनीज में डिवैलपमैंट न की जाए, उन आदेशों की हम अवहेलना भी नहीं कर सकते लेकिन लाल डोरे के बाहर जो गांव के ही आदमी है जिनका परिवार वहीं रह रहा है जिन्होंने गांव के अंदर जगह कम होने से जो लाल डोरे से बाहर आती जमीन में मकान बना लिया है। वे बिल्कुल गांव से लगते हैं, उनकी आप पहचान नहीं कर सकते कि लाल डोरा कहां है और बाहर वाले कौन है। मेरा अनुरोध है कि उन बाहर वालों को भी अनअप्रूव्ड की संज्ञा न देकर उनको भी गांव में शामिल करके उनके यहां भी विकास कार्य होने चाहिए। यह मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है। दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, जैसे भाई भारत भूषण बतरा जी कह रहे थे कि कन्सट्रक्शन तो होती ही है । हर आदमी कन्सट्रक्शन करता है और हमारे यहां तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की इतनी भारी देन है कि हर आदमी के पास पैसा आ गया है और जब पैसा आ गया है तो हर आदमी अपना मकान जरूर बनाना चाहेगा । वह आदमी भी चाहता है कि मैं भी शहरी आदमी की तरह अच्छे ढंग से रहूं । उपाध्यक्ष महोदय, जो गाँव कारपोरेशन के अन्दर हैं इन्हीं गाँवों में जो लोग मकान बनाते हैं । जब वे कारपोरेशन को कहते हैं कि हमारे मकान का नक्शा पास करो तो

[राव धर्मपाल]

कारपोरेशन वाले कहते हैं कि हमारे पास नक्शा पास करने की पॉवर नहीं है । जब उनका नक्शा पास नहीं होता है तो वे लोग गाँव के अन्दर अपना मकान बनाना शुरू कर देते हैं । साल-डेढ़ साल या 8 या दस महीने मकान बनाने में लग जाते हैं क्योंकि 8 या 10 दिन में तो मकान तैयार नहीं हो पाता । जब मकान तैयार हो जाता है तो कारपोरेशन वाले उसके मकान को तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो वह आदमी जिसका कोई कसूर नहीं है क्योंकि वह मकान बनाने से पहले कारपोरेशन में अपने मकान का नक्शा पास करवाने के लिए जाता है कि मेरे मकान का नक्शा पास कर दो और सरकार के नियमानुसार मेरे से नक्शा पास करने के पैसे ले लो। कारपोरेशन के अधिकारी कहते हैं कि नक्शा पास करने का हमारे पास अधिकार नहीं है । जब कारपोरेशन के पास नक्शा पास करने का अधिकार नहीं है और उस आदमी के मकान का नक्शा कारपोरेशन से पास नहीं होता है तो वह आदमी अपने मकान की कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है । जब उसके मकान की कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाती है तब कारपोरेशन के अधिकारी उसके मकान को तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात पर ध्यान जरूर दे क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो उस आदमी का क्या कसूर है जो गांव में रहने वाला है । एक तरफ तो सरकार ने उन गाँवों को कारपोरेशन को इसलिए दिया है ताकि उन गाँवों के निवासियों को भी शहरी जिन्दगी जीने का मौका मिले । वे सभी सुविधाएं उनको मिलें जो शहर वाले लोगों को मिलती हैं । जब वे लोग वह सुविधाएं मांगते हैं तो उनको वे सुविधाएं मिल नहीं पाती । मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि जो गाँव के लोग गाँव के लाल डोरे से बाहर बसे हुए हैं उनको अनएप्रूवड एरिया की संज्ञा न देकर और उनको गाँव के लोग ही समझ कर उस गाँव के विकास कार्य कराये जाएं । अगर उसमें हुडा का कोई इन्टरफेरेन्स है। अगर इसमें हुडा की कोई नोटिफिकेशन है तो उसको बेशक छोड़ दिया जाए । मैं यह कहना चाहता हूं कि उन लोगों के गाँव के अन्दर के नक्शे भी पास नहीं हो रहे हैं और गाँव के बाहर के नक्शे भी पास नहीं हो रहे हैं । पर्टीकुलरली गाँव के बाहर के एरिया में ज्यादा दिक्कत आती है क्योंकि गाँव के अन्दर तो कोई मकान बनाता है तो वह पुराना मकान तोड़ कर ही बनाता है । मैं चाहता हूं कि इन लोगों को वे सुविधाएं मिलनी चाहिएं जो उनका अधिकार है । जो आदमी गाँव के लाल डोरे से बाहर रह रहे हैं उनको डिफाईन करवा लिया जाए कि वह कौन से गाँव का आदमी है । वह कोई प्लॉट काट कर रह रहा है या किसी कॉलोनाईजर की कॉलौनी है तो उसको यह सुविधा नहीं देनी चाहिए। लेकिन जो उस गाँव के लोग हैं जो लाल डोरे से बाहर रह रहे हैं उनको वे सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिएं। मेरा आपसे यही अनुरोध है । मैं पर्टीकुलरली गुड़गाँव की बात कर रहा हूं । आज वहां पर जो छोटा सा जमींदार था जिसके पास दो या तीन एकड़ जमीन थी वह भी आज करोड़पति है। यह चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की देन है। वह आदमी यह जरूर चाहेगा कि अगर उसके दो बेटे हैं तो वह दो मकान जरूर बनाना चाहेगा । एक मकान वह गाँव के अन्दर बना लेता है और दूसरा मकान लाल डोरे के बाहर बनाना चाहता है तो उसको यह सुविधा जरूर मिलनी चाहिए । माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी सदन में बैठे हैं । मेरा सभी से अनुरोध है कि इस सुविधा से उन लोगों को वंचित न रखा जाए । वहां पर डिवलपमैंट भी होनी चाहिए और उनके नक्शे पास करने की सुविधा भी उन लोगों को मिलनी चाहिए । जब वे इसके लिए सरकारी फीस भरने के लिए तैयार हैं । आगे से ऐसा भी सिस्टम बन्द होना चाहिए जैसा श्री भारत भूषण बतरा जी ने कहा कि अगर वे अपना मकान लाल डोरे के बाहर बना भी लेते हैं तो सरकार के नार्म्स के मुताबिक कोई पैनेल्टी डालकर या कोई और तरीका निकालकर उन मकानों को रैगूलराईज कर देना चाहिए न कि उस पर पीला पंजा चला कर हा हा कार मचाना चाहिए । यही मेरा सरकार से अनुरोध है । धन्यवाद ।

श्रीमती सावित्री जिंदल (हिसार) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा बिल्डिंग बाइलाज ऐक्ट वर्ष 1982 में बना था और उसको बने हुए लगभग 30 साल हो गए हैं । 30 सालों में शहरों में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं । जमीनों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं । आम आदमी छोटा प्लाट ही खरीद पाता है और परिवार के लिए उसको कंस्ट्रक्टिड एरिया ज्यादा चाहिए जिसकी वजह से म्युनिसिपल लॉज की अवेहलना होती है और कमेटी वाले मकान गिराने के नोटिस दे देते हैं तो लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है । कानून के मुताबिक फ्लोर एरिया रेशो बहुत कम है । दिल्ली में फ्लोर एरिया रेशो को बढ़ा दिया गया है और हुडा विभाग ने भी अपने प्लाटों के फ्लोर एरिया रेशो को बढ़ा दिया है और ऊंचाई की सीमा भी समाप्त कर दी है । हिसार भी म्यूनिसिपल कारपोरेशन का एरिया है । समय के बदलाव के साथ बिल्डिंग बाइलाज नए बनाने चाहिएं और जो बिल्डिंग नियम के अनुसार नहीं बनी हैं, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उन पर एकमुश्त फाइन लगाकर उनको रैगुलेराइज कर दिया जाए इससे सरकार को रेवैन्यू भी आएगा और लोगों को भी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से मकान बनाता है । यहां तक कि सभी इमारतें जो गलत बनती हैं उनमें कहीं न कहीं म्यूनिसिपल कमेटी के कर्मचारियों की मिली भगत होती है । मैं मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आप सबको सहूलियतें दे रहे हैं तो यह भी जरूरी है, इसलिए इस बारे में जल्दी से जल्दी फैसला किया जाए, धन्यवाद।

14.00 बजे

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, राव धर्मपाल जी ने और श्री भारत भूषण बतरा जी ने कुछ मुद्दे उठाये हैं । एक तो जहां तक गाँवों के नक्शे पास करने की बात है उसमें चाहे वह गुड़गांव है या चाहे वह फरीदाबाद है, लाल डोरे के अन्दर नक्शे पास कराने की जरूरत नहीं होती । इसके अन्दर कोई पाबन्दी नहीं है लाल डोरे के अन्दर जिसने मकान बनाना है वह बगैर नक्शा पास कराये अपना मकान बना सकता है । सवाल यह है कि सैक्शन 4 की नोटिफिकेशन होने से पहले कुछ लोगों ने लाल डोरे से बाहर मकान बना लिए । उपाध्यक्ष महोदय, गुड़गांव के बारे में राव साहब को मालूम है कि वहां बहुत से ऐसे गांव हैं जहां ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के समय में उन्होंने डैमोलिशन के आदेश दिए हुए थे परंतु हमारी नीति है कि हम बसे हुओं को उजाड़ते नहीं। हमने वहां बहुत से मकानों को छोड़ा है । ठीक तरह से बसासत हो यह हम सबकी जिम्मेवारी है। भारत भूषण बतरा जी रैगुलेराइजेशन की बात कह रहे थे और राव साहब उनके साथ ताल में ताल मिला रहे थे । इन्होंने रैगुलेराइजेशन अंडर सैक्शन 267-ए तथा 203 of Municipal Act 1973 और सैक्शन 267 of Municipal Corporation Act 1994 के अंदर कम्पाउंडिंग की बात की, यह बहुत अच्छी बात है । मुझे मालूम है कि कई जगह ऐसा हुआ है और मैं समझता हूं कि इनके कहने का मकसद यही है कि सारी स्टेट के लिए कोई कॉमन कम्पाउंडिंग पोलिसी बनाई जाए तो मैं कहना चाहूंगा कि सरकार उस पर विचार करेगी ।

Mr. Dy Speaker: Question is—

> That The Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 5

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Clauses 2 to 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(xiv) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2013

Mr. Deputy Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2013 and move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2013.

Sir, I also beg to move—

That The Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That The Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 5

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Clauses 2 to 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(xv) दि हरियाणा मैनेजमैंट ऑफ सिविक अमैनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डैफिशिएंट म्यूनिसिपल एरियाज (स्पेशल प्रोविजन्स) बिल, 2013

Mr. Deputy Speaker: Now, the Industries Minister will introduce The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Bill, 2013 and move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Bill, 2013.

Sir, I also beg to move—

That The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved—

That The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Bill be taken into consideration at once.

श्री भारत भूषण बत्तरा (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूं कि अनअथोराईज्ड कालोनिज को अथोराईज्ड करने के लिए यह ऐक्ट लाया गया है । यह मामला काफी लम्बे समय से प्रोसैस में था । हमें भी इसमें काफी दिक्कत आती थी । जो लोग अनअथोराईज्ड कालोनीज में रह रहे हैं वे हमें कहते थे कि हम से वोट तो ले लेते हैं लेकिन हमें बिजली, पानी और सडक आदि की कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। मैं पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर श्री रणदीप जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस ऐक्ट के सेलियंट फीचर्ज के बारे में डिटेल में बता दें ताकि लोगों तक यह बात अच्छी तरह से पहुंचे । इसमें मैक्सिमम एक साल का समय दिया गया है । मैं सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी लागू करके अनअथोराईज्ड कालोनीज को अथोराईज किया जाये ।

प्रो० सम्पत सिंह (नलवा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं । मैं यही कहना चाहता हूं कि जो लोग अनअथोराईज्ड कालोनीज में मकान बनाकर रह रहे थे और उनसे देय सभी चार्जिज भी लिये जाते थे लेकिन वहां सभी प्रकार की सुविधाओं का अभाव था । अब वहां सरकार बिजली, पानी, सीवरेज और स्ट्रीट लाईट आदि का प्रोविजन करने जा रही है । इससे हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों को फायदा मिलेगा । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश में कम से कम 1500 कालोनी ऐसी हैं जहां कोई सुविधा नहीं थी।

सर, सवाल यह नहीं है कि ये कालोनियां रेगुलर नहीं हो रही हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इससे पहले तो वहां के निवासियों को मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है । हमने सभी गरीब आदमियों को दाल और रोटी की सुविधा दी है। इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि एक आदमी को पीने के स्वच्छ पानी की भी आवश्यकता होती है । इन कालोनियों में अधिकतर गरीब आदमी बसते हैं चाहे तो वह गांव से माईग्रेट होकर आया है और चाहे शहर के अंदर से कोई रेहड़ी वाला हो, कोई ठेले वाला हो या फिर कोई फोर्थ क्लास का मुलाजिम हो । इस प्रकार के लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और अपना गुजारा करने के लिए इन कालोनियों में रहते हैं। कालोनाईज़र तो कालोनियां काटकर चले जाते हैं लेकिन बाद में ये लोग बेचारे फंस जाते हैं । सरकार ने इन कालोनियों में रहने वाले लोगों को जो सुविधायें देने की पहल की है यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है । चाहे वे रेगुलर हुई हैं या नहीं हुई हैं । सवाल उनके रेगुलराईज़ होने का नहीं है बल्कि उनको सुविधायें देने का है । हमें इस बात की खुशी है कि सरकार इन कालोनियों में सुविधायें दे रही है । एक बात तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो आपने ये चार अमैनिटीज अनाऊंस की हैं । मैं यह चाहता हूं कि इन अमैनिटीज के लिए चाहे आप एक्स्ट्रा चार्ज़िज लगायें and other facilities as decided by the government from time to time उसके लिए ऐसा कोई प्रावधान इसमें जोड़ दिया जाये । जैसे कल को अगर सरकार को वहां पर कोई एजुकेशनल इंस्टीच्यूशन बनाना पड़े और कोई हैल्थ इंस्टीच्यूशन बनाना पड़े । इसी प्रकार से अगर आपको वहां पर किसी पार्क की सुविधा लोगों को देनी पड़े और लोगों को कम्युनिटी सैंटर बनाकर देना पड़े । जब आप सारी फैसीलिटीज़ वहां के लोगों को दे रहे हैं तो आपको उनको अदर फैसीलिटीज़ भी देनी पड़ सकती हैं। पहली बात तो यह है कि वहां पर इस प्रकार की सुविधाओं के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं मिलती क्योंकि कोई भी कालोनाईज़र जो 5, 10 या 15 एकड़ वाला होता है वह वहां पर ऐसी कोई जगह छोड़कर ही नहीं जाता लेकिन अगर फिर भी वहां पर कोई ऐसी जगह मिल जाती है जैसे कोई तालाब की जगह हो या फिर कोई भट्ठे की जगह हो इस प्रकार की जगह अगर मिल जाये तो वहां पर आप कम्युनिटी सैंटर, हैल्थ सैंटर, एजुकेशन सैंटर वगैरह या जो अदर सिविक अमैनिटीज हैं उन्हें भी वहां पर उपलब्ध करवाना चाहिए । मैं यह नहीं कहता कि आज जगह अवेलेबल नहीं है । अगर वहां के 10-15 लोग मिलकर अपनी थोड़ी-थोड़ी जगह दे भी देते हैं तो ये सुविधायें वहां पर उपलब्ध करवाई जा सकती हैं । यह मेरा अपना मानना है कि कुछ एक जगह पर ऐसी जगह अवेलेबल है और यदि नहीं है तो फिर तो ऐसी सुविधायें देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा अभी बतरा जी ने भी कहा था कि सारे प्रदेश की निगाहें इस पर लगी हुई हैं कि सरकार द्वारा इन कालोनियों को सुविधायें दी जा रही हैं । जब से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बारे में अखबारों में बयान आया कि हम एक बिल ला रहे हैं जिसके तहत हम इस प्रकार की कालोनियों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवायेंगे । बिल में तो यह भी दे रखा था कि इनको रेगुलराईज़ किया जायेगा । रेगुलराइजेशन के बारे में तो मुझे पता है कि इस मामले को कोर्ट ने स्टे किया हुआ है इसलिए हम इन कालोनियों को रेगुलराईज़ नहीं कर सकते, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सुविधायें तो दे ही सकते हैं क्योंकि यह उनका फण्डामैंटल राईट है । एक आदमी जो हमारे देश का नागरिक है और हमारा वोटर है उसको सुविधायें हम दे सकते हैं । अगर हम सुविधायें दे सकते हैं तो हमें हर हाल में सुविधायें देनी ही चाहिएं । जैसा कि बतरा जी ने कहा मैं भी उनकी इस बात से सहमत हूं कि सरकार के इस निर्णय से जो सरकार द्वारा इतना बढ़िया कदम उठाया जा रहा है इससे 1500 से ज्यादा कालोनियों को फायदा होगा, जिनमें लाखों लोग

[प्रो० सम्पत सिंह]

रहते हैं। यह सरकार का एक जबरदस्त और क्रांतिकारी स्टैप है । सरकार ने तो पहले इन कालोनियों को रेगुलराईज़ करने का आर्डर भी कर दिया था लेकिन उसमें कुछ कानूनी अड़चनें आ गई हैं इसलिए उनसे कानून के हिसाब से निपटा जायेगा लेकिन इसके बावजूद भी जो सरकार द्वारा ऐसी कालोनियों को सुविधायें दी जा रही हैं यह बहुत अच्छी बात है । इसके अलावा हम आपके फी स्ट्रक्चर के बारे में भी जानना चाहेंगे कि जो डिवैल्पमैंट चार्जिज लेकर जो आप उनको ये सुविधायें देंगे वो आपका फी स्ट्रक्चर क्या है । गरीब लोगों ने वहां पर अपने मकान बना लिये हैं और मकान बनाकर ये बेचारे गरीब आदमी वहां फंस जाते हैं मैं यह चाहता हूं कि इनसे नौमिनल चार्ज़िज लिये जायें । सरकार द्वारा इस बारे में बताया जायेगा तो सभी को पता चल जायेगा । हम यह चाहते हैं कि उनसे ये डिवैल्पमैंट चार्ज़िज कम से कम लिये जायें क्योंकि इन कालोनियों में गरीब लोग बसते हैं। उनसे ये चार्ज़िज जितने कम से कम लिये जायेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा होगा । वहां पर कोई सैक्टर नहीं है और वहां पर कोई लम्बी चौड़ी सड़कें भी नहीं हैं । वहां पर कोई सड़क 10 फुट की बननी है और कोई 12 फुट की बननी है क्योंकि कालोनाईज़र वहां पर सब कुछ ऐसे ही छोड़कर चले गये हैं । कई जगह तो यह है कि वहां पर दो गाड़ियां एक साथ क्रॉस नहीं हो सकती । सरकार के द्वारा वहां पर सुविधायें दी जा रही हैं यह बहुत अच्छी बात है लेकिन उनके लिए जो चार्ज़िज निर्धारित किए गए हैं वह कम से कम लिए जायें । चाहे उनको सबसिडाईज्ड रेट पर सुविधायें दी जायें क्योंकि वहां पर साधारण और गरीब आदमी बसते हैं । यही मेरा आपसे निवेदन है ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, सभी साथियों ने इस बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं और जो अभी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं उन सभी की भावनाओं को समझते हुए हरियाणा सरकार ने यह फैसला किया है कि जो ये कालोनियां हैं जो कि 30 जून, 2009 से पहले 50 प्रतिशत बस गई थी उनको उजाड़ा न जाये और उनको सभी मूलभूत सुविधायें दी जायें। इसी प्रकार से जैसे अलटीमेटली रेगुलराईज़ेशन की बात भी कही गई है जो कि इस समय सम्भव नहीं है क्योंकि इनकी रेगुलराईज़ेशन का मामला अभी कोर्ट के अधीन है लेकिन उनको सुविधायें तो हर हाल में दी ही जा सकती हैं । ये जो कालानियां हैं ये गरीब आदमियों की हैं । इन कालोनियों में कोई शिडयूल्ड कास्ट परिवार रहता है, कोई बैकवर्ड क्लासिज का परिवार रहता है या कोई ऐसा गरीब परिवार है जो गांव से उठकर आया है । ये छोटे-छोटे प्लॉट्स हैं इसलिए हमने यह फैसला किया है कि उनको हम बेसिक अमैनिटीज देंगे और इस सम्बंध में व्यक्त की गई सबकी भावनाओं के साथ मैं अपनी भावना भी जोड़ते हुए सभी से कहना चाहता हूं कि हम सभी को इसका स्वागत करना चाहिए कि उन लोगों को हम बेसिक सुविधायें देंगे। जहाँ तक चार्जिज की बात है जैसा कि प्रो. सम्पत सिंह जी ने कहा है तो इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन में यह 250/- रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर, म्यूनिसिपल काउंसिल में 200/- रुपये प्रति स्कवेयर मीटर तथा म्यूनिसिपल कमेटी में 150/- रुपये प्रति स्कवेयर मीटर है । यह रेट तो वाजिब हैं क्योंकि वहाँ पर सड़क भी बनेगी, सीवरेज भी डलेगा तथा बिजली भी देनी है। हमने बहुत सोच-समझकर ये रेट फिक्स किये हैं और लोग इस बात के लिए तैयार हैं । जिनके मकान हैं उनसे भी विचार-विमर्श हो चुका है और वे इस बात के लिए तैयार हैं । जिन-जिन साथियों ने हाउस में इस बात को उठाया है मैं उन सबका आभार प्रकट करता हूँ और उनकी भावनाओं के साथ अपनी भावना को जोड़ता हूँ । अगर यह काम हो जायेगा तो उससे बहुत लोगों को सुविधायें मिलेंगी और लोगों का बहुत कल्याण होगा । इसलिए सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि वे इस मामले में हमें सहयोग दें ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने ब्रॉड पॉलिसी पैरामीटर और सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दी फिर भी आदरणीय बतरा जी ने एक विशेष बिन्दु यहाँ पर उठाया था कि आप जिन कालोनीज को सुविधाएं देंगे उनके पैरामीटर्स क्या हैं? कितनी कालोनीज रैगुलराईज होंगी इत्यादि बता दें । मैं बहुत संक्षेप में ये बातें बताना चाहता हूँ । माननीय मुख्य मंत्री जी ने मंशा बहुत स्पष्ट बताई है कि जैसे-जैसे रैपिड अर्बनाईजेशन हुई है तो जो छोटे-छोटे कस्बे और शहर हैं वहाँ गांव का व्यक्ति, पड़ोस के राज्यों का व्यक्ति रोजी-रोटी तथा बच्चों की अच्छी शिक्षा की तलाश में आया उसने चारों तरफ अपने आशियाने बना लिये । उनमें से ज्यादातर ऐसी बस्तियों में हैं जिनमें सुविधायें नहीं हैं। हम पीने का पानी, सीवरेज इत्यादि की सुविधायें दे भी देते थे क्योंकि ये मिनिमम ह्यूमन सर्वाइवल और बेसिक राईट्स का हिस्सा हैं परन्तु कुछ लोग कोर्ट में चले गये और कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगा दी और कहा कि इन्हें पानी, बिजली और सीवरेज कोई भी सुविधा नहीं दे सकते। इसी कारण आज लाखों की संख्या में लोग नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं । इसलिए अब माननीय मुख्य मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने यह निर्णय लिया कि जहाँ डैफिशियेंसी ऑफ मिनिमम सिविक सर्विसिज है, ऐसी कालोनीज को इसके परिव्यू में लाया जाये । बतरा जी आपको याद होगा कि फरवरी, 2009 में विधान सभा में ही मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी और उसके बाद 21 अगस्त, 2009 को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इसको पास किया । हमने तीन मुख्य निर्णय लिये हैं । नम्बर 1 है कि जिन कालोनीज में 50 परसैंट प्लॉट्स पर मकान बन गये हैं और जो अभी तक एप्रूव्ड कालोनीज की श्रेणी में नहीं आती वहाँ पर यह सुविधायें दी जायें । जैसा आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने बताया उसके लिए बहुत थोड़ा सा रेट रखा है । जो आपके 8 म्यूनिसिपल कारपोरेशन हैं उनमें यह 250/- रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर, म्यूनिसिपल काउंसिल में 200/- रुपये प्रति स्कवेयर मीटर तथा म्यूनिसिपल कमेटी में 150/- रुपये प्रति स्कवैयर मीटर है । स्कवेयर यार्ड में तो यह बहुत कम राशि है और न के बराबर ही है । बिजली, सड़क, पानी, सीवरेज इत्यादि सुविधायें उन गरीब लोगों के लिए, उन दलित भाईयों के लिए, उन छोटे-छोटे दुकानदारों के लिए, उन छोटे-छोटे किसानों के लिए जो व्यवसाय, रोजी-रोटी की तलाश में, साधनों के अभाव में शहर आ गये और अच्छी जिन्दगी की कल्पना करते हैं उसके लिए यह निर्णय एक वरदान साबित होगा । इसके साथ-साथ जैसा बतरा जी ने पूछा था कि जो वहाँ पर खुली जगह या पार्क वगैरह हैं वे भी म्यूनिसिपल कारपोरेशन, काउंसिल या कमेटी में वैस्ट कर जायेंगे और फिर वे आगे उनको डिवैल्प करने का निर्णय ले सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बतरा साहब ने यह पूछा था कि इससे कितने लोग लाभान्वित होंगे तथा कटऑफ डेट मुख्य मंत्री जी ने बता दी है कि 30 जून, 2009 है । तो इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि कितने लोग लाभान्वित होंगे इसके लिए हमने एक सर्वे शुरू किया था। इसके लिये दो सर्वे किये गये थे । एक सर्वे हरसैक ने किया और दूसरा सर्वे एक प्राइवेट ऐजेन्सी ने किया है । उसके मुताबिक पूरे हरियाणा में कुल 1340 ऐसी कालोनीज का सर्वे कर लिया गया था। उनमें से 542 कालोनीज को नियमित करने के बारे में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा आदेश पारित कर दिये गये थे । इससे पहले कि सुविधा दी जाती किसी एक मित्र ने हाई कोर्ट में पैटिशन दायर किया जिस पर इन्ट्रीम स्टे आज पैंडिंग है। इसलिये ही यह कानून लाया गया है कि ये 542 कालोनिज जिनको ऑल रेडी एप्रूवल दी हुई है और 1340 में से जो कालोनिज इन मापदण्डों को पूरा करेंगी और अगर कोई रह गयी तो हम उसको भी देख लेंगे। जो कालोनीज 50% आबादी होने के मापदण्डों को पूरा करेंगी वह सब इन्डैफिशिएंट सर्विसिज को पूरा करने की परिधी में आएंगी। मुझे लगता है यह ऐ गरीब आदमी के लिए, साधारण आदमी के लिये,

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

भूमिहीन व्यक्ति के लिये, छोटे-छोटे किसान और दुकानदार के लिये उन सारे छोटे-छोटे कस्बों, शहरों व आस-पास सरकार ने इन सुविधाओं को देने का जो बीड़ा उठाया है। उससे उन सारे कस्बों, शहरों के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। सर अगर आप एक्ट में देख लें तो एसैंशियल सर्विसिज पीने का पानी, बिजली, सड़क, पानी, सीवरेज ये चारों मेन सुविधाएं और अगर कोई ऑपन स्पेस हैं तो वह म्यूनिसिपल काऊंसिल कमेटी या कॉरपोरेशन में वैस्ट करेंगे फिर उससे पार्क भी डवल्प कर सकते हैं, कम्यूनिटि हॉल भी डिवैल्प कर सकते हैं। सर, दोबारा बताता हूं बिजली, सड़क,पानी और सिवरेज चारों ओर जो खुले स्पेस और सड़क इत्यादि हैं वह म्यूनिसिपल काऊंसियल कमेटी कॉरपोरेशन में वैस्ट करेंगे। जैसा आदरणीय प्रो. सम्पत सिंह जी कह रहे थे वह उन्हें डिवैल्प कर सकते हैं। सर, मुझे लगता है कि यह एक ऐसा कानून है जो वक्त की नजाकत भी थी, वक्त की जरूरत भी थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने जो अनाऊंस किया था। हरियाणा के मंत्रिमंडल ने जो पारित किया था। उस पर आज ये कानूनी अमली जामा पहनाने के लिये मैं विधेयक को लेकर आया हूं। मैं हरियाणा सरकार की ओर से सदन को और आपको आग्रह करूंगा कि इस पर गौर करके इसको मंजूर किया जाए।

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub Clause 2 of Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Sub Clause 2 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 10

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Clauses 2 to 10 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause 1 of Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Sub Clause 1 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(xvi) दि हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रैगुलेशन ऑफ सोसायटीज (अमैंडमैंट) बिल, 2013

Mr. Deputy Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Registration and Regulation of Societies (Amendment) Bill, 2013 and he will also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Registration and Regulation of Societies (Amendment) Bill, 2013.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Registration and Regulation of Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved—

That the Haryana Registration and Regulation of Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That the Haryana Registration and Regulation of Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 7

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Clauses 2 to 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(xvii) दि इंडियन स्टैम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2013

Mr. Deputy Speaker: Now, the Revenue Minister will introduce the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2013 and he will also move the motion for its consideration.

Revenue Minister (Shri Mahendra Pratap): Sir, I beg to introduce the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2013.

Sir, I also beg to move—

> That the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved—

> That the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Question is—

> That the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker: Question is—

> That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Deputy Speaker: Question is—

> That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is—

> That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is—

> That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is—

> That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the Revenue Minister will move that the Bill be passed.

Revenue Minister (Shri Mahendra Pratap): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(xviii) दि हरियाणा सैलरीज एंड अलाउंसिज ऑफ मिनिस्टर्ज (अमैंडमैंट) बिल, 2013

Mr. Deputy Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2013 and he will also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2013.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved—

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(At this stage, Hon'ble Speaker occupied the Chair.)

(xix) दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असैंबली स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स सैलरीज एंड अलाउंसिज (अमैंडमैंट) बिल, 2013

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 2013 and he will also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 2013.

Sir, I also beg to move—

[Shri Randeep Singh Surjewala]

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(xx) दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असैंबली (सैलरी, अलाउंसिज एंड पेंशन ऑफ मैम्बर्स) अमैंडमैंट बिल, 2013

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2013 and he will also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2013.

Sir, I also beg to move—

> That the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

> That the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

प्रो.संपत सिंह (नलवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो ऑन बिहाफ ऑफ दि ऑल मैम्बर्ज सरकार का धन्यवाद करता हूं क्योंकि सर, यह मेरी अकेले की रिक्वेस्ट नहीं थी यह सभी सदस्यों की तरफ से रिक्वैस्ट थी इसमें सभी की कन्सैंसस थी। क्योंकि सर, यदि सदस्यों को वैल इक्विप्ड होना है तो ये चीजें जरूरी हैं। चाहे बाहर कोई कुछ कहे, कहता रहे। सर, हमारे वेतन भत्तों के लिए कोई कमीशन नहीं बना हुआ है। एम.एल.एज. के दो पैसे बढ़ा दो तो मीडिया में भी चर्चा होती है । लेकिन हमारी अपनी ड्यूटी ऐसी है कि कोई रात को ढाई बजे आ जाए, तीन बजे आ जाए, हमें उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह तो जनता के लिए सुविधा है ताकि हमारी बैटर परफौरमैंस रह सके क्योंकि आप किसी भी पद पर क्यों न हों you are supposed to be honest and sincere towards your duty. इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं लेकिन साथ ही इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बिल का जो नाम है "The Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2013" अब इसमें सैलरी का तो आ गया लेकिन जो पेंशन है। अध्यक्ष महोदय, जीवन की दो सच्चाई हैं। एक तो मौत सच्चाई है और दूसरी ऐक्स होना भी सच्चाई है। इस प्रदेश की 2.5 करोड़ जनसंख्या है उसमें से कौन एम.एल.ए. बनेगा, कौन एम.पी.बनेगा यह कह नहीं सकते। लेकिन ऐक्स होना निश्चित है। सुबह यहां वी.आई.पी.गैलरी में फूलचंद मुलाना जी बैठे थे, रण सिंह मान बैठे थे, संत कुमार जी बैठे हैं, कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी बैठे हैं ये सभी लोग आज सुबह से ही इस बात की इंतजार कर रहे थे और पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर साहब से इस बारे में उन्होंने बात भी की है। वे इस समय हाउस में नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ऐक्स के बारे में कोई बात नहीं उठाता है जबकि सही मायने में ऐक्स एम.एल.ए. भी पीड़ित हैं। क्योंकि एक्स एम.एल.ए. तो हरेक को ही एक न एक दिन होना है लेकिन एक्स एम.एल.ए. होने के बाद इनकी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती । They are also public men. ये भी पब्लिक ड्यूटी करते हैं । जनता इनके पास भी आती है और ये जनता की सेवा भी

[प्रो. संपत सिंह]

करते हैं । आपको और हमें चिट्ठियां और पत्र लिखते रहते हैं । अधिकारियों को जनता के काम के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए और जन समस्याओं के लिए टेलीफोन करते रहते हैं। इन कामों के लिए ये जुटे रहते हैं । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि एक्स एम.एल.ए. का भी आप ख्याल रखिए । ये सुबह से आपका वेट कर रहे हैं । मैं यह बात इनके सम्मान के साथ कह रहा हूं क्योंकि इनकी भी कुछ ड्यूटीज हैं । ऐक्स एम.एल.ए. होते ही इनकी ड्यूटीज खत्म नहीं हो जाती । बाकायदा इनकी ड्यूटी है । They are performing their duties also. ऐसा नहीं है कि वे अपना कोई काम करते हैं या कोई बिजनैस करते हैं, बल्कि वे पब्लिक की ड्यूटी ही कर रहे हैं । इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक्स एम.एल.एज. की भी पेंशन बढ़ानी चाहिए । They are also engaged in public duties.

Shri Aftab Ahmed (Nuh) : On behalf of all MLAs, I also thank the Government and Hon'ble Chief Minister for increasing the allowances of Members. प्रो. साहब ने ऐक्स एम.एल.एज. के बारे में जो बात कही है क्योंकि मेरे दादा जी और मेरे वालिद साहब भी पूर्व विधायक रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो सदस्य एक बार विधायक रहता है उसको 7500 रुपये से पेंशन शुरू की जाती है उसको बढ़ा दिया जाए और उसके बाद हर साल उसमें एक हजार रुपये की बढ़ोत्तरी होती है उस राशि को भी बढ़ाया जाए । इन दोनों के लिए मैं तजवीज करूंगा कि इनको बढ़ाया जाए, क्योंकि इतने सालों के बाद जो पूर्व विधायक हो जाता है तो वह कोई और काम तो कर नहीं सकता इसलिए पेंशन उसके लिए एक जरिया बन जाती है और उसको अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करने के लिए यह राशि एक बहुत बड़ा स्त्रोत होती है । Therefore, I propose that in section 7A(a) of the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975 for the words "seven thousand five hundred rupees" words " ten thousand rupees" and for the words "one thousand rupees " the words "one thousand and five hundred rupees" shall be substituted.

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, the Government agrees with the proposal that has been made by my learned friend. Whether it is sitting Members or former Members of this Legislature, they are an important part of this State Policy. This Government, Sir, has increased their pension and their allowances many times. For the current proposal we are paying 152% D.A. on the pension also. So, the proposal of Shri Aftab Ahmed to increase the one time allowance from ₹ 7,500/- to ₹ 10,000/- for former Members of this Legislature and for every additional year, after the first tenure, we proposed earlier ₹ 1,000 and he is proposing ₹ 1,500. So, the Government agrees with both these proposals subject to the approval of the House.

Mr. Speaker: Question is—

> That the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 6

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 to 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 7

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from the Parliamentary Affairs Minister in Clause 7 of the Bill. He may please move his motion.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

> In section 7A(1) of the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975 for the words "seven thousand five hundred rupees" words "ten thousand rupees" and for the words "one thousand rupees" the words "one thousand and five hundred rupees" shall be substituted.

Mr. Speaker: Motion moved—

> In section 7A(1) of the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975 for the words "seven thousand five hundred rupees" words "ten thousand rupees" and for the words "one thousand rupees" the words "one thousand and five hundred rupees" shall be substituted.

Mr. Speaker: Question is—

> In section 7A(1) of the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 19 for the words "seven thousand five hundred rupees" words "ten thousand rupees" and for the words "one thousand rupees" the words "one thousand and five hundred rupees" shall be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 7, as amended, stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

Shri Bharat Bhushan Batra (Rohtak) : It is very important issue that I am raising. बहुत से ऐसे कानून हमारी असैम्बली की कानून की किताबों में हैं जो ओबसोलीट हो चुके हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है और जिनकी कोई रैलीवैंसी नहीं है और न ही उनकी कोई इम्पलीमैंटेशन है । अध्यक्ष महोदय, एक बिल पास हो जाता है, अमैंडमैंट ऐक्ट बन जाता है, उसके बाद वह मेन एक्ट का पार्ट बन जाता है । इतने बड़े बड़े अमैंडमैंट्स एक्ट करीबन 10 हजार या 15 हजार ऐसे ही पड़े हुए हैं । मेरी रिक्वैस्ट है कि हमारे पास जो भी कानून का विभाग है और साथ में एक कमेटी बनाई जाए, जो ओबसोलीट हो चुके एक्टों को वीड आउट करने के कार्य को देखें । जैसे आज भी काफी बिल आए, पहले बिल आते हैं और उसके बाद अमैंडमैंट आने के बाद गवर्नर की असैंट हो जाएगी और वे मेन किताब का पार्ट बन जाएंगे। इन सबको वीड आउट कर दिया जाए तो यह पार्लियामैंट्री सिस्टम में एक बहुत बड़ा स्टैप होगा ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनका सुझाव बहुत अच्छा है इसलिए मेरी यह रिक्वैस्ट है कि हाउस की एक कमेटी बना दें जो इस कार्य को काम्प्रैहिंसवली देख ले । इसके साथ साथ मेरा यह अनुरोध जरूर रहेगा कि यह हाउस इस काम में आदरणीय श्री बी.बी.बतरा जी और चौधरी सम्पत सिंह जी की सर्विसिज जरूर ले लें।

Mr. Speaker: Don't you think, Hon'ble Minister, that the Subordinate Legislation Committee will look into this aspect? We need not to have a separate Committee.

Shri Randeep Singh Surjewala: That is a correct fora. The Subordinate Legislation Committee will look into this aspect.

Mr. Speaker: They can also get the help of L.R. and that will be better.

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, केवल लेजिस्लेटिव मैम्बर से बात नहीं बनेगी some other senior members and officers should also be there who are well-conversant with the law. उसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी ।

Mr. Speaker: Alright.

Shri Randeep Singh Surjewala: If my learned friend is not member of the Subordinate Legislation Committee, since I have not seen the constitution of the Committees recently, I would request you that Shri Bharat Bhushan Batra and Prof. Sampat Singh should also be nominated as Special Invitees of this Committee as they are Chairmen and Members of other Committees. About the L.R. and Advocate General, they are always available for assistance of all the Committees of the House, since they are mini legislatures.

Mr. Speaker: Alright, I will do that.

श्री अभय सिंह चौटाला, एमएलए के भर्त्सना के मामले को टालना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, Shri Abhey Singh Chautala, MLA had made casteist remarks (Jaati Soochak Shabad) against Shri Jaiveer Balmiki, CPS in the House on 24th August, 2012. Since he was suspended for the remainder of the September Session, 2013, the matter of reprimand of Shri Abhey Singh Chautala is deferred till the next Session of Haryana Vidhan Sabha.

संसदीय कार्य मंत्री/अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Before this Session concludes, on behalf of the Hon'ble Chief Minister and also on behalf of the entire Government, I want to thank you Hon'ble Speaker and I also thank the entire Secretariat as also to the Members of this House for their cooperation for smooth conducting of business during the last 4 days in the House.

Mr.Speaker: Hon'ble Members, I am thankful to you all for extending cooperation for smooth conducting of the proceedings of the House. I also thank all the Press Representatives, Government Officers and officials of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat for their cooperation extended to me during the present Session.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the House stands adjourned sin-e-die.

| *14.45 Hrs. | (The Sabha then * adjourned sin-e-die.) |

51822—HV.S.—H.G.P., Chd.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat ★ Chandigarh ★ LIBRARY